Monday, 24 November, 1969

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : **One Rupee**

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—6, सोमवार, 24 नवम्बर, 1969/3 अग्रहायण, 1891 (शक)

No.—6, Monday, November 24, 1969/Agrahayana 3, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
151. विभिन्न संगठनों के साथ खाद्य तथा कृषि मन्त्री के संबंध	Food and Agriculture Minister's Connection with various Organisations	1—10
152. सरकारी उपक्रमों का कार्य-संचालन	Working of Public Undertakings	10—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
153. घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के लिये गैस की मांग	Demand of Gas for Domestic and Industrial use	15—16
154. तरल पैट्रोलियम गैस की कमी	Shortage of Liquid Petroleum Gas	16
155. विभिन्न उत्पादों में सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार	Public Sector Monopoly in various Products	16—17
156. सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्त कर्मचारी	Deputationists to Public Sector Undertakings	17—18

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
157.	सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक	Meeting of Chairman of Public Undertakings	18—19
158.	पिछड़े राज्यों में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक सार्थों को ऋण	Loans to Industrial concerns in Backward States by IFC	19
159.	केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में राज्यवार विनियोजन	Investment in Central Industrial Projects, Statewise	20
160.	सरकारी उपक्रमों में घाटा	Losses in Public Undertakings	20—21
161.	सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य	Prices of Products of Public Undertakings	21
162.	गुजरात में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं	Central Industrial Projects in Gujarat	21—22
163.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया से राज्यों द्वारा अधिक धन निकाला जाना	Overdrafts by States on Reserve Bank of India	22—23
164.	कलकत्ते की गलियों के कचरे को जलाने के लिये भस्मक (इनसेनीरेटर्स) की सप्लाई के लिये विदेशों से अनुरोध	Request to Foreign Countries for Supply of Incinerators for Disposal of Calcutta Street Garbage	23
165.	मैसर्ज नैनमल पूनजाजी शाह के विरुद्ध आरोप	Charges against M/s. Nainmuli Poonjaji Shah	23—24
166.	राष्ट्रमंडल के देशों के महालेखा परीक्षकों का सम्मेलन	Conference of Auditors-General of Commonwealth Countries	24—25
167.	राष्ट्रपति भवन के परिसर में प्रधान मन्त्री निवास का निर्माण	Construction of Prime Minister House in Rashtrapati Bhavan Premises	25
168.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एवं सहायता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग का प्रतिवेदन	Report of UN Commission on International Development and Aid	25—26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
169.	विशाखापत्तनम पत्तन के विकास के लिये विदेशों से सहायता	Foreign Assistance for Development of Visakhapatnam Port	26
170.	हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का मानक निर्धारित करना	Fixation of Standards of Black and Green Tea of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh	26
171.	भारतीयों के भोजन में प्रोटीन की कमी	Protein Deficiency in Diet of Indians	26—27
172.	बैंकिंग बोर्डों की स्थापना के लिये अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की मांगें	Demands of the All India Bank Employees Association for setting up Banking Boards	28
173.	कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in Coal Price	28—29
174.	दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ बिजली-घर की मशीनरी में त्रुटियां	Defects in the Machinery of Indraprastha Power House in Delhi	29
175.	चीन के चावल की चोरी छिपे केरल लाया जाना	Smuggling of Chinese Rice to Kerala	29—30
176.	अर्ध सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन तथा सेवा निवृत्ति के लाभ देना	Application of Pension and Retirement Benefits to Employees in Semi-Government Undertakings	30
177.	सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेशी दूतावासों में काम करने वाले विदेशियों को किराये पर मकान दिये जाने	Sub-letting of Accommodation to Foreigners working in Foreign Embassies by the Government Employees	31
178.	दिल्ली से भिन्न स्थान को राजधानी बनाना	Shifting of Capital from Delhi	31
179.	नई दिल्ली नगरपालिका में गृह-कर में छूट के अनिर्णीत मामले	Cases of House-tax Remission pending in NDMC	3.
180.	जर्मन सरकार द्वारा 'मार्क' का पुनर्मूल्यांकन	Revaluation of Mark by German Government	32

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1001. हल्दिया बरौनी पाइप लाइन	Haldia Barauni Pipe Line	33
1002. खेतड़ी, राजस्थान में हिन्दुस्तान तांबा परियोजना	Hindustan Copper Project at Khetri, Rajasthan	33—34
1003. अनुर्वरीकरण आपरेशनों के लिये मदुरै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे भुगतान जाली वाउचर	Bogus Vouchers of Payment in Madurai Primary Health Centre, for Sterlization Operation	34—35
1004. कलकत्ता में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा माल पर सीमाकर	Terminal Tax on Goods and People entering Calcutta	35
1005. उद्योगों को दिये गये ऋण का साम्य अंशों में परिवर्तन	Conversion of Loans Advanced to Industries into Equity Shares	35—36
1006. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हानि	Losses in Public Sector Enterprises	36
1007. परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा उसका जीवन स्तर पर प्रभाव	Family Planning Programme and its effect on Living Standards	36—38
1008. महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों को ऋण सुविधाएं	Credit Facilities to Handloom Weavers in Maharashtra	38
1009. नागपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks in Nagpur	38—39
1010. नागपुर में सरकारी कर्मचारियों का आवास का आवंटन	Allotment of Accommodation to Central Government Employees at Nagpur	39
1011. परिवार नियोजन कार्यक्रम में नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations on Officers and Employees engaged in Family Planning Programme	40
1012. सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा शेयर खरीदना	Acquiring of Shares of Public Undertakings by their Employees	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1013.	पंजाब में नाइलोन परि-योजना के लिये लाइसेंस	Licence for Nylon Project in Punjab	40—41
1014.	नागपुर में सरकारी क्षेत्र में एक औद्योगिक कम्पनी की स्थापना	Setting up of a Public Sector Industrial concern at Nagpur	41
1015.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक संगठन बनाना	Setting up of a Association of Public Sector Undertakings	41—42
1016.	धोखा देकर नसबन्दी आपरेशन करना	Fraudulent Vasectomy Operations	42
1017.	पुराने टायरों से तेल, गैस और तारकोल निकालने की प्रक्रिया	Process for Extracting Oil, Gas and Tar from Old Tyres	42
1118.	सरकारी उपक्रमों के सही आय व्ययक प्राक्कलन तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for preparing Accurate Budget estimates of Public Sector Undertakings	43
1019.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में सूखी बर्फ (ड्राई आइस) का उत्पादन करने का कारखाना	Dry Ice Production Plant at Fertilizer and Chemicals Travancore Limited	43—44
1020.	राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि	Expansion of Deposits by Nationalised Banks	44
1021.	भारत को जापान द्वारा ऋण सम्बन्धी राहत	Debt Relief by Japan to India	44—45
1022.	उत्तर प्रदेश और बिहार में बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Bank Branches in Uttar Pradesh and Bihar	45
1023.	सरकारी उपक्रमों द्वारा गांधी जन्म शताब्दी पर व्यय	Expenditure on Gandhi Birth Centenary by Public Undertakings	46
1024.	भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Capital Investment in India	46—47
1025.	ऋण पद्धति तथा ऋण वितरण सम्बन्धी योजना का अध्ययन दल	Planning Commission Study Team on Pattern of Loans and its distribution	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1026.	गांवों में बिजली की व्यवस्था करना	Rural Electrification	47—48
1027.	घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री	Sale of Sub-standard Articles	48
1029.	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली में एयर इण्डिया के भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Former Air India Manager in Delhi for Voilation of Foreign Exchange Regulations	48—49
1030.	बिहार में कटिहार कस्बे का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Katihar Town in Bihar	49
1031.	संसद् सदस्यों तथा मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Members and Ministers visiting Foreign Countries	50
1032.	सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति का आधार	Criteria for Appointment of Officers in Public Undertakings	50
1033.	'पी' फार्म नियमों को उदार बनाना	Liberalisation of 'P' Form Regulations	51
1034.	राज्यों पर केन्द्र का ऋण	States Debt to Centre	51
1035.	जस्ता पिघलाने वाले कारखानों का विस्तार	Expansion of Zinc Smelter Plants	52
1036.	विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना	Zinc Smelter Plant at Visakhapatnam	52
1037.	आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडला खानों में खनिज निकालना	Exploitation of Agnigundala Mines in Andhra Pradesh	52—53
1038.	रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र में सोने की पट्टी का पता लगाना	Location of Gold Belt in Ramagiri Gold Field	53—54
1039.	टाटा बिड़ला तथा अन्य सार्थों द्वारा ऋण का लौटाया जाना	Return of Loans by Tata, Birla and other concerns	54
1040.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना का संचालन तेज करना	Activising the Work of National Malaria Eradication Scheme	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1041.	खनिज उत्पादन में कमी	Decline in Minerals Production	55—56
1042.	विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा देना	Release of Foreign Exchange to Foreign Companies	56—58
1043.	पायनीयर लिमिटेड, टांडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा सरकारी करों का अपवंचन	Evasion of Government Taxes by the Pioneer, Ltd., Tanda (U. P.)	58
1044.	सब से अधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश भारत	India the Largest Aid receiving Country	58
1045.	भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखानों में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्यिति	Implementation of Second Pay Commission's Recommendations in Sindri Unit of FCI	58—59
1046.	गोआ के मुख्य मन्त्री की विदेश यात्रा	Goa Chief Minister's visit Abroad	59—60
1047.	महलनवीस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendation of Mahalanobis Committee Report	60
1048.	केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र में उच्च वेतन वाले बनाये गये नये पद	New High Salaried Posts created in Central Government and Public Undertakings	61
1049.	भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों का विदेशी बैंकों में जमा धन	Deposits in Foreign Banks by the Erstwhile Princes and their Families	61—62
1050.	मंत्रियों की ओर बिजली तथा फर्नीचर के किराये की बकाया राशि	Arrears of Electricity and Furniture due from the Ministers	62—63
1051.	देश में मैडिकल कालेज	Medical Colleges in the Country	63
1052.	तमिलनाडु सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के वितरण के बारे में मांग	Request for Power of distribution of Foreign Exchange by Tamil Nadu Government	63—64
1053.	नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति	Statue of Mahatma Gandhi in New Delhi	64

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1054.	फ्रांसीसी फर्म द्वारा खम्बात की खाडी के क्षेत्र में छिद्रण कार्य में सहायता	Assistance offered by French Firm for off Shore Drilling in Cambay Region	64—65
1055.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा अमरीकी सलाहकार की कार्यावधि बढ़ाया जाना	Extension of Term of American Consultant by Hindustan Copper Ltd.	65
1056.	अमरीकी ठेकेदारों द्वारा खेतरी में भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण	Training of Indian Engineers by American Contractors at Khetri	65
1057.	हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड सलाहकारों में मतभेद	Differences of Opinion among Consultants for Hindustan Copper Ltd.	65—66
105८.	राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा ऋण की समस्या का अध्ययन	Study of Credit Problem by National Credit Council	66
1059.	इण्डियन आयल निगम द्वारा डामर (ऐस्फाल्ट) का निर्यात	Export of Asphalt by Indian Oil Corporation	67
1060	बरौनी तेल शोधनशाला के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Barauni Refinery Employees	67—68
1061.	तेलशोधक मजदूर संघ, बरौनी का ज्ञापन	Memorandum by Telshodhak Majadoor Union Barauni	68
1062.	विकासशील देशों से निर्यात के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank Assistance for Exports from Developing Countries	68—69
1063.	रूमानिया के सहयोग से तेल छिद्रण उपकरणों का निर्माण	Manufature of Oil Drilling Equipments with Rumanian Collaboration	69
1064.	पी॰ एल॰ 480 निधियों के भाग को केवल अमरीका सरकार द्वारा भारत में प्रयोग के लिये अलग रखना	Earmarking of Part of PL-480 Funds for Exclusive use by US Government in India	69—70
1065.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल	Drinking Water for Rural Areas	70

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1066.	मीठापुर में टाटा बन्धुओं द्वारा प्रस्तावित उर्वरक परियोजना	Fertilizer Project by Tatas at Mithapur	71
1067.	पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत गेहूँ, रूई और वनस्पति तेलों का आयात	Import of Wheat, Cotton and Vegetable Oils under PL-480 Agreement	71—72
1068.	गया और बरौनी के बीच ट्रांसमिशन लाइन का पूरा होना	Completion of Power Transmission Line between Gaya and Barauni	72—73
1069.	दरभंगा में भूमि पर कथित कब्जा	Alleged Occupation of Land in Dharbhanga	73
1070.	विशाखापत्तनम बन्दरगाह खम्भात तट दूर छिद्रण के लिये जापान से परियोजना सहायता	Project Aid from Japan for Visakhapatnam Harbour and Cambay off Share Drilling	73—74
1071.	शेयरों में वायदा व्यापार का पुनरारम्भ	Resumption of forward Trading Shares	74
1072.	पेंशनधारी का कोषागार अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना	Personal Appearance before Treasury Officer for Drawing Pension	74—75
1073.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन	Pension of Central Government Employees	75
1074.	फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के सिन्दरी एकक में हड़ताल	Strike of Sindri Unit of FCI	75—76
1075.	तपेदिक के रोगी	T. B. Patients	76—77
1076.	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बचाना	Evasion of Central Excise Duty	77
1077.	विदेशी फर्मों द्वारा धन को बाहर भेजना	Amount Remitted Abroad by Foreign Firms	77—78
1078.	बिड़ला उद्योग समूह की फर्मों पर छापे	Raids on Birla Houses and Establishments	78—79
1079.	पहाड़ी इलाकों तथा मध्य प्रदेश में पानी की खोज	Water Exploration in Hilly Tracks and in Madhya Pradesh	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1080.	नई दिल्ली में अनधिकृत निर्माण	Un-authorised Construction in New Delhi	79
1081.	नई दिल्ली में बहुमंजिले आधुनिक फ्लेटों का निर्माण	Construction of Multi-Storeyed Modern Flats in Delhi	80
1082.	कर की बकाया राशि	Tax Arrears	80—81
1083.	बैंक कर्मचारियों का बैंकों के प्रबन्ध में भाग लेना	Participation of Bank Employees in Management of Banks	81—82
1084.	श्री हरिदास मूंदड़ा के नाम आयकर की राशि	Income Tax due from Shri Haridas Mundra	82—83
1085.	छात्र परिचारिकाओं की समस्यायें	Problems of Student Nurses	83—84
1086.	कपड़ा चीनी तथा तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का विरोध	Opposition to Additional Levy of Excise Duty on the Textile, Sugar and Tobacco	84
1087.	श्री बीजू पटनायक, उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के नाम आयकर की बकाया राशि	Income-tax due from Shri Biju Patnaik, former C. M. Orissa	84—85
1088.	इन्द्रप्रस्थ, दिल्ली बिजली-घर	Indraprastha Power Station, Delhi	85
1089.	बम्बई में गिरफ्तार किये गये एक तस्कर के साथ कांग्रेसी के कथित व्यापार सम्बन्ध	Alleged Business Relations with a Congressman of a Smuggler arrested in Bombay	85—86
1090.	शक्ति नगर दिल्ली से झुग्गियों का हटाना	Removal of Jhuggis from Shakti Nagar, Delhi	86—87
1091.	सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	Natinalization of General Insurance	87
1092.	हाल की बाढ़ से फसलों तथा सम्पत्ति को क्षति	Damage to Crops and Property by Recent Floods	87—88
1093.	पटना नगर सुधार न्यास	Patna Improvement Trust	88
1095.	आयकर जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Income-tax Investigation Commission	88—89

अता॰ प्र॰ संख्या विषय		पृष्ठ
U. S. Q. Nos.	Subject	Pages
1096. सरकारी कर्मचारियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Government Employees	89
1097. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये धन की उपलब्धि	Availability of Funds for Fourth Five Year Plan as a result of Bank Nationalisation	89—90
1098. फर्मों, व्यक्तियों आदि पर आयकर की बकाया राशि	Income-tax Arrears outstanding against Firms, individuals	90
1099 आसाम में प्राकृतिक गैस की बरबादी	Wastage of Natural Gas in Assam	91
1100. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आसाम में तेल मिलना	Oil found in Assam by ONGC	91
1101. मूल्यों में चढ़ाव की प्रवृत्ति	Upward Swring in Prices	92
1102. उत्तर भारत में विद्युत उत्पादन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण	Power Generation and Rural Electrification in Northern India	92—93
1103. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के बरौनी सैक्टर में स्थानीय लोगों की नियुक्ति	Employment of Local People in Barauni Sector of FCI	93—94
1104. राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार	Expansion of Branches of Nationalized Banks	94
1105. आवास समस्याओं सम्बन्धी विचार गोष्ठी	Seminar on Housing Problems	94—95
1107. विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय राजकोष में अंशदान	Contribution by various Public Undertakings to the Central Exchequer	95
1108. बैंक राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रुपये के मूल्य में गिरावट	Decline in value of Rupee after Bank Nationalization	95—96
1109. तेल निकालने की परियोजना के बारे में रूमानिया द्वारा सहायता	Assistance by Rumania in Oil Drilling Project	96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1110.	सरकारी उपक्रमों में उच्च अधिकारियों की कार्य-कुशलता की जांच करने के लिये समिति की स्थापना	Committee to Examine Efficiency of Executives in Public Undertakings	96—97
1111.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य में समन्वय लाने के लिये व्यवस्था	Machinery to Co-ordinate the Working of Nationalized Banks	97
1112.	आपरेशन द्वारा अन्धे लोगों की आंखों की ज्योति पुनः आना	Restoration of Eye-sight of Blind by Operation	97—98
1113.	भारत की ऋण स्थिति	India's Debt Position	98
1114.	अनिर्णीत आयकर के मामलों का निर्धारण	Assessment of Pending Income-tax Cases	99—100
1115.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से विद्यार्थियों को ऋण	Loans to Students from Nationalized Banks	100
1116.	केन्द्रीय सरकार के अल्प आय कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Low Income Central Government Employees	100—101
1117.	विदेशी बैंकों को नए खाते और शाखाएं खोलने की अनुमति देना	Permission to Foreign Banks for opening New Accounts and Branches	101—102
1118.	बिहार और उत्तर प्रदेश की बिजली की आवश्यकता	Power Requirements of Bihar and Uttar Pradesh	102—103
1119.	भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों को ऋण	Loan to Large Scale Industries by Industrial Development Bank of India	103
1120.	अमरीका के साथ ऋण सम्बन्धी करार	Loan Agreement with USA	103
1121.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन सम्बन्धी निर्णयों का पुनरीक्षण	Revision of Pension Rules for Central Government Employees	104
1123.	खाना बनाने की गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas	10[illegible]

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1124.	चौथी योजना में विदेशी सहायता	Extent of Foreign Aid and Assistance during Fourth Plan	105
1125.	उर्वरक का उत्पादन	Fertilizer Production	105—106
1126.	रूस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता	IMF Membership for USSR	106
1127.	तस्कर व्यापार तथा कर अपवंचन को रोकने के उपाय	Measures to Check Smuggling and Tax Evasion	106—107
1128.	निर्यात बैंक की स्थापना	Setting up of Export Bank	107
1129.	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रचार समाप्त करना	Discontinuation of Propagation of Family Planning Programme in Hilly Areas of Uttar Pradesh	107—108
1130.	नागालैंड में कोयले के निक्षेप मिलना	Coal Reserves found in Nagaland	108
1131.	मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिये पानी की सप्लाई	Supply of Water for Irrigation purposes in Madhya Pradesh	108
1132.	नार्थ और साउथ एवन्यू, नई दिल्ली में संसद सदस्यों के फ्लैटों का अधिकारियों को आबंटन	Allotment of M.P.'s Flats to Officials in North and South Avenues, New Delhi	108—109
1133.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण का व्यापार पर कुप्रभाव	Ill effects of Bank Nationalisation on Trade	109
1134.	राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	Loans from the Nationalized Banks	109
1135.	रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के सैक्टर-1 में वर्षा के पानी का जमा होना	Accumulation of Rain-water in Sector I R.K. Puram, New Delhi	109—110
1136.	बैंकों में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये बैंकिंग सेवा आयोग	Banking Services Commission for Appointment of Staff in Banks	110
1137.	इलाहाबाद बैंक की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बिहार में ऋण देने की योजनाएं	Schemes to provide Loans by Allahabad Bank in U. P., M. P. and Bihar	110

अता॰ प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1138.	महेश योगी द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	Violations of Foreign Exchange Rules by Mahesh Yogi	111
1140.	केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा धन कर सम्बन्धी विवरण का भेजा जाना	Filing of Wealth-tax returns by Union Ministers	111—112
1141.	प्रधान मन्त्री के सरकारी निवास के लिये एक भव्य इमारत का निर्माण	Construction of Palatial Building as Official Residence of the Prime Minister	112
1142.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समन्वय करने सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड को संविहित बोर्ड में बदलना	Conversion of High Powered Board for Co-ordinating Development of the National Capital Region into a Statutory Board	112
1143.	कलकत्ता में पानी का संकट	Water Crisis in Calcutta	113
1144.	परिवार नियोजन अभियान में शिथिलता	Slackening in Family Planning Drive	113—114
1145.	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड में भारतीय निदेशक	Indian Directorship on I.M.F. Board	114—115
1146.	भारत के विदेश व्यापार बैंक की स्थापना	Setting up a Foreign Trade Bank of India	115
1147.	सामूहिक आवास योजना का परीक्षण	Examination of the Group Housing Schemes	116
1148.	विशाखापत्तनम स्थित कालटेक्स आयल रिफाइनरी का विस्तार	Expansion of Caltex Oil Refinery Visakhapatnam	116
1149.	आन्ध्र प्रदेश में ताम्बा पिघलाने का कारखाना	Copper Smelter Plant in Andhra Pradesh	116
1150.	मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income-tax by Ministers	117
1151.	मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income-tax by Ministers	118
1152.	कम्पनी से भिन्न मामलों के आय विवरण	Return of Non-Company Cases	118—119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1153.	स्पेन को अशोधित तेल की सप्लाई	Supply of Crude to Spain	120
1154.	औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Drug Industry	120
1155.	जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप	Charges against the Chairman of Life Insurance Corporation	120—121
1156.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बेकार क्षमता	Idle Equipment in Public Sector Undertakings	121—122
1157.	नये मकान	New Housing Units	122
1159.	अल्प तथा मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनाएं	Low and Middle Income Group Housing Schemes	123
1160.	नई परियोजनाओं में मूल्य सम्बन्धी अध्ययन	Price studies in New Projects	123—124
1161.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशालयों में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व	Representation of State Government on Directorates of Nationalised Banks	124—125
1162.	शान्ति वन और जवाहर ज्योति पर व्यय	Expenditure on Shanti Van and Jawahar Jyoti	125—126
1163.	उत्तर प्रदेश के लिये पोलिस्टर फाइवर कारखाना	Polyster Fibre Plant for U. P.	126
1164.	जीवन बीमा निगम का व्यवसाय	Business of LIC	126
1165.	चकबन्दी के लिये कानून	Legislation for Consolidation of Holdings	126—127
1166.	पौड़ी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित करना	Setting up of Family Planning Centre in Pauri. Garhwal, U. P.	127
1167.	उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in District Pauri, Garhwal, U. P.	128
1168.	पौड़ी अस्पताल, पौड़ी गढ़वाल, को सहायता	Assistance to Pauri Hospital, Pauri, Garhwal	128
1169.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात	Imports under PL-480	128—129

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1170.	प्राधिकृत तथा प्रयुक्त विदेशी सहायता	Foreign Assistance Authorised and Utilised	129—130
1171.	जीवन बीमा निगम में विश्वविद्यालयों की जाली उपाधियों वाले अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of LIC Officers with Faked University Degrees	130
1172.	गंगा जल में दूषण	Pollution of Ganga Waters	130—131
1173.	आदिम जातीय क्षेत्रों में बिजली, सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं का विकास	Development of Power Irrigation and other Amenities in the Tribal Areas	131
1174.	भारत सहायता सार्थ संघ परियोजना से भिन्न सहायता	Non-Project Aid from Aid India Consortium	131
1175.	उत्तर भारत में तेल शोधनशाला	Refinery in North India	132
1176.	पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण भारत और यूगोस्लाविया के बीच मतभेद	Differences between India and Yugoslavia due to Pound Sterling Devaluation	132—133
1177.	औषधियों के ऊंचे मूल्यों और अन्य समस्याओं संबंधी समिति	Committee on High Cost of Drugs and other Problems	133
1178.	हैदराबाद के निजाम की अस्तियों की जांच	Probe into Assets of Nizam of Hyderabad	134
1179.	आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्रों का खोला जाना	Opening of Ayurvedic Research Centres	134
1180.	गाजियाबाद के किसानों को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि	Compensation Paid to Farmers of Ghaziabad	134—135
1181.	जन हित निधि न्यास को कर से छूट	Exemption from Tax to Jan Hit Nidhi Trust	135
1182.	गंगा पर तटबन्ध का निर्माण	Construction of Embankment on the Ganga	135

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1183.	काल्टैक्स और एस्सो तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment in Caltex and ESSO Oil Companies	136
1184.	बड़ी श्रमिक बस्तियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Big Labour Colonies	136—137
1185.	नोट छापने के लिये कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories for Printing of Notes	137
1186.	केन्द्रीय करों की बकाया राशि	Arrears of Central Taxes	137
1187.	साउथ एवेन्यू के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against the C. P. W. D. Staff of South Avenue	137—138
1188.	बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सरकारी अस्पताल में एक्सरे की सुविधा	X-Ray facilities in Madhubani Government Hospital, Darbhanga District	138
1189.	प्रमुख व्यापारियों द्वारा तस्करी	Smuggling by Big Businessmen	138—139
1190.	उत्तर प्रदेश में घग्घर नदी पर बहुप्रयोजनीय परियोजना	Multi-purpose Project on Ghagghar River in Uttar Pradesh	139
1191.	रेलवे बोर्ड सहकारी आवास समिति को भूमि का आवंटन	Allotment of Land by Railway Board Co-operative Housing Society	139—140
1192.	नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के कर्मचारियों के क्वाटरों का आवंटन	Allotment of Accommodation to C.G.H.S. Staff of North and South Avenues	140
1193.	आसाम को धन का नियतन	Allocation of Funds to Assam	141
1194.	बिड़ला टाटा और डालमियां की फर्मों में जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोजन	LIC Investment in Birla, Tata and Dalmia Firms	141

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1195.	पटना टाउन में सड़कों की मरम्मत	Repair of Roads in Patna Town	142
1196.	पटना नगर निगम	Patna Municipal Corporation	142—143
1197.	बिहार में बाढ़	Floods in Bihar	143
1198.	जंगली फल के बीजों से सस्ती गर्भ निरोधक गोली बनाना	Manufacture of Cheap Contraceptive pills out of Seeds of Wild Fruit	143
1199.	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सोने की कीमतों में अत्यधिक तेजी	Heavy increase in Gold Prices after Nationalisation of Banks	144
1200.	आशुलिपिकों के वेतनमान	Pay Scales of Stenographers	144—145
	सभा के कार्य के बारे में	Re-Business of the House	145—146
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	146—148
	दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सैनिकों द्वारा असैनिक ग्रामवासियों का कथित नरसंहार	Reported Massacre of Civilian Villagers in South Vietnam by American Soldiers	146
	श्री देवेन सेन	Shri Devan Sen	146
	श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	146
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	148—150
	विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत	Motion Re-Eighth Report of Committee of Privilege—adopted	150—154
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	150—152
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	152
	श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	152—153
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	153
	श्री नम्बियार	Shri Nambiar	153
	श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	153
	श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	154

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	154
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक—पुर: स्थापित	Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) (Amendment) Bill introduced	154—155
मंत्रियों के वेतन तथा भत्तें (संशोधन) विधेयक	Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill	155—172
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	155
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai	155—156
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa	156—158
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	158
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	158—160
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	160
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	160—161
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	162—163
श्री एस० कुन्दू	Shri S. Kundu	163—164
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	164—165
श्री जे० एच० पटेल	Shri J. H. Patel	165—166
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	166
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	167—172
पास करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to Pass, as Amended	171
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	171
श्री रंगा	Shri Ranga	172
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	172
वक्फ (संशोधन) विधेयक	Wakf (Amendment) Bill	172—180
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as Passed by Rajya Sabha	172
श्री मुहम्मद यूनुस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	172—173
श्री जे० मुहम्मद इमाम	Shri J. Mohamed Imam	173—174

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	174—175
श्री गयूरअली खां	Shri Ghayoor Ali Khan	175—176
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaq Sambhali	176—177
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	177
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	177
श्री अबदुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	177—178
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	178
श्री मु० अ० खां	Shri M. A. Khan	178—179
श्री मयावन	Shri Mayavan	179—180

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 24 नवम्बर, 1969/3 अग्रहायण, 1891 (शक)
Monday, Nov. 24, 1969/Agrahayana, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए।**
Shri M.B. Rana *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विभिन्न संगठनों के साथ खाद्य तथा कृषि मन्त्री के सम्बन्ध

***151. श्री पीलु मोडी :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री गु० च० नायक : **श्री महेन्द्र माझी :**
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विभिन्न कम्पनियों, संगठनों, न्यासों और हिन्दू संयुक्त परिवारों के साथ केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मन्त्री श्री जगजीवन राम का प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सम्बन्ध है उनका ब्यौरा क्या है ।

(ग) गत तीन वर्षों की अवधि में इन सभी संगठनों की आय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवधि में इन तीन संगठनों ने अपनी आय पर जो आयकर अदा किया है उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : दीर्घ काल से राष्ट्रीय महत्व के अग्रगण्य व्यक्ति के रूप में श्री जगजीवनराम स्वभावतः न केवल गांधी स्मारक निधि, जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि और लालबहादुर शास्त्री स्मारक न्यास जैसे राष्ट्रीय महत्व के कुछ न्यासों से सम्बन्धित हैं वरन् वे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा धर्मार्थ किस्म के बहुत से संगठनों और संस्थाओं से भी सम्बन्धित हैं । बहुत से मामलों में उनका सम्बन्ध 'पेट्रन-इन-

चीफ,' 'चीफ पेट्रन' 'फाउन्डर पेट्रन', 'आनरेरी मेम्बर' आदि पदनामों के रूप में साफ तौर पर औपचारिक और नाम मात्र का है ।

जहाँ तक मन्त्री से सम्बन्धित किसी कर-दायित्व का सवाल है, सूचना सदन को पहले ही दी जा चुकी है। प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में मांगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है (**व्यवधान**) यह बात तो सदन भी मानेगा कि जो संस्थाएं अथवा संगठन माननीय प्रश्नकर्ता सदस्यों के ख्याल में हों उनके विशिष्ठ व्यौरे सदस्यों द्वारा उपलब्ध किये जाने पर ही तो यथासंभव जानकारी देने की कोशिश की जा सकती है ।

श्री पीलु मोदी : प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में भी मन्त्री महोदय के लिए यह सम्भव नहीं हुआ कि वे दो या तीन प्रमुख संगठनों के नाम देने के अलावा एक पूरी सूची देते । केवल यही कहा गया कि एक सार्वजनिक व्यक्ति होने के कारण वे कई बड़े संगठनों से सम्बन्धित हैं और उनका भाग (ख) और (ग) के संबंध में यह कहना है कि कोई सूचना देना सम्भव नहीं है । भाग (क), (ख) और (ग) के बारे में कोई सूचना न होने से प्रश्न पूछना कैसे सम्भव है ?

मैंने कुछ दिन पहले भारत सेवक समाज के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछा था । अभाग्यवश उस समय वक्त कम था। मैं अब केवल उस संस्था के बारे में प्रश्न पूछूंगा । मैं जानना चाहूँगा कि उस संस्था ने कर देने की छूट के लिए अब आवेदन किया था । इसने 60 से 80 लाख रुपये के लगभग धन कमाया । इसने कोई कर का भुगतान नहीं किया और इसके बारे में कोई लेखा उपलब्ध है । यह अन्य उन संस्थाओं को धन उधार दे रही है जिनको कर छूट नहीं मिली हुई है और सार्वजनिक धन का उपयोग इस प्रकार किया जा रहा है जैसे किसी से इसका संबंध नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि इस संस्था ने जो लाखों रुपया कमाया है, उस पर कर नहीं लगा है । यदि नहीं तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस धन का क्या हुआ । मैं जानना चाहता हूँ कि कानून में ऐसा कोई विशेष प्रावधान है जिसके अनुसार कम्पनी को कर छूट न मिलने तक कर न देने की अनुमति दी जाती है। क्या मन्त्री महोदय इस बात को सविस्तार समझायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास विभिन्न संस्थाओं की पूरी सूची है और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं —

कुछ माननीय सदस्य : आप इसे सभा पटल पर रखें ।

श्री प्र० चं० सेठी : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम इस प्रश्न को कल उठाना चाहते हैं । हम इन पर सविस्तार चर्चा करना चाहते हैं । यह महत्वपूर्ण है ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं नाम पढ़ कर सुनाऊंगा ।

1. श्रीमती उदासी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम तथा डाकखाना अखिलासपुर (शाहाबाद) — 1962 से अध्यक्ष
2. विश्व अहिंसा संघ, 12-लेडी हार्डिंग रोड, नई दिल्ली — परामर्शदाता

3. अनसुया महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय वाराणसी, — संरक्षक

4. भोजपुरी समाज लाहिरी चैम्बर्स दलाल स्ट्रीट, बम्बई — संरक्षक

5. वैशाली बुद्ध बिहार समिति पोस्ट आफिस, गिड्डा, जिला-मुजफ्फरपुर — संरक्षक

6. इंडियन फोरम आफ यूथ, नई दिल्ली — संरक्षक

Shri Madhu Limaye : Why this was not given earlier. Our money is not so good.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं आगे पढ़ता हूँ।

7. कुष्ठ सेवा श्रम, श्री सर्वेश्वरी समूह, वाराणसी — संरक्षक

8. राजेन्द्र संस्मरण संग्रहालय संचालन समिति, बिहार विद्या पीठ, सदाकत आश्रम, पटना — सदस्य

9. राजेन्द्र मेमोरिअल रिसर्च इन्सटिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, हसन इमाम रोड, पटना, — सदस्य

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, it was your ruling earlier that when the statement is a lengthyone, it will be laid on the Table of the House and Members will be given copies in advance. It is clear that Shri Piloo Mody could not ask question without it because neither he nor we were given information in advance. So I request that priority of first number may be given to this as was done with my previous questions. Its priority should not be taken away.

श्री पीलु मोडी : यह एक अच्छा अनुरोध है।

श्री मधु लिमये : ऐसा हमेशा होता रहा है। It is the practice of the House that if the statement is lengthy then it should be given in advance. And if the Government is not in the position to give then by giving priority of first number. This question may be taken next week. It is the usual practice of the House.

Shri Kanwar Lal Gupta : You decide according to practice.

Shri Sheo Narain : I request the Government to make available all the required information. If it is not possible to make it available to-day it may be given later after three or four days but as no account they should make the information available to the House by the next week.

श्री प्र० चं० सेठी : यह मैं सभा पटल पर रख रहा हूं [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2101/69]

श्री पीलु मोदी : वे इसे सभा पटल पर रख रहे हैं।

श्री सेझियान : सदस्य सभा में प्रश्न पूछने के लिए आते हैं। हमें तारांकित प्रश्नों के उत्तर में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को पहले ही दे दिया जाता है। ऐसे सभी मामलों में

पत्रों का पहले ही परिचालन कर दिया जाता है ताकि सदस्य इनको पढ़ सकें तथा इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें। मन्त्री महोदय के पास पहले ही सूचना है, ऐसी बात नहीं है कि उनके पास सूचना उपलब्ध नहीं हैं। इनको छपवा कर अन्य उत्तरों के साथ हमें उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्री मधु लिमये : वे जानबूझ कर हमें सूचना नहीं देते हैं। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि इस समय कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जाये। मेरा सुझाव यह है कि वे इसको सभा पटल पर रखें ताकि कल या परसों इस प्रश्न को पूछा जा सके और सदस्य हमें दिए गए विवरण के आधार पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।

Shri Kanwar Lal Gupta : It is a very serious matter that charges of tax evasion have been levelled against Shri Jagjivan Ram and it is said that he evaded income-tax. It is a matter of regret that Government are showing favouritism and concealing the facts. This House should have a chance to put supplementaries and should be provided full information regarding this. And when the Finance Minister's turn comes next time than all the information may be given to the House so that members may ask questions and know which organisations have evaded the taxes.

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं श्री कंवर लाल गुप्त को बता देना चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार-विमर्श करने के लिए सहमत है, (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, जब आप अपना विनिर्णय दे रहे हैं तो वे इसमें कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं ?

श्री रघु रामैया : मैंने कहा है कि सरकार इस पर वाद विवाद करने को तैयार है।

Shri Rabi Ray : Mr. Chairman, when you are going to give your ruling then why he is interrupting in this way.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मन्त्री महोदय के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वादविवाद करना स्वीकार कर लिया है। यह पक्षपात का स्पष्ट मामला है, मैं इसको सिद्ध करूंगा।

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : संसद कार्य मंत्री ने इसके बारे में कह दिया है। पिछली बार जब यह प्रश्न आया था तो इस पर वाद विवाद करने की मांग उठाई गई थी, वे कह रहे थे कि हमें बकाया कर के समूचे प्रश्न पर आधा घंटा अथवा एक घन्टा चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : हमें मन्त्री महोदय के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। हम मन्त्री महोदय की निन्दा करना चाहते हैं।

श्री पीलु मोदी : कोई लाभदायक बातचीत होने से पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि आप इससे सहमत होंगे कि यदि मन्त्री महोदय प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में सूची सभा पटल पर रखने के अतिरिक्त भाग (ख) और (ग) के अंतर्गत मांगी गयी सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न करें क्योंकि इसी से वाद विवाद का प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। उन्होंने संगठनों के नाम बताये हैं। वे यह नहीं कह सकते कि इन विशेष बातों को सविस्तार बताना संभव नहीं है। यदि इसमें कुछ अधिक दिन लगते हैं तो व सूचना एकत्रित करके हमें दें।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा, जिसके साथ मंत्री महोदय विभिन्न हैसियतों उदाहरण के लिए संरक्षक, सदस्य आदि के पद से संबंधित हैं कुल कर देने के बारे में सूचना देने का प्रश्न है तो स्वभावतः इसमें समय लगेगा क्योंकि वे विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। जहाँ तक इस सूची का संबंध है मैं इसे सभा पटल पर रख रहा हूँ। जहां तक कर से संबंधित अन्य मामलों का संबंध है, प्रधान मंत्री महोदय इस पर वाद-विवाद करने को सहमत हो गई हैं। परन्तु जहां तक चुकाये गये कर का संबंध है, तो इसमें निश्चय ही समय लगेगा...

श्री पीलु मोदी : प्रश्न का भाग (ख) इन संगठनों द्वारा गत तीन वर्षों में अर्जित आय से संबंधित है। यह प्रश्न केवल पत्र अथवा तार द्वारा सूचना प्राप्त करने के बारे में है केवल यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या उन्होंने आय कर चुका दिया है। हम नहीं समझते कि इस पर समय कैसे लगेगा यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरी आय कितनी है और मैंने कितना कर चुकाया है तो यह सूचना देने में केवल पांच मिनट लगेंगे।

सभापति महोदय : सरकार इस प्रश्न पर आधा घंटा अथवा एक घण्टा वाद-विवाद करने को सहमत हो गई है। यदि माननीय सदस्य चाहें...

श्री राम कृष्ण गुप्त : इसके लिये 2 घंटे चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta : We have given Censure Motion. The Government should admit it.

श्री राम कृष्ण गुप्त : हम इस पर पूरे दिन वाद-विवाद करें।

सभापति महोदय : सारा दिन नहीं पर हम इस पर दो घंटे वाद विवाद कर सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : इस पर दो बातें हो सकती हैं। एक तो यह कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये। यह पहली बात है जिस पर आपको निर्णय देना है। दूसरी बात वाद-विवाद के बारे में है। हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने इस पर वाद-विवाद करना स्वीकार कर दिया है और कोई भी तिथि निर्धारित की जा सकती है परन्तु कृपया दोनों बातों को न मिलायें। इस पर अलग वाद-विवाद होगा और इस प्रश्न को अगले सप्ताह में किसी तिथि को अलग से लिया जायेगा। जो कि इसके लिये नियत की जायेगी।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य दोनों बातों को एक साथ नहीं ले सकते हैं। वे या तो इस पर एक घंटा या दो घंटा वाद-विवाद कर सकते हैं अथवा वे इसके अगले सप्ताह इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम आज इस प्रश्न को लें।

श्री रंगा : जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री पीलु मोडी ने कहा है चर्चा तभी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जबकि हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हो। सरकार को यह जानकारी स्वयं एकत्र करनी चाहिए तथा इसके लिये वह कुछ समय अर्थात एक अथवा दो सप्ताहों का समय ले सकती है। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। परन्तु उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए और

इसके बाद इस पर आधे घंटे की चर्चा करने के लिये सरकार द्वारा समय नियत किया जाना चाहिए। जानकारी प्राप्त हुए बिना इस विषय पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं होगा।

श्री पीलु मोदी : अन्यथा हम आक्षेप करना तथा आरोप लगाना आरम्भ कर देंगे तथा प्रधान मंत्री अत्याधिक नाराज हो जायेंगी।

सभापति महोदय : जैसा कि स्वतंत्र दल के नेता ने कहा है, हम इस पर कुछ सप्ताह बाद दो घण्टे की चर्चा करेंगे। इस बीच जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है। हम कर सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। परन्तु जहाँ तक विभिन्न संस्थाओं की आय का प्रश्न है। जिनसे माननीय मंत्री उनका सदस्य अथवा संरक्षक होने के नाते सम्बद्ध हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि वे संस्थान कई स्थानों पर स्थित हैं। भाग (ग) का सम्बन्ध उन विभिन्न संस्थानों द्वारा दिये गये आय कर विवरणी हैं। ये दो अलग-अलग प्रश्न हैं। एक प्रश्न विभिन्न संस्थाओं की आय से सम्बन्धित है तथा दूसरा प्रश्न उनके द्वारा देय आयकर के बारे में है।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है हमें विभिन्न संस्थाओं को पत्र भेजने होंगे तथा हम उन्हें इस बात के लिने बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वे एक अथवा दो सप्ताह के अन्दर अपने उत्तर भेजें। क्योंकि यह उन पर निर्भर है।

जहां तक भाग (ग) का सम्बन्ध है, जहां तक संभव होगा हम आयकर आयुक्तों को पत्र लिखेंगे तथा स्थिति का पता लगायेंगे।

श्री रंगा : दो बातों को परस्पर मिलाना नहीं चाहिए। जिन संस्थानों के वह संरक्षक हैं उनको चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि न तो वहां पर किये गये निर्णयों में वह भाग लेते हैं और न ही जिस प्रक्रिया का वे पालन करते हैं उसमें उनका हाथ होता है। सरकार केवल उन्हीं संगठनों की जाँच कराये जिनमें वह सक्रिय सदस्य हैं, या तो वह निदेशक हैं अथवा कोई और पदाधिकारी। तभी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

श्री पीलु मोदी : क्या वे संरक्षक के पत्र का उत्तर नहीं देंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : मेरा निवेदन है कि मैं सभा-पटल पर एक सूची रख देता हूँ। उससे माननीय सदस्यों को ज्ञात हो जायेगा कि श्री जगजीवन राम किन संस्थानों के संरक्षक हैं अथवा कोई और अधिकारी हैं...

श्री पीलु मोदी : हम माननीय मंत्री से जानकारी चाहते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : किन्तु माननीय सदस्यों को केवल उन संस्थानों के बारे में ही जानकारी मांगनी चाहिए जिनके श्री जगजीवन राम सक्रिय सदस्य हैं। इससे कार्य भार में कुछ कमी होगी।

श्री पीलु मोदी : जो कुछ मंत्री महोदय छुपाना चाहते हैं वह जानकारी प्रस्तुत न करें।

Shri Jagannath Rao Joshi : He has put a clear question. Government should find out the whole position. The questions are tabled one month earlier.

श्री सु० कु० तापड़िया : उन्होंने केवल आधी जानकारी दी है।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा करने के सम्बन्ध में हम सभी एक मत हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय ने कहा है कि विभिन्न सूत्रों से जानकारी एकत्र की जायेगी। किन्तु हम समझते हैं, और यह आवश्यक भी है, कि इन सभी न्यासों और संस्थाओं के भारतीय संस्था पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा इन सभी संस्थाओं को अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिये। यदि माननीय मंत्री संस्थाओं के रजिस्ट्रार से सम्बन्ध स्थापित करें तो उनको रजिस्ट्रार से वार्षिक विवरण प्राप्त हो सकता है। इन विवरणों में संस्थाओं द्वारा दिये गये कर का उल्लेख भी होता है। यदि विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये तो इसका आशय यह हुआ कि संस्थाओं में एक और अनियमितता बरती जा रही है। यह जानकारी मंत्री महोदय को संस्थाओं के रजिस्ट्रार से प्राप्त हो सकती है।

Shri Madhu Limaye : Why are you not giving your ruling ? Shri Piloo Mody has demanded that after supplying the information this question may be taken the next week. The question of discussing on it is something else. Since his question has been admitted, he should be supplied with full information. He is not well and, therefore, he does not get the opportunity of seeking the information. I am requesting you on his behalf.

Shri Madhu Limaye : The sight of putting questions cannot be given up.

श्री राम किशन गुप्त : एक घंटे की अपेक्षा पूरे दिन की चर्चा कर दी जाय।

श्री मधु लिमये : प्रश्न और चीज है और चर्चा दूसरी चीज है। आप दो विभिन्न बातों को मिला रहे हैं।

सभापति महोदय : जिस समय प्रश्न लिया गया था तब इस विषय पर चर्चा करने की माग की गई थी। सभा ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया था।

श्री बलराज मधोक : आप दो विभिन्न बातों को मिला रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं दोनों बातों की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बलराज मधोक : जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है आप उसमें अपने विवेक से काम नहीं ले सकते। प्रश्न स्वीकृत हो चुका है तथा उसका उत्तर भी देना ही पड़ेगा। इस सम्बन्ध में आप अपना कोई निर्णय नहीं दे सकते। इसका उत्तर अगले सप्ताह भी दिया जा सकता है। चर्चा के सम्बन्ध में आप अपना स्वविवेक प्रयोग कर सकते हैं तथा उसकी अनुमति आप आज के लिये या किसी अन्य दिन के लिये दे सकते हैं।

श्री सोनावने : आप अपना विनिर्णय दे चुके हैं और माननीय सदस्य उसे कैसे चुनौती दे सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : मैं नियमों के अनुसार बोल रहा हूं। जब एक प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है उसका उत्तर देना ही होता है। नियम यही है।

श्री सोनावने : विनिर्णय का भी पालन करना आवश्यक है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I mean to say that if this question be answered today, you might have allowed to have a discussion on it. That is a different thing. As a matter of fact it is his right to have a answer to the question which has been already admitted. He has been given priority and that should be considered first. The matter of having a discussion is different.

श्री एस० आर० दामानी : इस सम्बन्ध में विनिर्णय दिया जा चुका है और उन्हें उसका पालन करना चाहिये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह सिद्धान्त का मामला है ।

Shri Madhu Limaye : There is no question of any body's kindness or favour Shri Imam's resolution has been admitted. It will be discussed on Friday. Now discussion is going on Private Member's Resolution.

सभापति महोदय : जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि सब सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा करने का अनुरोध किया है और सरकार इस बात पर सहमत हो गई है क्योंकि......

श्री कंवर लाल गुप्त : जी, नहीं । हमने प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहले नोटिस दिये हैं ।

श्री पीलु मोदी : हम सरकार के दान पर निर्भर नहीं रहते ।

सभापति महोदय : कोई भी सरकार के दान पर निर्भर नहीं रहता ।

श्री सोनावने : श्री मधु लिमये ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है जिस शब्द का इस समय में प्रयोग नहीं किया जा सकता । क्या वह शब्द संसदीय है ? यदि वह शब्द संसदीय नहीं है तो उसे सभी की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये । मुझे आशा है आपने इस शब्द का अर्थ समझ लिया है । मैं वह शब्द बोलना नहीं चाहता । वह बहुत ही असंसदीय है और गंदा है और उन्हें वह शब्द नहीं कहना चाहिये था ।

सभापति महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे ।

श्री कंवर लाल गुप्त : लेकिन मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

सभापति महोदय : यदि वह प्रश्न पूछते रहेंगे तो अन्य विषयो पर चर्चा नहीं की जा सकेगी ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आप अपना मतलब दोनों तरह से पूरा नहीं कर सकते ।

श्री पीलू मोदी : वह किस आधार पर प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री हेम बरुआ : प्रश्न तीन भागों में है । मंत्री महोदय ने प्रश्न के केवल भाग (क) का उत्तर दिया है भाग (ख) और (ग) का उत्तर नहीं दिया है । अतः प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है । अतः आप मंत्री महोदय से पूरी जानकारी देने को कहें । यदि वह उत्तर नहीं देते तो

प्रश्न स्वभावतया अगले दिन के लिये स्थगित हो जाता है । यह केवल तर्क संगत है । इससे यह विदित होता है कि मंत्री महोदय को प्रश्न के दोनों भागों के बारे में जानकारी नहीं है या वह जानबूझकर जानकारी नहीं देना चाहते । मंत्री महोदय प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तरों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं । मंत्री महोदय जब प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो आपको उस प्रश्न को अगले दिन के लिये स्थगित करने का अधिकार है और आप मंत्री महोदय से इस बीच जानकारी एकत्रित करने का अनुरोध कर सकते हैं । श्री पीलू मोदी केवल यही रियायत दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि क्या हमें इसके बाद चर्चा करनी चाहिये ?

श्री पीलू मोदी : हम चर्चा नहीं चाहते । लेकिन हम प्रश्न का उत्तर चाहते ह ।

श्री प्र० चं० सेठी : श्री हेम बरुआ द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में मैं यह कहूँगा कि हम जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं । संस्थाओं से जानकारी एकत्रित करने में समय लगता है ।

श्री मधु लिमये : उन्हें 20 दिन का नोटिस दिया गया था ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : इस प्रश्न का उत्तर आज दिया जाना चाहिये या किसी अन्य दिन दिया जाना चाहिये । यह बहुत सरल है ।

श्री शिव नारायण : जब आपने प्रश्न को स्वीकार कर लिया हैं, तो वह सभा की सम्पत्ति हो जाता है और हमारे संरक्षक की हैसियत से आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये और सरकार को जानकारी प्राप्त करवाने में सहायता देनी चाहिये । यदि सरकार आज उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, तो आप इसे आगे के लिये स्थगित कर सकते हूँ और उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं । चर्चा सरकार से प्राप्त उत्तर के आधार पर की जानी चाहिये । चूंकि आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस अल्प संख्यक सरकार से उक्त प्रश्न का उचित उत्तर देने का अनुरोध करें । तब ही हम इस विषय पर आगे चर्चा कर सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूरे प्रश्न काल को एक प्रश्न पर चर्चा करने में व्यतीत नहीं किया जा सकता । कृपया इस मामले में आप अपना विनिर्णय दें ।

Shri Shiv Chandra Jha : Please allow me to express a few words before you give your rulings. My question is in connection with the relation of the Food Minister with various institutions. Please see Part (c) of the question. It has been asked in that question that—

> "The details of income-tax paid by these organisations on their earnings during the corresponding period."

It is for this reason that the hon. Minister has agreed to give its reply in the next or the second week. This part also relates to the Ex-Finance Minister. Therefore, please permit us to ask a question from him also.

सभापति महोदय : मुझे इस विषय पर सभा का मत जानने का अवसर दें ।

श्री लकप्पा : इस बारे में दो विभिन्न आरोप हैं। आपने मेरा पहला आरोप स्वीकार कर लिया है और दो घंटे की चर्चा की अनुमति दी थी। प्रश्न यह है कि यह दो घटे की चर्चा की अनुमति दोनों आरोपों के बारे में दी गयी है या प्रत्येक आरोप के बारे में यही मेरा प्रश्न है। दो आरोप हैं। भूतपूर्व वित्त मंत्री भी इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं। इसका सम्बन्ध सिन्डीकेट तथा इंडीकेट दोनों से ही है और हम पूरा ब्यौरा चाहते हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी कहते हैं कि वह इस सम्बन्ध में पन्द्रह दिन के भीतर जानकारी एकत्रित कर लेंगे। इसलिये इस प्रश्न को हम आज से पन्द्रह दिन बाद सोमवार तक के लिये स्थगित करेंगे। इस पर आगे इस समय कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री रंगा : जब मंत्री जी चर्चा के लिये सहमत हैं, तो आप क्यों कहते हैं कि कोई चर्चा नहीं होगी।

सभापति महोदय : प्रश्न 152.

Shri Shiv Chandra Jha : Question No. 161 may be taken up together with this as it pertains to the same subject.

श्री वामानी : प्रश्न 153 को भी इसी के साथ ले लिया जाये।

सभापति महोदय : केवल एक प्रश्न।

सरकारी उपक्रमों का कार्य संचालन

+

*152. श्री भोगेन्द्र झा :
श्री झारखंडे राय :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इसहाक सांभली :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्यवाही की है कि सरकारी उपक्रम दक्षतापूर्वक काम करें; और

(ख) इन उपक्रमों की पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) सरकारी उद्यमों के काम पर बराबर नजर रखी जाती है जिससे उनकी कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके।

(ख) सरकारी उद्यमों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं वे 2? फरवरी 1969 को बजट-पत्रों के साथ परिचारित किये गये 'सरकारी क्षेत्र के उद्यम-ज्ञापन" में बताये गये हैं। मोटे तौर पर, जिन उद्यमों को क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न

होने की समस्या का सामना करना पड़ता है, वे निम्नलिखित दिशाओं में यथासम्भव उपाय कर रहे हैं।

1. उत्पादन में विविधता लाना ;
2. निर्यात को प्रोत्साहन देना ;
3. अन्य सरकारी उद्यमों की आवश्यकताओं के साथ समन्वय स्थापित करना ;
4. प्रबन्ध सम्बन्धी आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को लागू करना जिससे प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य कुशलता का और अधिक विकास करने में सहायता मिल सके।

Shri Bhogendra Jha: The reply given by the hon. Minister is quite vague. It involves also the question of basic policy in regard to Government establishments. There is a section in our country which is engaged in sabotaging the Government installations and they are deliberately hitting them from within. Shri Bharat Ram was the Chairman of Indian Airlines till recently. His case was also raised on the floor of this House and it was made a sobject-matter of enquiry. Dugles Company had addressed a letter that they would offer 75,000 dollars per craft as bribe if their aircrafts were purchased by the I. A. C. This is also known to us that Shri Tata is still the Chairman of Air India. He was adament to have the Jambo Jets purchased from U. S. A. What is the result of the investigation by the C. B. I. into this matter which was referred to them?

If it was not referred to them would it be referred to them now? May I know whether it would be ascertained if Tata was in collusion with any of the shareholders of this American Jambo Jet Company and whether he had claimed any commission for this deal?

The second part of my question is whether the elected representatives of the workers will be included in the Management.

Thirdly, I want to know the existing number of such high officials in the Public Sector establishments as have no faith in Socialism or in Public Sector and their relations are serving in the Private Sector. These officers are used by the Capitalism and Private Sector as their instruments to harm the Public Undertakings from within they work as their agents in the Public Sector establishments.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने वास्तव में तीन या चार सवाल पूछे हैं। खुद मुख्य प्रश्न में यह पूछा गया है कि सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्यवाही की है कि सरकारी उपक्रम दक्षता पूर्वक कार्य करें और इन उपक्रमों की पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। यदि वह किसी विशेष उपक्रम अथवा किसी खरीद विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनसे सम्बन्धित मंत्रालय से प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा। वित्त मंत्रालय के सरकारी उपक्रम ब्यूरो का सम्बन्ध सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित सामान्य नीतियों से है।

जहां तक प्रबन्ध में मजदूरों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सम्बन्ध है, हमने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश स्वीकार करली हैं और हमने मजदूरों से वातचीत शुरू कर दी है। एक कारखाने में एक से अधिक कार्मिक संघ होने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समस्या यह है कि प्रतिनिधि कैसे लिये जायें। इस बारे में हम विचार-विमर्श कर रहे हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के रिश्तेदारों का गैर सरकारी क्षेत्र में होने का

सम्बन्ध है, हम ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति का रिश्तेदार गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकता ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य एक साथ कई प्रश्न न पूछें ।

Shri Bhogendra Jha : Sir, we want categorical reply from the Minister. I want to know whether Government have adopted a policy to make it obligatory on the post of Government but every public undertaking would include workers' representatives in their management and if so, the time by which this policy will be implemented.

It appears that the present poliey of the Government is to select high officials from the Private Sector and appoint them in the Public Undertakings. They have no faith in nationalisation and the Public Sector interprises. They generally make adverse observations about them. So far as the Ministry of Finance is concerned, Shri Bhide of L. I. C. has openly ignored the policy approved of by House and approved by the Government. If the duty to watch over the milk is assigned to the cat, the nation will go to the dogs. This very policy provides an opportunity to the agents of Capitalists to say that Public Undertakings are running at loss and as such they have failed miserably. So I want a categorical assurance from the Government that such officials as express themselves openly against the Public Sector would not be appointed to key posts in the Public Uudertakings in future.

Shri P. C. Sethi : I am grateful to the hon. Minister that he has asked the question in an appropriate manner. So far as participation of workers' representatives in management is concerned, as I have already stated, we have accepted the recommendation of the ARC and have started negotiations with the representatives of workers. It is very difficult to say when this policy will be enforced. In some public enterprises it will be introduced early and in some other undertakings some delay may be caused due to multiplicity of unions. It will not be good to fix a time limit. I can assure the House that we are pursuing the matter in all earnestness.

We will try earnestly to see that only such people are taken in the public enterprises as have faith in them.

Shri Jharkhande Rai : Keeping in view the general complaint against the public undertakings—which is to some extent correct also—that they lack ability and efficiency and are running at loss constantly, and in one year they have suffered a loss to the tune of Rs. 80 crores, may I know whether Government propose to set up a high powered Commission to go into all these aspects and suggest ways and means to improve efficiency and ability in the Public Sector make them profitable so that one of the main charge of the supporters of the Capitalistic against Socialism, nationalisation and Public Sector would be refuted.

Shri P. C. Sethi : It will not be correct to say that all the public undertakings are incurring losses. Somo of the enterprises have earned profits also. It is correct to say some undertakings have suffered losses due to under utilisation and other reasons. An all out effort is being made to improve the situation. But apart from looking at the Balance Sheet, we have to take into account that the value of exports from the public undertakings will reach about Rs. 75 crores this year as against Rs. 48 crores last year. Besides, they have played a very important role in the manufacture of import substitution and infrastructure of industries. I do not say that there is no scope for improvement in our Public Sector enterprises. Efforts are being made to make improvement where there is scope for that, to utilise full capacity and to adopt diversification. We have no intention to appoint any Commission for the purpose.

श्री ही० ना० मुकर्जी : भाग (ख) के उत्तर में मंत्री जी ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में गत फरवरी में प्रकाशित ज्ञापन का उल्लेख किया है लेकिन हमें उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं मिलती सिवाय इसके कि उसमें उत्पादनों की मांगों में वृद्धि की वान्छनीयता तथा प्रबन्ध और संचालन सम्बन्धी कुशलता में सुधार के बारे में कुछ सामान्य विचार व्यक्त किये गये हैं। इस ज्ञापन के सामान्य स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए, मैं एक बात का स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। 1967-68 में सरकारी क्षेत्र के 31 उपक्रमों को 48 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ हुआ और अन्य 24 उपक्रमों ने 8 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दिखाया, अर्थात् कुल शुद्ध हानि 35 करोड़ रुपये की हुई। वर्ष 1968-69 में क्या स्थिति है ? क्या मैं जान सकता हूँ कि 35 करोड़ रुपये की इस शुद्ध हानि की तुलना में क्या हमने इस मामले में कोई अच्छी प्रगति की है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमें अभी सभी उपक्रमों से सन्तुलन-पत्र नहीं मिले हैं इस लिये इस वर्ष के बारे में तुलनात्मक रूप से इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से हर तीन महीने के आंकड़े प्राप्त होते हैं। वह बता सकते है, किन्तु जानबूझकर नहीं बता रहें हैं **(अन्तर्बाधाएं)** वह केवल इतना ही बता दें कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 1968-69 में हानि कम होगी। क्या गत वर्ष की अपेक्षा 1968-69 में हानि कम होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : जब तक हमारे पास आंकड़े न हों, एकदम ऐसा कहना वांछनीय नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूँ कि सरकार यह स्वीकार करेगी कि क्षमताओं का पूरा उपयोग न हो पाने का एक कारण यह है कि कई परियोजनाओं की क्षमता निर्धारित करते समय उनकी सम्भावित मांग पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया था। मंत्री महोदय ने उत्पादन में विविधता लाने की जो बात कही है वह इसी कारण है कि मूलतः जिस प्रयोजन से परियोजनाओं की स्थापना हुई थी, उसके अनुसार उनके माल की मांग नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि क्षमताओं का बेमेल आयोजन करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? जब क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा तो इन पर बहुत भारी धन व्यय क्यों किया जा रहा है। प्रारम्भ में निर्धारित क्षमताओं के अनुसार मांग पैदा करने के उपाय क्यों नहीं किए जाते ?

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इन संयंत्रों का एक निश्चित क्षमता को दृष्टि में रखकर निर्माण किया गया है। मांग घटने का कारण यह है कि क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। जहाँ भी उत्पादनों में फेर-बदल सम्भव था, किया गया है। परन्तु यह सत्य है कि संयंत्रों का निर्माण अधिक क्षमता के लिए किया गया था, परन्तु उसके अनुरूप मांग प्राप्त नहीं हो सकी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : इस त्रुटिपूर्ण आयोजना के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि तीसरी और चौथी योजना के दौरान योजना अवकाश रखना पड़ा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निजी विमान, विलासतापूर्ण अतिथिगृहों आदि पर होने वाले भारी खर्च को कम क्यों नहीं किया जाता ।

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसा ही किया जा रहा है और किया जाएगा । कर्मचारियों के आवास तथा अन्य सुविधाओं पर ही हमने 17 करोड़ रुपया व्यय किया है ।

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Is the steel etc. manufactured by Public Sector Undertakings being sold at prices below the international market prices ? Is it also a fact that retired officers, army officers and Government officers and other people who have no faith in Public Sector are employed there. Whenever persons having faith in Public Sector are appointed in the capacity of incharge in some public sector enterprises the results are very promising. Will the hon. Minister give specific assurance that in future only such officers, who have faith in Public Sector would be engaged ?

श्री प्र० चं० सेठी : अन्तरराष्ट्रीय बाजार में हमें सस्ते दामों पर माल देना पड़ता है ? हमने इस्पात के निर्यात को बढ़ाया है परन्तु हमें सस्ते मूल्य में माल भेजना पड़ता है, जिससे हमें कुछ हानि होती है । इस समय भी नीति यही है कि सरकारी क्षेत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को ही वहां नियुक्त किया जाता है ।

Shri Ishaq Sambhali : I wanted to know why we sold our steel at lower rates in the international market ?

Shri P. C. Sethi : Because we have to face competition in the international market and prices have to be competitive.

Shri Sarjoo Pandey : This question has been asked from the hon. Minister in various firms, whether or not the Government propose to remove those persons who have views identical to the views held by the syndicate people.

Secondly, in order to spoil the Heavy Engineering Corporation, which is being run with the co-operation of Socialist countries, Jan Sangh created Hindu-Muslim riots in Ranchi......

श्री बलराज मधोक : मुझे इस टिप्पणी पर आपत्ति है इसे वापिस लिया जाना चाहिए । उपद्रव साम्यवादियों द्वारा आयोजित किए गये थे ।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

श्री बलराज मधोक : वे जनसंघ के बारे में अपने शब्दों को वापिस लें या आप उसे कार्य-वाही वृतान्त से निकाल दीजिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : These riots were created by the communists who are agents of either Russia or China. They should be turned out of the country.

श्री बलराज मधोक : आपसे पूर्ववर्ती सभापति ने विनिर्णय दिया था कि किसी भी दल पर आक्षेप नहीं होना चाहिए ।

Shri Bhogendra Jha : Such interruptions would not do. Let the hon. Minister reply first.

Shri Ramavtar Shastri : Let us have a reply first.

Shri P. C. Sethi : I have just now stated that we shall keep only those officers who have faith in our policies. If it comes to our knowledge that some people are working against the Government policies, action would be taken against them. There was great loss due to the communal riots in Ranchi. We should all endeavour to create conditions under which riots may not take place again. I am not in a position to say as to which party is responsible for creating such trouble.

श्री बलराज मधोक : मैं प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को चेतावनी देता हूँ कि वे ठीक तरह से व्यवहार करें। यदि वे उनके सहयोगी हैं और कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यह नहीं चलने दिया जाएगा। हम इसे सहन नहीं करेंगे।

Shri Randhir Singh : All these persons should be black listed and not allowed to speak for a week.

Shri Hardayal Devgun : I rise on a point of order. When you decided that the question was irrelevant, why did the hon. Minister reply to it ?

Mr. Chairman : There is no point of order in it.

Shri Hardyal Devgun : You cannot allow insinuation in questions. Why do you then allow such questions ?

Shri K. M. Madhukar : The Bokaro Steel, which is the biggest Steel Factory in Asia, has given a big part of their work to private companies. That has reduced its prestige. There are persons on its management who join with private agents and contractors and create troubles in the functioning of the factory. Labourers are deprived of the work. Does the Government propose to stop giving work to private agencies ? You have said that Shri Tata is Chairman of A. I. C. and Shri Midhe is Chairman of L. I. C. These persons have declared that they do not have faith in such policies.

श्री प्र० चं० सेठी : इस प्रश्न को सम्बन्धित मंत्री से पूछा जा सकता है। जहां तक टाटा का सम्बन्ध है, हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने एयर इंडिया में प्रशंसनीय कार्य किया है। सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों के बारे में हमें उनके कार्य को देखकर अनुमान लगाना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति का कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो उसे दण्ड दिया जायेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Demand of Gas for Domestic and Industrial use

*153. **Shri Atal Bihari Vajpayee** :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri Yajna Datt Sharma :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the State-wise demand for Gas in the country for domestic and industrial use and the extent to which it is met ; and

(b) the steps taken so far to meet the shortage, the result achieved and the details of the future plan ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) It is presumed that the question refers to Liquefied Petroleum Gas. Except for Kerosene Oil, no assessment is made to determine the State-wise demand for petroleum products, including liquefied petroleum gas required for domestic and industrial use. In the absence of such an assessment, it is not possible to indicate the extent to which the demand is being met.

(b) In the last five years, the supply of liquefied petroleum gas has been increased from 30,104 tonnes in 1964 to 99,886 tonnes in 1968. In the current year, the sales are expected to approximate 1,30,000 tonnes. This represents a 34% compound growth rate, which is by far the fastest for any petroleum product. It is planned to increase the availability of gas in the next five years by 100%.

तरल पैट्रोलियम गैस की कमी

*154. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी तीन से पांच वर्षों के दौरान भारत में तरल पेट्रोलियम गैस की भारी कमी रहेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थिति का समय पर सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) समय पर मांग की पूर्ति हो, प्रयोजनार्थ पहले से क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). खाना बनाने की गैस की मांग वास्तविक उत्पादन के अनुसार रखी जाती है। अतः कमी होने की कोई संभावना नहीं है। 9 चालू शोधक कारखानों में से 6 शोधक कारखानों में पहले से ही तरल पैट्रोलियम गैस बनाई जा रही है। निकट भविष्य में एक और कारखाने में उत्पादन शुरू हो जायेगा। इससे अलावा एक दूसरे शोधक कारखाने में भी तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन की सुविधाएं बढ़ाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। हल्दिया के नये तेल शोधक कारखने के रुपांकन में तरल पैट्रोलियम गैस का उत्पादन शामिल है। इस तरह तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी जिससे भविष्य में उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या की माँग पूरी की जा सकेगी।

विभिन्न उत्पादों में सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार

*155. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उत्पादों में सरकारी क्षेत्र को लगभग एकाधिकार प्राप्त है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादों की लागत और मूल्य बहुत अधिक है और उनके मूल्य समय-समय पर बढ़ाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या कभी सरकारी क्षेत्र में आने वाली लागत और मूल्यों की तुलना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से की गई है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकने का विचार है और सही लागत और मूल्यों का मूल्यांकन कैसे करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह बात सही है कि वायुयानों, बिजली के भारी उपकरणों जैसे बिजली पैदा करने वाले बहुत भारी संयंत्रों, ट्रैक्शन उपकरणों आदि वस्तुओं के निर्माण के क्षेत्र में सरकारी उपक्रमों को एकाधिकार या एकाधिकार जसी सुविधा प्राप्त है।

(ख) सरकारी उपक्रमों द्वारा लगभग एक-मात्र सम्भरक के रूप में उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले खर्च और इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के बारे में कोई सामान्य सिद्धान्त नहीं कायम किया जा सकता।

(ग) और (घ). जो सरकारी उपक्रम एकाधिकार या अर्ध-एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठाकर काम कर रहे हैं उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्य निश्चित करने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाला स्थूल नीति के बारे में मागदर्शक सिद्धान्त पहले ही जारी किये जा चुके हैं। इन मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी उल्लेख किया गया है कि उत्पादन करने वाले एककों और खरीदारों को, एक-सी वस्तुओं के जहाज पर से उतरते मूल्य की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत मूल्यों को निर्धारित करने के लिए बातचीत करने और उस सम्बन्ध में सहमति से निपटारा करने की खुली छूट होगी। किन्तु यदि सम्बद्ध पार्टियों के बीच समझौता न हो सके या यदि उत्पादन करने वाला एकक किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण, जहाज पर से उतरते मूल्य की अपेक्षा अधिक मूल्यों की मांग करे तो उपक्रम इस विषय पर सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय की मार्फत वित्त मंत्रालय और सरकारी उद्यम कार्यालय के साथ लिखा-पढ़ी करेगा ताकि सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रख कर उचित मूल्य निर्धारित किया जा सके।

सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति कर्मचारी

*156. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) वे अपने-अपने संवर्ग में किन-किन पदों पर हैं तथा उनका वेतन कितना-कितना है तथा उपक्रमों में वे किन-किन पदों पर हैं तथा उनका वेतन कितना-कितना है ;

(ग) प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले कितने कर्मचारियों को औद्योगिक व्यापार प्रबन्ध का अनुभव अथवा तत्संबन्धी जानकारी थी ; और

(घ) क्या सरकार समझती है कि यह प्रबन्ध संतोषजनक है और यदि नहीं ; तो इन उपक्रमों में उचित व्यक्ति नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथा समय सभा की मेज पर रख दिया जायगा ;

(ख) इन अधिकांश प्रतिनियुक्त व्यक्तियों ने सरकारी उद्यमों में काफी समय तक काम किया है और इन उद्यमों में प्रतिनियुक्त होने के बाद इनकी अपने मूल विभागों में पदोन्नति हो गयी होती । इसलिए उन्हें सरकारी उद्यमों में इस समय जो परिलब्धियां प्राप्त होती हैं उनकी तुलना उन परिलब्धियों से करना उचित नहीं होगा, जो उन्हें उनके मूल विभागों में कार्यपालक पदों पर काम करते हुए मिलतीं ।

(ग) प्रतिनियुक्त व्यक्तियों में बहुत से व्यक्ति सरकारी उद्यमों में कनिष्ठ (जूनियर) पदों पर काम कर रहे हैं जिनके लिए इन उद्यमों में नौकरी का पुराना अनुभव होने का सवाल पैदा ही नहीं होता । उच्च स्तर के अधिकारियों में भी बहुत से अधिकारी डाक और तार विभाग रेल विभाग, औद्योगिक प्रबन्धक निकाय के अधिकारी और रक्षा सेवाओं में आपात-काल में भर्ती किये गये अधिकारी हैं जिन्हें उत्पादन, प्रबन्ध कर्मचारी-प्रबन्ध आदि मामलों का काफी अनुभव प्राप्त है । कई सरकारी अधिकारियों को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अपेक्षाकृत कनिष्ठ पदों पर काम करके काफी औद्योगिक अनुभव प्राप्त हो गया है और उन्होंने इन उद्यमों में काफी उन्नति की है ।

सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पदों को प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों से भरने की प्रथा को वांछनीय नहीं समझती । इसे देखते हुए, सरकार ने हाल ही में निश्चय किया है कि सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति उन सरकारी अधिकारियों को, जिन्हें औद्योगिक कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाय, सामान्य रूप से यह कहा जाना चाहिए कि वे सरकारी नौकरी से पद-त्याग करने और सम्बद्ध सरकारी उद्यम में स्थायी रूप से नियुक्त होने (या) अपने मूल संवर्ग में लौटने के दो विकल्पों में से एक को चुन लें ।

सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक

***157. श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री रवि राय :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इनके मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक उन उपक्रमों के कर्मचारियों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के बारे में अक्तूबर, 1969 में बुलाई गई थी ;

(ख) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि कर्मचारी गलत चयन, मनमाने ढंग से सेवामुक्त करने तथा अनुचित पदोन्नतियां किये जाने के बारे में असंतुष्ट हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर बातचीत की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। वित्त मन्त्रालय ने अक्तूबर, 1969 में सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की कोई बैठक नहीं बुलायी थी।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पिछड़े राज्यों में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा औद्योगिक सार्थों को ऋण

*158. **श्री अविचल :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम की पिछड़े राज्यों के औद्योगिक सार्थों को उदार शर्तों पर ऋण देने की कोई योजना है, यदि हां, तो इस योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) योजना और ऋण की शर्तों का ब्योरा क्या है और ऋण देने में क्या कसौटी अपनाई जायेगी ; और

(ग) इस योजना के अन्तगत किन उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने, पिछड़े हुए राज्यों/क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों को रियायती शर्तों पर ऋण देने के लिये अस्थायी रूप से कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं। इन रियायती शर्तों पर सहायता देने के लिये, अलग से कोई रकम निर्धारित नहीं की गयी है।

(ख) इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) ब्याज की प्रभावी दर में कमी (सामान्य प्रभावी दर 8 प्रतिशत है) ;

(2) जमानत की सीमा (मार्जिन आफ सिक्योरिटी) को कम करना (इस सम्बन्ध में निगम का उद्देश्य 50 प्रतिशत होता है) ;

(3) ऋण परिशोधन की प्रारम्भिक आस्थगन अवधि (मोरैटोरियम पीरियड) में वृद्धि करना ;

(4) ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाना ;

(5) प्रायोजना की लागत में निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक योगदान दिया जाना, जिसमें शेयरों आदि की बिक्री का जिम्मा लिये जाने के रूप में सामान्य शेयर पूंजी और तरजी ही शेयर-पूंजी में हिस्सा लेना भी शामिल है ; और

(6) सहायता सम्बन्धी आवेदन पत्रों की जांच के खर्च में कमी करना और कानूनी खर्च और प्रासंगिक व्यय की वसूली में राहत देना।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में स्थित छोटे पैमाने और दरमियाने दर्जे के उद्योग इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे।

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं में राज्यवार विनियोजन

*159. श्री जे० एच० पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, राज्यवार, केन्द्रीय उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य की उपेक्षा की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1951-69 के दौरान विभिन्न राज्यों ने केन्द्रीय औद्योगिक प्रायोजनाओं में लगी हुई पूंजी के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	करोड़ रुपयों में
आन्ध्र प्रदेश	87.3
असम	40.2
बिहार	356.5
गुजरात	48.0
जम्मू और कश्मीर	—
केरल	68.3
महाराष्ट्र	49.9
मध्य प्रदेश	459.1
तमिलनाडु	245.8
मैसूर	48.4
उड़ीसा	418.1
पंजाब	32.3
हरियाणा	8.5
राजस्थान	30.5
उत्तर प्रदेश	147.9
पश्चिम बंगाल	408.2
दिल्ली	0.8

(ख) जी, नहीं ।

सरकारी उपक्रमों में घाटा

*160. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार प्रमुख सरकारी उपक्रमों ने अपने क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त होने के बावजूद चालू वर्ष में घाटा दिखाया है ; और

(ख) क्या केन्द्र में सम्बन्धित मंत्रालय संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर पूरा ध्यान देते हैं और शीघ्र और प्रभावशाली रूप में उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य के ध्यान में कौन से चार उपक्रम हैं। 1968-69 के सम्बन्ध में अभी तक सब उपक्रमों के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन ग्यारह मुख्य उपक्रमों के लेखे प्राप्त हुए हैं, उनमें से पांच को शुद्ध हानि हुई है, परन्तु हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को छोड़कर अन्य तीन उपक्रमों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अपने क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त है।

(ख) जी, हां।

सरकरी उपक्रमों के उत्पादों के मूल्य

*161. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी उपक्रमों में बने माल को अन्य सरकारी उपक्रमों को लागत मूल्य पर बेचने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो महत्वपूर्ण वस्तुओं में गैर-सरकारी उद्योगों के उत्पादों की तुलना में सरकारी उपक्रमों के उत्पादों के वर्तमान मूल्य कैसे हैं और यदि कोई विषमता है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) उन सरकारी उद्यमों की मूल्य सम्बन्धी नीतियों के बारे में जो देश के अन्य एककों के साथ प्रतियोगितात्मक आधार पर माल तैयार रहते हैं और सेवाएं प्रस्तुत करते हैं, सरकार द्वारा जारी किये गये मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, बाजार की मांग और पूर्ति सम्बन्धी सामान्य प्रवृत्तियां लागू होंगी और उनके द्वारा तैयार माल का मूल्य सामान्य रूप से, बाजार में विद्यमान प्रतियोगी शक्तियों के अनुसार निर्धारित किया जायगा।

गुजरात में केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं

*162. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसी कौन-कौन सी केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं हैं जिनके सम्बन्ध में योजना आयोग ने विस्तार की स्वीकृति दी है ;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर क्या लाभ पहुंचने की संभावनाएं हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में गुजरात राज्य में उद्योगों और खनिजों सम्बन्धी निम्नलिखित केन्द्रीय कार्यक्रम शुरू करने का विचार है :

(1) गुजरात एल्यूमिना संयंत्र

(2) गुजरात एरोमेटिक प्रायोजना

(3) गुजरात नेप्था क्रैकर

(i) एथीलीन, प्रोपोलीन का निर्माण

(ii) बेन्जीन का निस्सारण

(iii) बुटाडीन (कृत्रिम रबड़ सहित)

(ख) इन प्रायोजनाओं पर अब तक किये गये खर्च का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है, किन्तु चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1969-74) के प्रारूप में इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित परिव्यय 51.32 करोड़ रुपये बैठता है ।

(ग) कोयले के तेल शोधक कारखाने की स्थापना हो जाने से, इस कारखाने के उपात्पादों पर आधारित कई रासायनिक उद्योगों और सम्बद्ध उद्योगों के विकास की सम्भावना बन गयी है । एरोमेटिक संयंत्र और नेप्था क्रैकर संयंत्र की स्थापना होने पर, कृत्रिम रेशों और कृत्रिम रबड़ के लिए आवश्यक बुनियादी मध्यवर्त्ती वस्तुएं उपलब्ध हो जायंगी । इन बातों का आयात-प्रतिस्थापन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा है ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया से राज्यों द्वारा अधिक धन निकाला जाना

*163. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से स्वीकृत जमा राशि से अधिक राशि देने का अनुरोध किया था और उड़ीसा को छोड़कर अन्य राज्यों को यह स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य के प्रति यह अपवाद क्यों किया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने इन राज्यों का दौरा करके इस बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान के बारे में क्या सिफारिशें की गई हैं ताकि वह अपने संसाधनों का उपयोग कर सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक, सभी राज्यों पर लागू होने वाले समान सिद्धान्तों के आधार पर जमा से अधिक रकमों की निकासी (अल्पावधिक ऋण) की इजाजत देता है । हर एक राज्य से यह आशा की जाती है कि वह रिजर्व बैंक से अनधिकृत रूप में जमा से ज्यादा रकम नहीं निकालेगा । उड़ीसा के मामले में भी अपवाद के तौर पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है ।

(ग) और (घ). वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने असम, उड़ीसा और राजस्थान के सामने उपस्थित वित्तीय समस्याओं के बारे में बातचीत करने के लिए मई/जून 1969 में इन राज्यों की यात्रा की। राजस्थान के सम्बन्ध में दल की सिफारिशें, मुख्य रूप से बकाया रकमों की और अच्छी वसूली करने, दरों की फिर जांच करने तथा व्यय में कमी करने के बारे में थीं।

कलकत्ते की गलियों के कचरे को जलाने के लिये भस्मक (इनसेनीरेटर्स) की सप्लाई के लिये विदेशों से अनुरोध

*164. **श्री अ० अहमद :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के महापौर ने रूस की सरकार तथा अन्य समाजवादी देशों से कलकत्ता की गलियों के कचरे को जलाने के लिये भस्मक सप्लाई करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या कलकत्ता के महापौर ने किसी विदेशी सरकार को सार्वजनिक रूप से ऐसा अनुरोध करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली थी ;

(ग) क्या संविहित निकायों के अध्यक्षों के लिये इस प्रकार की अनुमति लेना अनिवार्य है ; और

(घ) यदि नहीं, तो किसी विदेशी सरकार को ऐसे अनुरोध कैसे प्रेषित किये जाते हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है।

मैसर्ज नैनमल पूनजाजी शाह के विरुद्ध आरोप

*165. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज नैनमल पूनजाजी शाह तथा उनके सहयोगियों की पुलिस ने सितम्बर/अक्तूबर 1968 में जाँच की थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या फर्म के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध तस्करी और विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन के आरोपों के सिलसिले में उनकी पूछताछ के लिये उन्हें गिरफ्तार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बम्बई की फर्म मैसर्ज नैनमल

चम्पा लाल एण्ड कम्पनी के स्थानों की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा तलाशी ली गयी ; सीमाशुल्क तथा विदेशी मुद्रा विनिमय कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में आगे जाँच, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा की जा रही है। उक्त तलाशी के दौरान, सीमाशुल्क अधिकारियों को रिश्वत देने की, श्री नैनमल पूनज़ाजी शाह द्वारा कोशिश की गयी थी। रिश्वत देने की इस कोशिश के सम्बन्ध में विशेष पुलिस विभाग, बम्बई को शिकायत की गयी थी, जिन्होंने सितम्बर 1969 में श्री नैनमल पूनजाजी के विरुद्ध एक मामला दर्ज कर लिया है और वे इस पहलू की जांच कर रहे हैं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त तलाशी के बाद, श्री नैनमल पूनजाजी शाह तथा अन्य 15 व्यक्ति तस्कर आयात-निर्यात करने और विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों का उल्लंघन करने के आरोप के सिलसिले में, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किये गये थे। इनमें से 11 व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है ; श्री नैनमल, उसका भाई श्री चम्पालाल और 3 अन्य व्यक्ति अभी भी अदालती हिरासत में है। तलाशी लिये गये स्थान से चांदी की, लगभग 10 लाख रुपये मूल्य की, 74 सिल्लियों के पकड़े जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब जो जांच चल रही है उसके परिणामों के आधार पर, संगत कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही की जायगी।

राष्ट्रमंडल के देशों के महालेखापरिक्षकों का सम्मेलन

*166. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री क० लकप्पा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डल के देशों के महालेखापरिक्षकों का अक्तूबर, 1969 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई थी ;

(ग) क्या निर्णय किए गए ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). महालेखापरीक्षकों ने ऐसे विषयों पर चर्चा की जिनमें उनकी सामान्य रूप से दिलचस्पी थी और जिनका सम्बन्ध इन मामलों से था –

(1) लेखा-परिक्षा-कार्यालयों के कर्मचारियों की भरती और उनका प्रशिक्षण, और (2) सरकार, सांविधिक नियमों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे रखने के उनकी परीक्षा कराने तथा उनकी सूचना देने (रिपोर्टिंग) के तरीके।

इस प्रकार के सम्मेलन, साधारणतः तीन वर्षों में एक बार हुए हैं, और इन का उद्देश्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के महा-लेखा-परीक्षकों को एक ऐसा अवसर प्रदान करना होता है, जब वे

आपस में खुले दिल से लेखा-पालन और लेखा-परीक्षा से सम्बन्धित तकनीकी और प्रशासनिक मामलों पर विचार-विनिमय कर सकें और समान्य रुचि के विषयों में अपना-अपना अनुभव सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। इन सम्मेलनों में वैसे कोई निर्णय नहीं किये जाते और न उन मामलों में कोई संकल्प या सिफारिश की जाती है जिनपर चर्चा की जाती है, क्योंकि प्रत्येक महा-लेखा-परीक्षक अपने देश के संविधान के अधीन काम करने वाला स्वतन्त्र अधिकारी होता है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Construction of Prime Minister House in Rashtrapati Bhavan Premises

*167. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal to coustruct a building for the official residential of Prime Minister in the Rashtrapati Bhavan premises ;

(b) if so, the estimated expenditure thereon and the annual estimated expenditure on its maintenance ;

(c) the reasons for which the decision taken earlier to convert Teen Murti Bhavan into the permanent official residence of Prime Minister was changed ;

(d) the reasons for which this big building is not being utilised for official purposes ; and

(e) whether there is any proposal to allot a building like the Teen Murti Bhavan for Gandhi Museum also ?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) and (b). Yes, Sir. The work relating to a new official residence for the Prime Minister of India, including the selection of site, design etc, is still at a planning stage. It is not possible to indicate at this stage the estimated expenditure on construction and the annual estimated expenditure on maintenance.

(c) and (d). Government changed the earlier decision after considering a representation from the Nehru Memorial Museum and Library Society that Teen Murti House, which had been dedicated as a Memorial to Shri Jawaharlal Nehru, should continue to be so used.

(e) Government have not received any such proposal.

Report of U. N. Commission on International Development and Aid

*168. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether the United Nations Commission on International Development and Aid has submitted their report ;

(b) if so, tne main recommendations contained in the report ; and

(c) the decisions taken thereon and the extent to which the aid to India is likely to be affected by these decisions ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (a) The Commission on International Development (Pearson Commission), to which presumably the reference is made, was appointed by the President of World Bank and the Commission submitted its Report titled 'Partners in Development' on September 15, 1969.

(b) A Statement giving the Recommendations is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2066/69.]

(c) It is expected that the Report will be carefully examined by the aid-giving and aid-receiving countries and by the international institutions and in the formulation of their policies the recommendations will be kept in view. It is not possible to say now when and what effect will be evident in the field of aid as a result of this.

विशाखापत्तनम पत्तन के विकास के लिए विदेशों से सहायता

*169. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन के विकास हेतु सहायता के लिये किसी देश के साथ कोई क़रार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस देश के साथ करार किया गया है ;

(ग) उस देश द्वारा क्या सहायता की जाने की संभावना है ; और

(घ) उसकी शर्तें क्या होंगी ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (घ). इस समय एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल विशाखापत्तनम को बाहरी-बंदरगाह—प्रायोजना के लिए सहायता से सम्बद्ध मामलों पर जापान के साथ बातचीत कर रहा है। इस के स्वरूप और शर्तों के बारे में, बातचीत की समाप्ति के बाद ही, पता चलेगा ।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय का मानक निर्धारित करना

*170. **श्री हेमराज :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की काली तथा हरी चाय के मानक निश्चित करने के बारे में भारतीय मानक संस्थान की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और सरकार का उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीयों के भोजन में प्रोटीन की कमी

*171. **श्री बि० कु० मोडक :** **श्री नवरूहुजा ;**
श्री क० हालदर : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय भोजन में प्रोटीन की कमी के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) तीन वर्षों में प्रोटीन वाले कितने खाद्य पदार्थों के निर्यात की अनुमति दी गई है ; और

(घ) क्या सरकार ऐसे पदार्थों के निर्यात पर नियंत्रण रखने तथा अन्ततोगत्वा उस पर तब तक प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर रही है जब तक भारत में लोगों को पर्याप्त प्रोटीन न मिल जाय ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) लोगों के विशेषतः रोगानुकूल वर्गों के आहार में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए सरकार आवश्यक उपाय बरत रही है।

(ग) गत तीन वर्षों की अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

निर्यात आंकड़े समुद्रीय पदार्थ	'000' टनों में
वर्ष	निर्यात
1966	19.2
1967	21.8
1968	24.8
हाथ से चुनी गई मूंगफली	
1966-67	---
1967-68	1)
1968-69	37
दालें	
1966-67	30.8
1967-68	3.7
1968-69	26.3

(घ) प्रचुर मात्रा में प्रोटीन-युक्त कतिपय पदार्थों का निर्यात अल्प मात्रा में प्रतिबन्धित आधार पर करने की अनुमति दी जाती है। किन्तु किसी पदार्थ के निर्यात पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं है। आन्तरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर इसकी मात्रा निश्चित की जाती है और केवल बचत माल को निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

बैंकिंग बोर्डों की स्थापना के लिए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की मांगें

*172. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए बैंकिंग बोर्डों की स्थापना के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की है ; और

(ख) क्या इस मामले में सभी बैंक कर्मचारियों/श्रमिक संघों से परामर्श किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से सम्बद्ध बैंक कर्मचारी संघ के कुछ एककों तथा कर्मचारियों और अधिकारियों की अन्य संस्थाओं और संघों ने सरकार से अनुरोध किया है कि बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अनुसार स्थापित किये जाने वाले, राष्ट्रीयकृत बैंको के निदेशक मंडलों में उनके प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों के गठन के सम्बन्ध में योजना बनाने का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

*173. **श्री देवेन सेन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 45 गैर-सरकारी कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने राष्ट्रीय कोयला निगम के साथ कोयले के मूल्यों में 70 नये प्रति टन की वृद्धि की, रेलवे द्वारा की गई पेशकश को स्वीकार कर लिया है और कोयले की सप्लाई करने को सहमत हो गई बताई गई है ;

(ख) इन में से कितनी कोयला खानों में कोकिंग कोयले का उत्पादन होता है और कितनी मात्रा में ; और

(ग) इन कोयला खानों द्वारा एक वर्ष में कुल कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है और सरकार को कितने कोयले की आवश्यकता होती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 220 गैर-सरकारी कोयला खानों ने 70 पैसे प्रति मैट्रिक टन की मूल्य वृद्धि स्वीकार करली है। कोयला खानों का नाम देते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2067/69]

(ख) इन कोयला खानों में से 37 कोयला खानें कोकिंग कोयले का उत्पादन करती हैं। 96 में इन कोयला खानों का उत्पादन 25 लाख मैट्रिक टन था।

(ग) 1967 वर्ष में उन गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों का उत्पादन, जिन्होंने रेलवे

विभाग का मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, 410 लाख मैट्रिक टन था। इस समय रेलवे विभाग की कोयले की वार्षिक खपत 160 लाख मैट्रिक टन है

Defects in the Machinery of Indraprastha Power House in Delhi

*174. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that generation of electricity at the giant Indraprastha Power House, Delhi has stopped because of some defects in its machinery ;

(b) whether it is also a fact that the Indian Seientists and Engineers are unable to rectify those defects ;

(c) whether it is also a fact that the Chief Engineer had resigned due to discontent with the administration and the mechanical defects were only due to this very reason ;

(d) whether it is also a fact that the Engineers from U. S. A. are being invited to set it right at a huge cost ; and

(e) if so, the persons responsible therefor and the steps being taken to obviate such dislocation in future ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The generation of electricity at the Indraprastha Power Station, Delhi, has not stopped. Three out of the four machines are in normal operation. The turbine of one machine has developed some fault and is presently out of service.

(b) The turbine that has gone out of order was manufactured and snpplied by a foreign firm and hence major repairs and overhauling of this unit are being done with the assistance of experts from the manufacturers.

(c) The Chief Engineer of the Delhi Electricity Supply Undertaking resigned as he was not appointed General Manager of the Undertaking and since he had got a job on higher emoluments in a private firm. The defects in the turbine of Unit No. 3 were not due to the resignation of the Chief Engineer.

(d) The turbine of Unit No. 3 was supplied by a foreign firm and in accordance with the normal practice, the assistance of experts from the manufactnrers has been obtained for major repairs and overhauling.

(e) Does not arise.

चीन के चावल की चोरी छिपे केरल लाया जाना

*175. **श्री बेघर बेहेरा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1969 के तीसरे सप्ताह में बिहार सरकार के अधिकारियों ने चीन के चावल के बहुत से बोरे पकड़े थे जिनको केरल भेजा जा रहा था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस चावल के पकड़े जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अगस्त 1969 के पहले समाप्त में बिहार सरकार के संभरण विभाग के एक निरीक्षक ने चावल के 500 बोरों का एक जत्था नेपाल में कवासी स्थित शक्ति चावल मिल से रक्सौल के निकट छोरादाना रेलवे स्टेशन को सड़क द्वारा ले जाया जाता पाया। बोरों की जांच करने पर पाया गया कि सारे

बोरों पर "नेपाल-चावल" का ठप्पा लगा था, परन्तु केवल 65 बोरों पर "चीन जनवादी गणराज्य का चावल का ठप्पा लगा था। एक बोरे पर 'पालिश क्रिस्टल व्हाइट शुगर" तथा 'नेपाल चावल' का ठप्पा लगा था। 200 मीट्रिक टन नेपाल-चावल के आयात के लिये जारी किये गये एक परमिट पर ये बोरे केरल भेजे जा रहे थे। संभरण विभाग के निरीक्षक ने 500 ही बोरों को, चीनी चावल होने के सन्देह में, रोक लिया। उसके बाद मामले को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया। आवश्यक जांच पड़ताल के बाद राज्य सरकार ने माल का जत्था रोके जाने की सूचना मोतीहारी में तैनात, सहायक समाहर्ता, सीमा शुल्क, को दी, जिसने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के साथ पाठित उक्त अधिनियम की धारा 110 के अन्तर्गत सम्पूर्ण जत्थे को पकड़ लिया, क्योंकि विदेशों से नेपाल में आयात किये गये माल का भारत में आयात करना निषिद्ध है। नेपाल में माल के मालिक को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया गया है। माल के मालिकों को रूबरू सुनवाई का मौका देने के बाद मामले का निर्णय किया जायगा।

अर्ध-सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन तथा सेवा-निवृति के लाभ देना

*176. डा० प० मंडल :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वित्त मंत्री संशोधित पेंशन नियमों के संदर्भ में, जिनके अनुसार अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय से तत्काल बाद पेंशन और अथवा सेवानिवृत्ति के लाभ मिलेंगे, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये नियम अर्ध-सरकारी उपक्रमों और संगठनों, सरकारी उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों के उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनके वेतन का भुगतान केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में कर रही है ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या उपर्युक्त श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये नियम लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). प्रश्न का संकेत, सम्भवतः, सिविल सेवा नियमावली के संशोधित अध्याय XLVII में निहित उन नियमों की ओर है जो पहली अक्तूबर 1969 से लागू हुए हैं और पेंशन के लिये आवेदन और उसकी मंजूरी के बारे में हैं तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ही लागू होते हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और अन्य स्वायत्त निकाय सरकार से स्पष्टतः अपना अलग कानूनी अस्तित्व रखते हैं। और उनके कर्मचारी अपनी सेवा के मामले में उन संगठनों की अपनी ही शर्तों और नियमों से शासित होते हैं। इनमें से अधिकांश संगठनों में, अपने अपने कर्मचारियों के लिये अंशदायी भविष्य निधि की व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन की मंजूरी और अदायगी की संशोधित कार्यविधि उन संगठनों के कर्मचारियों को स्वतः लागू नहीं हो जाती है। परन्तु, ऐसे जिन संगठनों ने अपने कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था रखी है उन्हें इस बात की छूट है कि वे, संशोधित कार्यविधि को, आवश्यक परिवर्तनों के साथ अपनालें।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेशी दूतावासों में काम करने वाले विदेशियों को किराये पर मकान दिये जाना

*177. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूचना मिली है कि दिल्ली/नई दिल्ली में बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी तथा निजी आवास तथा रिहायशी मकान भी दूतावासों और अन्य विदेशी अभिकरणों जिसमें संयुक्त राष्ट्र अभिकरण शामिल हैं, में काम कर रहे विदेशियों को किराये पर दिये हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारियों ने उन्हें अपने मकान देने से पूर्व अनुमति नहीं ली है और आचार सम्बन्धी नियमों का भी उल्लंघन किया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की नजर में ऐसे कितने मामले आये हैं ; और

(घ) ऐसी प्रथायें रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ). जहां तक सरकारी वास का सम्बन्ध है सामान्य पूल वास का दखल लिए हुए सरकारी कर्मचारी इसे सारा किराये पर नहीं दे सकता। तथापि, वह सम्पदा निदेशालय द्वारा पात्र घोषित किए गए कर्मचारियों के वर्गों के साथ वास का भागीदार बना सकता है। दूतावासों तथा अन्य विदेशी एजेन्सीज में काम कर रहे कर्मचारी आवंटियों के साथ सरकारी वास में रहने के पात्र नहीं हैं। विदेशी दूतावासों अथवा विदेशी एजेन्सीज में कार्य कर रहे विदेशियों के सरकारी वास को उप-किरायेदारी का कोई मामला सम्पदा निदेशालय को सूचित नहीं किया गया।

जिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने निजी वास/रिहायशी वास सरकार की अनुमति के बिना विदेशियों को दिये हुए हैं, उन मामलों की संख्या तथा उनसे सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shifting of Capital from Delhi

*178. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government contemplate to shift the capital from Delhi to some other suitable place : and

(b) if so, the time by which thig proposal would be implemented ?

The Minister of Health and Family Planning and Works. Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नई दिल्ली नगरपालिका में गृह-कर में छूट के अनिर्णीत मामले

*179. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की सम्पतियों के सम्बन्ध में गृह-कर में छूट के अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने न तो समुचित प्रक्रिया बनाई है और न ही उसका पालन किया है, जिसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली में गृह-मालिकों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ; और

(ग) सम्पूर्ण प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरी विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : नई दिल्ली नगरपालिका ने बतलाया है कि नगरपालिका में केवल ऐसे चार मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं ।

(ख) नगरपालिका गृह-कर में छूट देने के लिए पंजाब नगरपालिका अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

जर्मन सरकार द्वारा 'मार्क' का पुनर्मूल्यांकन

*180. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जगेश्वर यादव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की सरकार ने "मार्क" का मूल्य बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पडेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां । पश्चिम जर्मनी ने ड्यूश मार्क की कीमत को, जो एक अमरीकी डालर=4 ड्यूश मार्क थी, 27 अक्तूबर 1969 से बढ़ाकर एक अमरीकी डालर=3.66 ड्यूश मार्क कर दिया है ।

(ख) ड्यूश मार्क के पुनर्मूल्यन से कुल मिलाकर भारतीय अर्थ-व्यवस्था कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा । जर्मन संघीय गण-राज्य के साथ होने वाले भारत के व्यापार की मात्रा और स्वरूप तथा उस देश के साथ हमारे सहायता विषयक सम्बन्ध ऐसे है कि उन पर पुनर्मूल्यन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

1001. श्री बाबूराव पटेल : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके राज्य मन्त्री ने 38 करोड़ रुपये की लागत की हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन सम्बन्धी कार्य के बारे में मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें अधिकारियों द्वारा गोलमाल की कटु आलोचना की गई है तथा कहा गया है कि परियोजना का कार्य बहुत अनियमित तथा अव्यवसायी ढंग से किया गया था, और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विशेष सचिव ने भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चयनात्मक टैंडरों के बिना ई० एन० आई० को इतना बड़ा ठेका देने के क्या कारण थे ;

(घ) पाइप लाइन की क्षमता के बारे में मंत्रिमंडल के निदेश की खुले रूप से अवज्ञा किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ङ) इस दण्डनीय गोलमाल के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा सम्बद्ध अधिकारियों को दंड देने के लिए क्या सरकार का एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). राज्य मन्त्री या विशेष सचिव ने मन्त्री मण्डल को कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी। उन्होंने, मन्त्री महोदय की सहायता के लिए मन्त्रालय की सम्बद्ध फाइलों पर टिप्पण (नौटिंग) तथा मूल्यांकन किया था।

(ग) विदेशी मुद्रा की समस्त उपलब्धता तथा ई० एन० आई० के प्रदेश ऋणों को विचार में रखते हुए और प्रस्तावित परियोजना की लागतों के पुनरीक्षण के बाद, ई० एन० आई० अनुषंगी स्नाम के साथ एक ठेके के लिए बातचीत की गई थी।

(घ) निर्णीत क्षमता के बारे में सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखा गया था। किसी अनुदेश की अवज्ञा नहीं की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता। किन्तु यह भी सूचित किया गया है कि एक पहलू (अर्थात कोयला-क्षेत्रों पर पाइप-लाइन बिछाना) की मिस्टर एन० एस० राव विस्तृत जांच कर रहे हैं जिस की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

खेतड़ी, राजस्थान में हिन्दुस्तान तांबा परियोजना

1002. श्री बाबूराम पटेल : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतड़ी, राजस्थान में 80 करोड़ रुपये की हिन्दुस्तान तांबा

परियोजना के उच्च अधिकारियों के बीच वैयक्तिक अनबनी के कारण उसके निश्चित तारीख (संकेन्द्रक 1970-71 तक, प्रद्रावक तथा शोध शाला क्रमश 1971 तथा 1972 तक) को चालू किये जाने की सम्भावना नहीं है, यदि हां, तो इस परियोजना में विलम्ब करने वाले उच्च कार्यकारी अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) उस अधिकारी का नाम तथा पदनाम क्या है जिसका खेतड़ी से दिल्ली में तबादला करना पड़ा था, जहां वह बिहार की राखा तांबा परियोजना के प्रभारी विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है ; और

(ग) अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत पक्षपात तथा घृणा को कार्यालय में प्रधानता देने और सरकारी कार्य में गड़बड़ करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) कम्पनी द्वारा मई 1968 में बनाई गई समयावलि के अनुसार संकेन्द्रक की पेषण मिलों के प्रथम प्रवाह का 1970 में और दूसरे प्रवाह का 1971 में, प्रद्रावक का 1971 में तथा शोधनशाला का 1972 में चालू किया जाना नियत है। कम्पनी पहली नियत समयावलि का पुनरावलोकन करने वाली है। विभिन्न एककों के चालू किये जाने में देरी, यदि कोई है तथा उसके कारण, पुनरावलोकन के पूरा कर लिये जाने के पश्चात् ही ज्ञात होंगे ।

(ख) प्रबन्धकों द्वारा खेतड़ी तांबा प्रायोजना के जनरल मैनेजर के पद को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने के परिणाम स्वरूप, पदधारी श्री एल० एन० मिश्र को खेतड़ी से नई दिल्ली स्थानांतरित करने का निश्चय किया गया था और उन्हें बिहार में राखा तांबा प्रायोजना का प्रभार दिया गया ।

(ग) यदि विशेष उदाहरण सरकार के ध्यान में लाये जायें तो आवश्यक उपचारी कदम उठाये जाते हैं ।

अनुर्वरीकरण आपरेशनों के लिये मदुरै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भुगतान के जाली वाउचर

1003. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुरै जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कुछ इंचार्ज-चिकित्सा अधिकारियों ने 1965 से 1969 की अवधि में नकली व्यक्तियों के अनुर्वरीकरण आपरेशनों के लिये भुगतान हेतु 10 लाख रुपये के जाली वाउचर बनाये ;

(ख) क्या ऐसे जाली वाउचरों का तमिलनाडु के अन्य जिलों में भी पता लगा है, यदि हां, तो वहां और किस हद तक ;

(ग) जाली वाऊचरों में उल्लिखित नकली व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(घ) इस सम्बन्ध में गिरफतार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ङ) क्या इस जालसाजी की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जांच विभाग

इस जांच कार्य को अपने हाथ में ले लेगा ; यदि हां, तो कब और जाली वाऊचरों द्वारा भुगतान का पता लगाने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना तमिलनाडु सरकार से एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा माल पर सीमाकर

1004. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या वित्त मन्त्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के महापौर ने प्रधान मंत्री के साथ हुई मुलाकात में रेल, सड़क या समुद्री मार्ग से नगर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा माल पर सीमाकर लगाने की मांग की है ,

(ख) क्या उन्होंने महापौर को यह आवश्वासन दिया था कि वह सुझाव पर विचार करेंगी ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कलकत्ता के मेयर ने, प्रधान मंत्री को उनकी पिछली कलकत्ता-यात्रा के दौरान एक ज्ञापन में यह सुझाव दिया था कि रेलों द्वारा ले जाये गये माल और यात्रियों पर सीमा कर (टर्मिनल टैक्स) लगाना, कलकत्ता निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के अनेक उपायों में से एक उपाय है।

(ख) और (ग). तीर्थ स्थानों से भिन्न अन्य नगरों को/से ले जाए गए माल और यात्रियों पर सीमा कर लगाने के प्रस्ताव पर पहले भी विचार किया जा चुका है। तब यह मत निर्धारित किया गया था कि इस प्रकार का कर लगाना प्रशासनिक दृष्टि से असुविधाजनक होगा और इससे होने वाली प्राप्ति भी अपेक्षाकृत थोड़ी होगी। पांचवें वित्त आयोग ने भी, जिसने हाल में इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया है, यही मत प्रकट किया है।

उद्योगों को दिए गए ऋण का साम्य अंशों में परिवर्तन

1005. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम, उद्योगों को दिए गये ऋण को साम्य अंशों में परिवर्तित करने के विरुद्ध है ; और

(ख) क्या इस प्रस्ताव पर विचार करने से पहले जीवन बीमा निगम तथा औद्योगिक वित्त निगम से परामर्श किया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को दिए गये ऋणों को सामान्य शेयरों में बदलने के सम्बन्ध में, औद्योगिक लाइसेंस नीति

जांच समिति की सिफारिशों के बारे में जीवन बीमा निगम और औद्योगिक वित्त निगम ने कोई अधिकृत मत निर्धारित नहीं किया है ।

(ख) सरकार को सूचित किया गया है कि समिति ने इन दो निगमों से विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय सामग्री प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था लेकिन समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्षों और दी गई सिफारिशों के संबंध में इन निगमों से परामर्श नहीं किया गया था ।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में हानि

1006. श्री सोमचन्द सोलंकी : श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री न० रा० देवघरे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उद्यमों में हानि होने के मूल क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : 55 चालू उद्यमों में से 31 उद्यमों को 1967-68 में 31 मार्च, 1969 की स्थिति के अनुसार लाभ हुआ जबकि बाकी 24 उद्यमों को हानि हुई । इसलिए सामान्य रूप से ऐसा कहना कि कुल मिला कर सरकारी क्षेत्र को हानि हो रही है, ठीक न होगा ।

सरकारी क्षेत्र में हानि होने के कुछ कारण ये हैं : अत्यधिक पूंजी-निवेश और लम्बी अवधि तक चलने वाली प्रारम्भिक कठिनाइयाँ, अधिक मूल्यह्रास, अर्थ-व्यवस्था में मंदी आ जाने के कारण क्षमता का कम उपयोग, मजदूरी और सामग्री के मूल्य में सामान्य वृद्धि आदि ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा उसका जीवन स्तर पर प्रभाव

1007. श्री न० रा० देवघरे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में जन्म तथा मृत्यु दर क्या रही है ;

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम का जन्म तथा मृत्यु दर पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम का देश के देहाती तथा शहरी क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के फलस्वरूप आगामी तीन वर्षों में जन्म दर में कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) गत तीन वर्षों की वर्षवार देश की जन्म और मृत्यु दरें उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी जनसंख्या अनुमान सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति, राष्ट्रीय नमूना

सर्वेक्षण तथा नमूना रजिस्ट्रेशन योजना ने प्रत्येक के सामने लिखित अवधि के लिए, जन्म और मृत्यु की दरों का जो अनुमान लगाया है, वह इस प्रकार है : -

	वर्ष	जन्म दर	मृत्यु दर
1. जनसंख्या अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समिति	1966-70	38.6	14
2. नमूना रजिस्ट्रेशन योजना (केवल 7 राज्यों में दर्ज किए गए परिणामों पर आधारित)	1966-69		
	नगरीय:	29.7	उपलब्ध
	ग्रामीण:	39.5	नहीं
3. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण	1966-67		
	नगरीय:	31.3	उपलब्ध
	ग्रामीण:	36.7	नहीं

(ख) जन्म दर में कमी से सम्बन्धित पूर्ण स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन और उससे सम्बन्धित सूचना केवल 1971 की जनगणना के बाद ही प्राप्त हो सकती है। फिर भी, देश के विभिन्न भागों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जन्म दर निश्चित रूप से कम हुआ है। जन्म दर में कमी से सम्बन्धित किये गए अध्ययनों की एक सूची संलग्न है। परिवार नियोजन कार्यक्रम से मृत्यु दर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विवरण

जन्मदर में कमी से सम्बन्धित किए गए अध्ययन

अध्ययन का क्षेत्र		जन्मदर
1	2	3
1.	गांधीग्राम परियोजना (जिला मदुरै)	40.0 (1962) 36.3 (1965)
2.	जनविद्या प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, बम्बई	1964-66 के दौरान जन्मदर में 12 प्रतिशत कमी हुई।
3.	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता का ग्रामीण क्षेत्र सिंगूर।	39.3 (1962) 34.2 (196[illegible])

1	2	3
4.	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और लोक स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता का नगरीय क्षेत्र, चेतला।	29.0 (1961) 24.0 (1966)
5.	भारतीय चाय एसोसिएशन की असम शाखा।	43.4 (1960) 31.2 (1966)
6.	डूम डूमा क्षेत्र, असम घाटी	41.0 (1960) 31.9 (1965)
7.	दुआर बागान, पश्चिम बंगाल	35.1 (963) 27.8 (1965)
8.	भारतीय सांख्यिकीय परियोजना संस्थान, पश्चिम बंगाल।	26.0 (1963) 22.0 (1964)

(ग) परिवार के आकार के अतिरिक्त लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली अनेक बातें हैं जैसे औद्योगिक और कृषि उत्पादन, मजदूरों की कार्यक्षमता और उत्पादकता, स्वास्थ्य, सांस्कृति, समाजिक-आर्थिक स्थिति, वातावरण आदि। तथापि, परिवार नियोजन निश्चित रूप से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करता है।

(घ) कुछ जनविद्याकारों के हिसाब के अनुसार यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए वर्षवार लक्ष्य प्राप्त किये जाएं तो 972-73 तक जन्म दर में 4 से 6 बिन्दु तक कमी होने का अनुमान है।

महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों को ऋण सुविधाएं

1008. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों तथा हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को ऋण सुविधाएं देने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं तथा ऋण सुविधाओं की मात्रा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

नागपुर में राष्ट्रीयकृत बैंक

1009. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) नागपुर में 1970 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी नई शाखायें खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) नागपुर में 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के 31 कार्यालय हैं। इनके अलावा वहाँ भारतीय स्टेट बैंक के 3 और स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर का एक कार्यालय है।

(ख) दो राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक को 1970 में एक-एक कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी है। नागपुर में नयी शाखायें खोलने के सम्बन्ध में बैंकों की ओर से यदि कोई प्रस्ताव आयेंगे तो उन पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

नागपुर में सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन

1010. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर में केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों (श्रेणीवार) की संख्या कितनी है जिनको अभी सरकारी आवास अलाट नहीं दिये गये हैं ; और

(ख) सरकारी आवास प्राप्त करन के लिये कर्मचारी को औसतन कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करनी होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). नागपुर में आवंटन की प्रतीक्षा करते हुये सरकारी कर्मचारियों की संख्या तथा अब तक जिस प्राथमिकता की तारीख तक उनको आवंटन हो चुका है, निम्नांकित है :—

टाईप	आवंटन की प्रतीक्षा करते हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या	प्राथमिकता की तारीख जिसका आवंटन हो चुका है
VI	8	21-4-1963
V	62	14-1-1960
IV	172	7-11-1943
III	229	8-9-1941
II	1169	17-8-1944
I	831	23-8-1945

एक सरकारी कर्मचारी को वास प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करने की औसत अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि यह रिक्तियों की उपलब्ध संख्या तथा आरम्भ किये जाने वाले नये निर्माण पर निर्भर करती है।

Vasectomy Operations on Officers and Employees Engaged in Family Planning Programme

1011. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of officers and other employees engaged in Family Planning Programme who have themselves undergone vasectomy ;

(b) whether it is a fact that vasectomy is being performed mostly on old people and after paying some amount therefor ; and

(c) if so, whether some steps are being taken to stop this malpractice ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The required information is not available.

(b) No.

(c) The States have however been advised to be vigilant.

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा शेयर खरीदना

1012. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री जि० मो० बिश्वास :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को इन उपक्रमों के शेयर खरीदने की अनुमति देने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रमुख ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1969 में औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय द्वारा आयोजित सरकारी उपक्रमों के कुछ अध्यक्षों की एक बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बारे में एक सुझाव पर विचार किया गया था। उपर्युक्त मंत्रालय के सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों को इस सुझाव की जांच करने और उस मंत्रालय को अपने विचार प्रस्तुत करने को कह दिया गया है।

पंजाब में नाइलोन परियोजना के लिये लाइसेंस

1013. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चार वर्ष पूर्व एक प्राइवेट पार्टी को पंजाब में एक नाइलोन परियोजना के लिए लाइसेंस दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राइवेट पार्टी ने इस अवधि में कुछ नहीं किया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कारण पंजाब सरकार ने यह लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और सिफारिश की है कि लाइसेंस औद्योगिक विकास समिति को दिया जाये ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, किन्तु 20-11-65 को एक आशय पत्र दिया गया था।

(ख) पार्टी ने अब सूचित किया है कि उसने आशय पत्र की शर्तों को पूरा कर दिया है और आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल देने का अनुरोध किया है। सरकार मामले पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ). क्योंकि कोई लाइसेंस जारी नहीं किया था, इसे रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता। पंजाब सरकार ने पहले यह सुझाव दिया था कि पंजाब इंडस्ट्रीयल डिवैलपमेंट कारपोरेशन को एक लाईसेंस दे दिया जाये क्योंकि पार्टी कोई प्रगति नहीं कर रही थी। उन्होंने भारत सरकार को अब आशय पत्र को लाइसेंस में बदल देने के पार्टी के अनुरोध पर गुणावगुण आधार पर विचार करने के लिये कहा है।

नागपुर में सरकारी क्षेत्र में एक औद्योगिक कम्पनी की स्थापना

1014. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में उस क्षेत्र के लोगों के लिये रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के लिये सरकारी क्षेत्र में एक औद्योगिक कम्पनी स्थापित करने सम्बन्धी मेरे प्रस्ताव के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक संगठन बनाना

1015. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में अक्तूबर में हुए उत्तर क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का एक संगठन बनाने का निर्णय किया गया था ताकि विभिन्न राज्यों की समस्याओं पर विचार किया जा सके और उन्हें हल किया जा सके ;

(ख) क्या उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये इस बीच कोई ठोस कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो संगठन कब तक बनाया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) उत्तर क्षेत्रीय परिषद ने इस क्षेत्र के राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की एक संस्था या संघ बनाने के बारे में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर गौर किया ताकि समान हितों की समस्याओं पर विचार किया जा सके।

(ख) और (ग). चूंकि इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन या उनके अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों से है, इसलिए भाग (ख) और (ग) के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Fraudulent Vasectomy Operations

1016. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1128 on the 28th July, 1969, regarding fraudulent vasectomy operations and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the State Governments ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the information would be collected and laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). Yes ; the details of cases filed by persons against doctors for performing fraudulent vasectomy operations against them are given below :

State	No. of cases filed against the doctors
1. Punjab	1
2. Haryana	Nil
3. Uttar Pradesh	3
4. Rajasthan	Nil

As regards Punjab, the case is still pending in Court. Out of the three cases in Uttar Pradesh, two are pending in the courts and in the third case the allegations against the doctor could not be substantiated.

(c) Does not arise.

Process for Extracting Oil, Gas and Tar from Old Tyres

1017. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state whether oil, gas, and tar is being extracted from old and useless tyres in U. S. A. ; if so, the efforts being made to set up plant for this purpose in India ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : No information is available in this regard. There is no proposal to establish a plant in India.

सरकारी उपक्रमों के सही आय व्ययक प्राक्कलन तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

1018. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं कि भविष्य में सरकारी उपक्रम ठीक आयव्ययक रिपोर्ट और प्राक्कलन तैयार करें ; और

(ख) यदि हां, तो वे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है और प्राक्कलनों को उन कारणों से बाद में बढ़ाना पड़े, जिनका अनुमान मूल प्राक्कलन तैयार करते समय लगाया जा सकता था तो क्या संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त दण्ड दिया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सरकारी उपक्रमों में बजट संबंधी व्यापक प्रणाली के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये हैं। आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये उपयुक्त प्रपत्र निर्धारित किये गये हैं जिनसे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो जायेगी कि बजट निर्धारित तरीके से ही तैयार किये जायं।

(ग) लागत अनुमानों में होने वाले किसी भी संशोधन की जाँच सरकार द्वारा बड़े ध्यानपूर्वक की जाती है और इस जांच के दौरान यदि किसी चूक का पता चलता है तो सरकार इसे एक गंभीर बात समझती है।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में सूखी बर्फ (ड्राई आइस) का उत्पादन करने का कारखाना

1019. **श्री अविचन** :
श्री मंगला थुमाडोम :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावन्कौर लिमिटेड में सूखी बर्फ का उत्पादन करने का एक कारखाना स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर क्या लागत आई है तथा इसकी उत्पादन क्षमता क्या है और इसके स्थापित करने में कितने विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ;

(ग) देश में सूखी बर्फ की वार्षिक माँग क्या है तथा इस कारखाने के चालू होने के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या यह कारखाना चालू हो गया है, यदि हां तो कब तथा अब तक कितनी सूखी बर्फ तैयार की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) संयंत्र पर लगभग 2.7 लाख रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 8.5 लाख रुपये की लागत का अनुमान है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता 6 मीटरी टन सूखी बर्फ प्रति दिन है।

(ग) देश में सूखी बर्फ की वार्षिक आवश्यकताओं के प्राक्कलन तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, फैक्टरी ने केवल दक्षिण प्रदेश के लिये 6000 मीटरी टन सूखी बर्फ की मांग का अनुमान लगाया है। विदेशी मुद्रा में बचत करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस समय सूखी बर्फ का आयात नहीं किया जाता है।

(घ) संयंत्र 8.9.1969 से औपचारिक रूप से चालू कर दिया गया है। व्यापारिक उत्पादन के शीघ्र शुरू हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि

1020. श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के अभिरक्षकों को जमा राशियों में कम से कम 10 प्रतिशत वृद्धि करने के अनुदेश दिये हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये उन्हें कोई निर्देशात्मक बातें बताई गयी हैं और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं और इस बारे में अभिरक्षकों ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). बैंकों में जमा की रकम बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रतिशतता, निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन सरकार ने अभिरक्षकों पर इस बात का जोर दिया है कि वे देश के सभी भागों से और जनता के सभी वर्गों से जमा की रकमें जुटाने का यत्न करें। यह लक्ष्य, न केवल गांवों और छोटे कस्बों में पहले से काफी अधिक संख्या में जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोल कर, बल्कि सभी लोगों की बचतों का संग्रह करने के सतत कल्पनाशील प्रयत्नों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

भारत को जापान द्वारा ऋण संबंधी राहत

1021. श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने विश्व बैंक की सिफारिशों की परिधि के अन्तर्गत आने वाले ऋण के अतिरिक्त भारत को ऋण सहायता दी है ;

(ख) इस समय जापान का कुल कितना ऋण बाकी है और इस ऋण को किस प्रकार चुकाने का विचार है ; और

(ग) क्या भारत इस ऋण पर कोई ब्याज दे रहा है और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जापान द्वारा दिये गये येन ऋणों के सम्बन्ध में इस समय कुल बकाया देनदारी 258.89 करोड़ रुपये की है। ऋणों का परिशोधन भारत के विदेशी मुद्रा के अपने साधनों से किया जाता है।

(ग) पिछले वर्ष येन ऋणों के सम्बन्ध में कुल 12.8 करोड़ रुपये का ब्याज अदा किया गया था। इस वर्ष ब्याज के रूप में '4.3 करोड़ रुपया अदा किये जाने का अनुमान है। विभिन्न येन ऋणों के ब्याज की दरें ये हैं :-

पहला येन ऋण	4 से 6.25 प्रतिशत	प्रतिवर्ष
दूसरा येन ऋण	4 से 6 प्रतिशत	,,
तीसरा येन ऋण	4 से 5.75 प्रतिशत	,,
चौथा येन ऋण	4 से 5.75 प्रतिशत	,,
पांचवां येन ऋण	5.75 प्रतिशत	,,
छठा येन ऋण	5.75 प्रतिशत	,,
खाद्य सहायता	5.75 प्रतिशत	,,
सातवां येन ऋण	5.5 प्रतिशत	,,
आठवां येन ऋण	5.25 प्रतिशत	,,

उत्तर प्रदेश में बैंकों की शाखाएं खोलना

1022. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इस समय ऐसे अनेक कस्बे और नगर है जहां बैंकों की शाखाएं नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कसबों/नगरों के नाम तथा संख्या कितनी है ; और

(ग) उन कसबों/नगरों में बैंकिंग सुविधाएं देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और 1969-70 तथा 1970-71 में उनमें से कितने कसबों/नगरों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) 1961 की जनगणना की रिपोर्ट में की गई परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रमशः 47 और 44 ऐसे नगर हैं जहां इस समय बैंक की कोई शाखा नहीं है। इन नगरों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2068/69]

(ग) रिजर्व बैंक ने ये चार नगर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम निर्धारित कर दिये हैं और आशा है कि 1970 के अंत तक इन नगरों में शाखाएं खुल जायंगी।

सरकारी उपक्रमों द्वारा गांधी जन्म शताब्दी पर व्यय

1023. श्री एस० एम० कृष्ण : श्री क० लकप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी जन्म शताब्दी मनाने के लिये विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा व्यय को गयी राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इससे क्या लाभ होने की आशा है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें गांधी समारोहों पर कम से कम व्यय करने की सलाह दी है ताकि इससे उनकी उत्पादन लागत और लाभ पर प्रभाव न पड़े ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ) सरकार के पास सरकारी उपक्रमों द्वारा गांधी जन्म शताब्दी समारोहों पर किये गये खर्च का ब्यौरा नहीं है। ऐसे मामलों में, जिनका सम्बन्ध किसी राष्ट्रीय उत्सव के मानने से होता है, सरकारी उद्यमों के प्रबन्धकों को अपने विवेकानुसार, अवसर के मुताबिक खर्च की रकम मंजूर करने का अधिकार होता है। पर इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि ऐसे समारोहों पर होने वाला खर्च इतना अधिक होगा कि इसका प्रभाव उद्यमों के वित्तीय परिणामों पर पड़े। किसी भी स्थिति में, सरकार का विचार ऐसे मामलों में दखल देने का नहीं है जिनका सम्बन्ध सरकारी उद्यमों के रोजमर्रा के प्रबन्ध से हो। इस प्रकार का ब्यौरा इकट्ठा करने पर जो प्रयत्न करने पड़ेंगे वे सम्भावित परिणामों से कहीं अधिक होंगे।

Foreign Capital Investment in India

1024. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of foreign capital which is invested in trade in India at present and which is to be repaid by India ;

(b) the balance of payments of India with each country, separately ; and

(c) the total indebtedness of India during the past 22 years ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Reserve Bank of India, Bombay has published an article "India's International Investment position in 1965-66 and 1966-67" in the August, 1969 issue of their monthly Bulletin. According to the information available therein, the outstanding long-term foreign business investment in India as at the end of March, 1967 was Rs 1482.4 crores. Out of this, an amount of Rs. 718.7 crores comprising creditor capital (*i.e.* in the form of loans, suppliers, credits and securities) will be repayable in accordance with the terms and conditions of the loans etc. As regards the balance of the investment, the extent of repayment, if any, will depend upon the volition of the foreign investors and the rules applicable to the repatriation of foreign capital.

(b) A statement showing India's balance of payments on current account with selected countries in 1968 is laid on the Table of the Lok Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-2069/69.]

(c) The earliest information available on book value of total net foreign indebtedness of the country is at the end of June, 1948 which was collected by the Reserve Bank of India through the Census of India's Foreign Liabilities and Assets. As on that date India was a net creditor by Rs. 1505 crores. At the end of March, 1967, for which the latest information is available, India was a net debtor by Rs. 6263 crores in terms of the post-devaluation rupee.

ऋण-पद्यति तथा ऋण-वितरण सम्बन्धी योजना आयोग का अध्ययन

1025. **श्री रवि राय :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने ऋण-पद्यति तथा ऋणों के वितरण के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये डा० डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय ऋण परिषद ने सामाजिक उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक संगठनात्मक ढांचे के विषय में प्रोफेसर डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल बनाया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न है। भारतीय रिजर्व बैंक इन सिफारिशों पर विचार कर रहा है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2070/69]

Rural Electrification

1026. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a scheme involving less expenditure on providing electricity in the villages ;

(b) if so, the progress made in this regard ; and

(c) the number of villages, State-wise, where electricity connections have already been sanctioned during the Gandhi Birth Centenary year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The Conference of Chairman of State Electricity Board held at Nainital on 24th May, 1969 accepted proposals for minimising the cost of village electrification by supplying power to villages in proximity to existing transmission and distribution lines and by the use of 'Shramdan' to the extent possible so as to enable the electrification of one lakh villages by the end of Gandhi Centenary Year *i.e.*, by 2nd October, 1970. It was decided that in addition to 12,000 villages which were likely to be electrified under the normal programme during the period 1-4-1969 to 2-10-1970, efforts would be made by the State Electricity Boards to electrify an additional number of 8,000 villages from their own

resources and that, depending upon the availability of further funds, an additional number of 10,000 villages would be electrified in order to achieve the target of electrification of one lakh villages by 2nd October, 1970. This desision was also endorsed by the Conference of State Ministers of Irrigation and Power held on 26th and 27th May, 1969, in Nainital. The break up of the number of 20,000 villages is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2071/69.]

Sale of Sub-Standard Articles

1027. **Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prosecutions are filed against the shopkeepers only after the samples of articles like pulses, gur, oil etc. taken from the shops of retail dealers in the Capital are not found upto the mark ;

(b) if so, the reasons for filing cases against the shopkeepers when the manufacturers/producers of the said articles are other traders and most of the said articles are generally sealed or there are such articles in which the shopkeepers cannot make any adulteration ; and

(c) whether Government would examine the proposal to file cases against producers/manufacturers of such articles the samples of which do not come upto the mark and in which it is not possible for the shopkeepers to adulterate ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) Under the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, the cases are filed against persons from the samples of articles of food are seized and on analysis found not conforming to the standards laid down in the Act or the Rules made thereunder.

Under the Prevention of Fond Adulteration Act, 1954, the Court is empowered to proceed against a manufacturer, distributor or dealer if during the trial of any offence the court is satisfied that such manufacturer, distributor or dealer is also concerned with that offence.

(c) Suitable instructions for prosecuting the manufacturer along, in appropriate cases have since been issued.

बिदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली में एयर इंडिया के भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही

1029. **श्री चन्द्र शेखर सिह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ब्यूरो को इस बारे में निश्चित जानकारी थी कि कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारी डेनियल वालकाट के भाग निकलने में नई दिल्ली में एयर इंडिया के एक भूतपूर्व प्रबन्धक का हाथ था ;

(ख) क्या वही व्यक्ति नई दिल्ली में बिड़ला बन्धुओं के एक वरिष्ठ अधिकारी की अपनी वर्तमान हैसियत से मलेशिया और अन्य देशों की बार-बार की जाने वाली यात्राओं के दौरान मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के अनेकबार उल्लंघन के लिये जिम्मेदार नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो इस व्यक्ति के विरुद्ध अभी तक मुकदमा दायर न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच-पड़ताल से यह मालूम नहीं हुआ है कि डेनियल वालकाट के दिल्ली से भाग जाने के मामले में नई दिल्ली में एयर इंडिया का एक भूतपूर्व प्रबन्धक ग्रस्त था ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित ऐसा कोई मामला प्रवर्त्तन निदेशालय की जानकारी में नहीं आया है जिसमें एयर इन्डिया का कोई भी भूतपूर्व प्रबन्धक, जो अब नई दिल्ली में बिड़लाओं के साथ कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, ग्रस्त हो ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

बिहार में कटिहार कस्बे का दर्जा बढ़ाना

1030. **श्री मंगलाथुमाडोम** :   **श्री लखन लाल कपूर** :

श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य के कटिहार कस्बे का दर्जा बढ़ाकर उसे 'सी' श्रेणी का कस्बा करने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर मकान किराया भत्ता देने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

कटिहार उन 38 शहरों में से है जिनको केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान-किराया तथा नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्तों की मंजूरी के लिए शहरों के श्रेणीकरण की मध्यावधि जन-गणना सम्बन्धी समीक्षा के प्रयोजन के लिए जनसंख्या में वृद्धि का नमूने के तौर पर सर्वेक्षण करने के लिए शामिल किया गया है । इस प्रयोजन के लिए उन शहरों/कस्बों को चुना गया जिनकी जनसंख्या, 1961 की जनगणना के अनुसार, अगली उच्चतर श्रेणी का हकदार होने की सीमा के 10 प्रतिशत के भीतर थी । किन्तु इन शहरों के सम्बन्ध में भारत के महा पंजीयक द्वारा नमूने के तौर पर किये गये सर्वेक्षण से, विभिन्न शहरों/कस्बों में जनसंख्या में हुई वृद्धि में घटबढ़ दिखाई पड़ी । इसी बीच ऐसे कुछ अन्य शहरों के कर्मचारियों की ओर से भी श्रेणी बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नमूना सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था । अतः पूरे मामले पर सरकार अभी भी विचार कर रही है ।

(ख) तथा (ग). ये सवाल नहीं उठते ।

Members and Ministers visiting Foreign Countries

1031. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4628 on the 22nd August, 1969 and state :

(a) whether the required information regarding the Members and Ministers visiting foreign countries has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). No, Sir.

(c) The information has to be collected from all the Ministries/Departments of Government, most of whom have still to furnish it.

सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति का आधार

1032. **श्रीमती सावित्री श्याम** :

श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ; और

(ख) उनकी पदोन्नति किस प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) सरकारी उपक्रमों के निदेशक-मंडलों को अपने निदेशक मंडलों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/सदस्य और अपने घटक एककों के मुख्य प्रबन्धकों के पदों के अलावा, जिन पर नियुक्तियां करने का अधिकार सरकार के पास है, बाकी सभी पदों के लिए नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है। मुख्य प्रबन्धकों के पदों के सम्बन्ध में प्रणाली यह है कि सामान्यतः सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव पर समुचित सोच-विचार करने के बाद सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा पदों के लिए तैयार की गई सूचियों (पैनल) में से व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता है। उपक्रमों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों के सम्बन्ध में कम्पनियां भर्ती के नियम स्वयं बनाती हैं।

(ख) उच्च पदों के लिए तैयार सूचियों पर पुनर्विचार किया जाता रहता है और उन्हें अद्यावधिक बनाया जाता रहता है ताकि जिन व्यक्तियों को पहले निचले पदों की सूची में रखा गया था उन्हें उनकी उपयुक्तता के आधार पर उच्च पदों की सूची में शामिल किया जा सके। नये आवेदनकर्त्ताओं के मामलों पर भी विचार किया जाता है। अन्य पदों के लिए, सरकारी उपक्रम पदोन्नति सम्बन्धी अपनी नीतियां स्वयं निर्धारित करते हैं।

'पी' फार्म नियमों को उदार बनाना

1033. श्री रवि राय :

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पी' फार्म विनियमानों में कुछ ढील देने के बारे में विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सरकार सामान्यतः विदेश-यात्रा की अनुमति देने के सम्बद्ध नीति की समीक्षा करती रहती है। चूंकि इस संबंध में अभी निर्णय किये जाने हैं, इसलिए विचाराधीन सुझाव का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

राज्यों पर केन्द्र का ऋण

1034. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री धीरेश्वर कलिता :

श्री अदिचन :

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

श्री योगेन्द्र शर्मा :

श्री रा कि० बिड़ला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों पर केन्द्र का ऋण प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों पर केन्द्र के ऋण की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय ऋणों के भुगतान के बारे में राज्यों की सहायता करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ङ) राज्यों द्वारा कर्ज लेने की बढ़ती वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। राज्यों पर केन्द्रीय सरकार का ऋण वर्षों के दौरान बढ़ता जा रहा है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 30 सितम्बर, 1969 को राज्य सरकारों पर केन्द्रीय सरकार के ऋणों की बकाया रकमों का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2072/69]

(ग) और (घ). राज्यों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार, योजना आयोग द्वारा किये जा रहे उनके साधनों के पुनर्निर्धारण को देखते हुए, किया जायेगा।

(ङ) यह निश्चय करना राज्य सरकारों का काम है कि उन्हें अपनी जरूरतों को देखते हुए कितना ऋण लेना चाहिए।

जस्ता पिघलाने वाले कारखानों का विस्तार

1035. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री जनार्दनन : श्री भोगेन्द्र झा : श्री जगेश्वर यादव :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्ता पिघलाने वाले विद्यमान दो कारखानों का विस्तार करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना

1036. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री जगेश्वर यादव : श्री भोगेन्द्र झा : श्री एन॰ शिवप्पा : श्री जनार्दनन :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम में जस्ता पिघलाने का कारखाना लगाने के लिये क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस ओर पहले कदम के रूप में, विशाखापत्तनम स्थान पर एक जस्ता प्रद्रावक की स्थापना के लिए पोलैंड के अभिकरण के द्वारा एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने की लागत 16,89,250 रुपये (अवमूल्यन पूर्व) थी जिसमें से 59,500 रुपये की राशि मार्च 1966 में अदा कर दी गई थी। तत्पश्चात 16,29,750 रुपये की बकाया राशि को अवमूल्यन के कारण 25,66,856 रुपये तक बढ़ा दिया गया, जिसमें से 14,58,628 रुपये की राशि अदा की जा चुकी है।

आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला खानों से खनिज निकालना

1037. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री जनार्दनन : श्री भोगेन्द्र झा : श्री जगेश्वर यादव : श्री इसहाक साम्भली :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अग्निगुन्डाला खानों में से तांबा और सीसा निकालने के लिये स्थान का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) योजना की लागत का अनुमान क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अग्निगुंडाला खानों से खनिज निकालने के लिये एक अलग निगम बनाने सम्बन्धी आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर विचार कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) और (ख) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अग्निगुन्डला तांबा सीसा पट्टी के बन्डलाभोट्ट खण्ड के ऊपरी स्तर के विकास के लिये एक प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तैयार किया है, जिसके अनुसार ऊपरी स्तरों से प्रतिदिन 500 मैट्रिक टन सीसा अयस्क का उत्पादन करने के लिए एक खान तथा साथ ही साथ सीसे और तांबे के लिये एक बड़ी खान के आयोजन के लिये निक्षेप का गहराई पर समन्वेषण प्रस्तावित है ।

(ग) योजना पर अनुमानित पूंजीगत लागत प्रद्रावण संयंत्र के साथ 5.69 करोड़ रुपये और प्रद्रावक के बिना 4.69 करोड़ रुपये बैठती है ।

(घ) और (ङ) जी हां । यह समझा जाता है कि योजना के अनुमोदित हो जाने पर प्रायोजना-स्थल पर खनन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिये अलग से एक निगम के बदले में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का एक पूरा प्रायोजना कार्यालय ही पर्याप्त होगा ।

रामगिरि स्वर्ण-क्षेत्र में सोने की पट्टी का पता लगाना

1038. **श्री ईश्वर रेड्डी : श्री जगेश्वर यादव :**
श्री धीरेश्वर कलिता : श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री अदिचन :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रामगिरि स्वर्ण-क्षेत्र में दस मील लम्बी सोने की पट्टी का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो सोने की इस पट्टी में कितना सोना पाये जाने की आशा है ; और

(ग) क्या सोने की इस नई पट्टी से वाणिज्यिक आधार पर सोना निकालने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) से (ग). तक रामगिरि सोना क्षेत्र, जो काफी समय से ज्ञात है, लगभग 14 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है । भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने जिस केन्द्रीय भाग में लगभग 4.7 किलोमीटर क्षेत्र की अनुदैर्घ्य लम्बाई में मूल्यांकन प्रारम्भ किया, उसमें येप्पामना खान विकास से 60 मीटर स्तर पर 1.57 मीटरों की औसत चौड़ाई एवं 7.6 ग्राम/मैट्रिक टन औसत श्रेणी के साथ 497.5 मीटरी की सचंयी अयस्कपिंड लम्बाई और 90 मीटर स्तर से विकसित भाग में

2.46 मीटर औसत चौड़ाई एवं 7.2 ग्राम/मैट्रिक टन औसत श्रेणी के साथ 198 4 मीटरी की संचयी अयस्क पिंड लम्बाई पता लगी है। निकटवर्ती क्षेत्रों में किये गये व्यधन से उन खंडों का पता लगा है जिनमें अतिरिक्त समन्वेषण का औचित्य प्रमाणित हुआ। आर्थिक उपयोग के लिये अयस्क की पर्याप्त उपलभ्य राशियों को सिद्ध करने के लिये अतिरिक्त समन्वेषण कार्य अपेक्षित हैं।

टाटा बिड़ला तथा अन्य सार्थों द्वारा ऋण का लौटाया जाना

1039. श्री स० कुन्दू : श्री देवेन सेन :
श्री प्र० न० सोलंकी : श्री पी० एम० मेहता :
श्री ए० श्रीधरन : श्री किकर सिंह :
श्री यशपाल सिंह : श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री चन्द्रिका प्रसाद : श्री गुणानन्द ठाकुर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी वित्त निगमों और अन्य संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से बिड़ला, टाटा और अन्य बड़े सार्थों को दिये गये ऋणों की राशि से कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ सार्थों ने समय पर इसे वापिस नहीं किया है ;

(ग) ऐसे सार्थों के नाम तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) समय पर भुगतान न करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ सार्थों के साथ कोई विशेष रियायत की गई है; और यदि हां, तो ऐसे सार्थों के नाम तथा उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ङ). एकाधिपत्य जांच आयोग की रिपोर्ट के परिशिष्ट में शामिल 75 व्यवसाय समूहों/संस्थाओं में से परिसम्पत्तियों के आधार पर दर्ज पहले 20 बड़े समूहों में प्रत्येक के सबंध में (जिनमें बिड़ला और टाटा समूह में भी शामिल है), 1966 के प्रारम्भ में कुल ऋणों की बकाया रकमों और पहली जनवरी 1966 से 30 जून, 1969 तक की अवधि में की गयी वसूलियों के बारे में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानो से सूचना प्राप्त की जा रही है। सूचना इकट्ठी हो जाने पर सभा की मेज पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना का संचालन तेज करना

1040. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में मच्छरों का उत्पाद हाल में बढ़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना का काम पिछले कुछ समय से धीमा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत काम की गति को तेज करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। किन्तु सभी मच्छर मलेरिया की क़िस्म के नहीं होते ।

(ख) जी नहीं। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को देश के विभिन्न भागों में धक्का लगा इसके विभिन्न कारण थे जैसे कि अपर्याप्त दवाई बखेरना और सतर्कता, असंतोषजनक प्रयोगशाला सेवाए शहरी क्षेत्रों में मलेरिया पर काबू पाने में स्थानीय निकायों की असमर्थता आदि ।

(ग) कार्यक्रम को दृढ़तापूर्वक पूरा करने के लिये निम्न उपाय किये गये हैं :—

(1) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संचालन सम्बन्धी दोषों को दूर करें और कार्यक्रम को प्रभावशाली बनायें ।

(2) पिछले कुछ वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में परिवर्तन किये गये हैं ।

(3) कीटनाशी दवाइयों के आयात के लिये क्रयादेश पहले से ही दिये जा रहे हैं ।

(4) नई मोटर गाड़ियां खरीदी गई हैं और राज्यों को वितरण के लिये पुरानी मोटर गाड़ियों की मरम्मत कराई गई है ।

( ) जिन क्षेत्रों में डी०डी०टी० और बी०एच०सी० को निरूप भारी पाया गया है वहां उनके स्थान पर अन्य औषधियों को आजमाया जा रहा है ।

(6) कुछ क्षेत्रों में निरन्तर ट्रांसमिशन की समस्या के समाधान का पता लगाने के लिये अनुसन्धान कार्य को गहन कर दिया गया है ।

(7) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ केन्द्रीय प्रायोजित योजना में रखा गया है ।

खनिज उत्पादन में कमी

1041. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में खनिज का अगस्त, 1969 से कुल उत्पादन जुलाई, 1969 के उत्पादन की तुलना में लगभग सात प्रतिशत कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन खनिजों के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं। अगस्त, 1969 के दौरान खनिज उत्पादन का मूल्य जुलाई, 1969 की तुलना में 4 प्रतिशत कमी दिखाता है।

(ख) पिछले मास की तुलना में लगभग सभी खनिजों के उत्पादन का स्तर निम्न रहा।

(ग) अधिकतर मामलों में उत्पादन में गिरावट सामान्यतः वर्षा के कारण है जो कि मौसमी बात है। सामान्यतः उत्पादन अगले महीने में बढ़ जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा देना

1042. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में कार्य कर रही विदेशी कम्पनियों को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जा रही है ताकि वे लाभांश, स्वत्व शुल्क तथा लाभ प्रविष्ट कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) यह प्रश्न संभवतः विदेशी कम्पनियों की उन शाखाओं और विदेशी कम्पनियों की उन सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में है जो भारत में काम कर रही हैं। विदेशी कम्पनियों की शाखाओं द्वारा हाल के वर्षों में लाभ की जितनी रकमें भेजी गयीं, वे इस प्रकार हैं : –

(लाख डालरों में)

	1966-67	1967-68	1968-69
लाभ	200	210	170

लाभांश (डिवीडेंड) के बारे में जो सूचना उपलब्ध है, वह न केवल विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के संबंध में है बल्कि भारतीयों द्वारा नियंत्रित उन कम्पनियों के संबंध में भी है जिनमें विदेशी पूंजी-निवेश भारतीय पूंजी की तुलना में थोड़ा है। रायल्टी की अदायगी के संबंध में बाहर भेजी गयी रकमों की सूचना भी भारत में काम करने वाली सभी कम्पनियों के बारे में है और विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। लाभांश और रायल्टी की अदायगी के संबंध में हाल के वर्षों में बाहर भेजी गयीं कुल रकमों का ब्योरा यह है :

(लाख डालरों में)

	1966-67	1967-68	1968-69
लाभांश	370	390	340
रायल्टी	70	60	60

(ख) ये कदम उठाये गये हैं :—

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 मार्च, 1969 को जारी किये गये एक प्रेस नोट के जरिये यह कहा गया है जिन विदेशी फर्मों और कम्पनियों का भारत में नयी शाखाएं स्थापित करने का विचार हो, वे भारत में कोई नयी शाखा खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करें।

(2) विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों में भारतीय पूंजी लगाये जाने और उसमें वृद्धि करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया जाता है।

(3) पहली अप्रैल, 1965 से लागू हुए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 18 (क) के अन्तर्गत विदेशियों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों को केन्द्रीय सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना, भारत में किसी व्यक्ति, कम्पनी या फर्म के व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक लेन देनों के संबंध में उसके तकनीकी अथवा प्रबन्ध सलाहकार के रूप में कार्य करने की मनाही है।

(4) नयी भारतीय ज्वायंट स्टाक कम्पनियों में नये विदेशी पूंजी निवेश के मामलों पर विचार करते समय, सरकार की सामान्य नीति यह रहती है कि उस उपक्रम में अधिकांश शेयर और प्रभावी नियंत्रण भारतीयों के हाथ में होना चाहिये। नये उद्यमों में आधे से अधिक विदेशी पूंजी के निवेश के प्रस्तावों पर कुछ आपवादिक परिस्थितियों और सीमित क्षेत्रों में ही विचार किया जाता है।

(5) भारत में काम कर रही उन कम्पनियों द्वारा, जिनका सम्पूर्ण स्वामित्व विदेशियों के हाथ में है, विदेशों में अपनी मूल कम्पनियों को रायल्टी की अदायगी और तकनीकी जानकारी संबंधी शुल्क की रकम भेजने की अनुमति आमतौर पर नहीं दी जाती। यदि विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों के मामलों में ऐसी अदायगियों की अनुमति दी भी जाती है तो उनकी दरें सामान्य रूप से उन दरों से कम होती हैं, जिन पर उन कम्पनियों को, जिनमें भारतीय पूंजी का निवेश आधे से अधिक होता है, ऐसी ही परिस्थितियों में रायल्टी की अदायगी करने की अनुमति दी जाती है।

(7) रायल्टी की अदायगी के कारण बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा की रकम में कमी करने के लिये ये महत्वपूर्ण कदम भी उठाये जाते हैं :

(क) देश के अन्दर अनुसंधान और विकास करने पर पहले से अधिक जोर दिया जाता है और भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) सहयोग करारों को यदि उचित समझा जाय तो सामान्य रूप से केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये अनुमति दी जाती है और अवधि में वृद्धि की अनुमति केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही दी जाती है ।

Evasion of Government Taxes by the Pioneer Ltd., Tanda (U. P.)

1043. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that some weavers of Faizabad (U. P.) have lodged a complaint with the District Magistrate, Faizabad stating therein that the Pioneer Ltd., Tanda, the selling agent for staple yarn have been evading Government taxes worth lakhs of rupees ;

(b) whether the District Magistrate, Faizabad has sent the said complaint to the Uttar Pradesh Government along with his report to the effect that the said selling Agent does evade taxes ; and

(c) if so, the action so far taken by Government in this case ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). This Ministry is not aware of the action taken by the State Government in the matter. Information in respect of action taken by the Income-tax Department would be placed on the Table of the House.

सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाला देश भारत

1044. **श्री सत्य नारायण सिंह** : **श्री उमानाथ** :
श्री प० गोपालन : **श्री अ० कु० गोपालन** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत विश्व में सबसे अधिक सहायता प्राप्त करने वाले देशों में है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : पियर्सन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी सहायता की गति की वास्तविक मात्रा के आधार पर, हाल के वर्षों में भारत को अधिक सहायता मिली है । लेकिन दूसरी ओर, प्रति-व्यक्ति के आधार पर, भारत को संसार के अन्य देशों की अपेक्षा सबसे कम सहायता मिली है ।

भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति

1045. **श्री सत्य नारायण सिंह** : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :
श्री गणेष घोष : **श्री पी० राममूर्ति** :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के सभी कारखानों में सिंदरी कारखाने समेत दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को अप्रैल, 1964 से कार्यान्वित किया गया था परन्तु, चार्जमैनों के मामले में इन सिफारिशों को 1 मार्च, 1967 से लागू किया गया था ;

(ख) क्या बिहार श्रम विभाग ने सिंदरी कारखाने को 17 जनवरी, 1967 और बाद में

5 जनवरी, 1968 को यह कहा था कि चार्जमैनों पर दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है और उन्हें 1 अप्रैल, 1964 के चार्जमैनों को इन सिफारिशों का लाभ देना चाहिये।

(ग) क्या राज्य की कार्यान्विति तथा मूल्यांकन समिति ने भी 23 नवम्बर को प्रबन्धकों से इन सिफारिशों को 1 अप्रैल, 1964 से लागू करने के लिए कहा था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने इन पर अभ्यावेदन दिया था जिसे समिति ने अस्वीकार कर दिया था और राज्य के श्रम विभाग ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को इस आशय का पत्र लिखा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे क्योंकि किसी भी सरकारी उपक्रम के लिए सरकार द्वारा स्थापित त्रिपक्षीय निकाय के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य होता है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भातीय उर्वरक निगम ने 1 अप्रैल, 1964 से सिंदरी कारखाने को शामिल करते हुए, अपने सारे कारखानों में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुसंधान पर वेतन-मान के संशोधनों को लागू किया। किन्तु निगम के सिंदरी कारखाने में संशोधित वेतन-मान केवल अश्रमिक (कर्मचारी) श्रेणियों पर लागू किया गया था क्योंकि श्रमिकगण बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पंचाट के अन्तर्गत आते हैं। चार्जमैनों पर, जो इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट (औद्योगिक विवाद अधिनियम) के अन्तर्गत आते हैं, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था फिर भी, विशेष प्रार्थना पर, बाद में उनको बिहार इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एवार्ड को छोड़ देने की अनुमति दी गई थी तथा उन्हें 1-3-1969 से संशोधित वेतन-मानों का लाभ दिया गया।

(ख) जी हां। बिहार श्रम विभाग ने जनवरी, 1967 में और, फिर जनवरी 1968 में सिंदरी कारखाने के प्रबन्धकों को परामर्श दिया था कि चार्जमैनों पर भी दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं और चार्जमैनों के लिए 1 अप्रैल, 1964 से उक्त सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहिएं।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। इस विषय पर राज्य श्रम विभाग ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है तथा वह विचाराधीन है।

गोआ के मुख्य मन्त्री की विदेश यात्रा

1046. **श्री जयसिंह :**　　　　**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मन्त्री 25 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के मुख्य मंत्री द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना युगोस्लाविया, टोक्यो तथा हांगकांग की जो यात्रा की गयी थी और इस संबंध में उन्होंने जो उत्तर दिया है उस पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त प्रश्न के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से यह मान लेना चाहिये कि भूतकाल में ऐसे कोई अनियमित मामले नहीं हुए हैं जिनमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हों ; और

(घ) यदि ऐसे मामले हुए थे, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का पता लगाने के लिये क्या व्यवस्था है और क्या इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक से और सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है, इसलिये मामला अभी विचाराधीन है।

(ग) से (ङ). विदेशी मुद्रा की स्वीकृतियों के आंकड़े यात्रा सम्बन्धी अनुमति के बारे में इस प्रकार के वर्गीकरण के अनुसार नहीं रखे जाते। भारतीय रिजर्व बैंक जितनी विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल के लिये स्वीकृतियां देता है, उनकी जांच हवाई कम्पनियों द्वारा पेश किये जाने वाले विवरणों से की जाती है और बैंक उल्लंघन के स्वरूप को देखते हुए उचित कार्रवाई करता है। यदि अलग-अलग व्यक्तियों के नाम बताए जायं तो उनके विषय में जांच की जायगी।

महलनवीस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

1047. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मन्त्री 25 अगस्त 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4745 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति के प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) सरकार ने किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और किन को स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें स्वीकार न किये जाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या व्यवस्था या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 4745 के उत्तर में, जो 25 अगस्त, 1969 को दिया गया था, बताया गया था, आय के वितरण और जीवन के स्तरों से सम्बद्ध महलनवीस समिति की रिपोर्ट का दूसरा भाग छप रहा है। समिति की रिपोर्ट के दूसरे भाग में जो सिफारिशें की गयी हैं, उनका सम्बन्ध मुख्यत: आंकड़ों के संग्रह और उनके बारे में आगे कार्रवाई करने की व्यवस्था में सुधार करने से है। इन सिफारिशों पर इस समय विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार तथा सरकारी क्षेत्र में उच्च वेतन वाले बनाये गये नये पद

1048. श्री जय सिंह : श्री यज्ञ दत्त शर्मा :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मन्त्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4746 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 से लेकर अब तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा सरकारी उपक्रमों में 3000 रुपये से अधिक वेतन वाले बनाये गये नये पदों के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और यह जानकारी कब तक एकत्र कर ली जायेगी ; और

(घ) उच्च वेतन वाले नये पद बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने में क्या कठिनाइयां हैं, विशेष कर जब कि प्रधान मन्त्री 95 प्रतिशत जनता की भलाई के लिये और आयों में विषमता को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रही हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी) (क) से (ग). कुछ मन्त्रालयों से पूरी सूचना अभी भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। सूचना इकट्ठी करने तथा उसे संसद के चालू सत्र में पेश करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सूचना सभी मन्त्रालयों तथा उनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों से इकट्ठी की जानी थी, इसलिए शीघ्रता करने के प्रयास के बावजूद भी इसमें अनिवार्य रूप से कुछ समय लग गया।

(घ) ऊंचे वेतन वाले नये पदों के निर्माण पर आम पाबन्दी लगाना व्यावहारिक नहीं समझा जाता। किन्तु, ऐसे पदों का निर्माण कार्य-भार, जिम्मेदारी की मात्रा, आदि का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाता है।

भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों का विदेशी बैंकों में जमा धन

1049. श्री जय सिंह : श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री 18 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 588 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों के 11 सदस्यों द्वारा 31 दिसम्बर, 1968 को विदेशी बैंकों में जमा कुल राशि के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों के उन सदस्यों के नाम क्या है जिन्होंने अपने खातों की जानकारी अभी तक नहीं दी है ; और

(घ) सरकार ने उनके खातों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम कब प्राप्त करनी शुरू की थी और अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगने की सम्भावना है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). 33 पार्टियों के खातों में 31 दिसम्बर, 1968 को कुल 67.13 लाख रुपया जमा था। अब दो खाते बन्द हो चुके हैं और बाकी 14 पार्टियों के खातों के बारे में जो अन्तिम सूचना उपलब्ध है, उसके अनुसार उनमें 31.62 लाख रुपया जमा है।

मन्त्रियों की ओर बिजली तथा फर्नीचर की बकाया राशि

1050. **श्री जय सिंह** : **श्री हरदयाल देवगुण** : **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री 18 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रिमंडल के सदस्यों, सर्वश्री सत्य नारायण सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद और ब० रा० भगत ने इस बीच बिजली, पानी और फर्नीचर के किराये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार ने क्या और किस स्तर पर कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार का विचार किराये की राशि समय पर न चुकाने के अभ्यस्त व्यक्तियों से ब्याज वसूल करने के लिए मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम में संशोधन करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन एवं निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) तथा (ख). सदस्य महोदय द्वारा हवाला दिए गये प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित, तीन मंत्रियों द्वारा, रकम की अदायगी की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(i) सर्वश्री बी० आर० भगत और फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा देय बिजली और पानी प्रभार तथा फर्नीचर के किराए की क्रमशः 424.72 रुपये तथा 10,437.06 रुपये की बकाया राशि, उन द्वारा अब अदा कर दी गई है।

(ii) बिजली और पानी प्रभार की 1,281.39 रुपये की बकाया राशि में से श्री सत्य नारायण सिन्हा द्वारा 1,000 रुपये की राशि अदा कर दी गई है और 281.39 रुपये शेष हैं।

(ग) श्री सत्य नारायण सिन्हा को बकाया अदा करने के लिये स्मरण करा दिया गया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) श्री सत्य नारायण सिन्हा पर बकाया केवल बिजली और जल प्रभार के कारण है। सैलेरीज एण्ड एलाऊंसिज आफ मिनिस्टर्ज एक्ट 1952 के अन्तर्गत मन्त्रीगण अपने निवास स्थानों पर बिजली और पानी की निःशुल्क और असीमित सप्लाई के पात्र हैं। इस आधार पर 2,400 रुपये की ऊपरी सीमा स्वेच्छा से है और इस कारण से एक्ट के संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में मैडिकल कालेज

1051. श्री वि० प्र० मंडल : या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन औरनिर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार मैडिकल कालेजों की संख्या कितनी है ;

(ख) जनसंख्या के अनुसार राज्यवार मैडिकल कालेजों का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से कुछ राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे हैं ;

(घ) क्या भागलपुर में एक नया मैडिकल कालेज खोलने के लिए बिहार राज्य द्वारा केन्द्रीय अनुदान की मांग निरन्तर की जाती रही है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2073/69]

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ). चौथी पंचवर्षीय योजना में भागलपुर में एक मैडिकल कालेज खोलने से बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने अपनी सहमति दे दी है वैसे, चौथी योजना में नये चिकित्सा कालेजों की स्थापना का काम राज्य सैक्टर में सम्मिलित है और राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता समैकित ऋणों अनुदानों के रूप में दी जायेगी।

तामिलनाडु सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के वितरण के बारे में मांग

1052. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री जे० के० चौधरी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने विदेशी मुद्रा के वितरण के बारे में केन्द्र सरकार से कुछ नई शक्तियों के लिए मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति की 26 सितम्बर, 1969 को जो बैठक हुई थी, उसमें तामिलनाडु के शिक्षा मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा निर्धारित करने के कुछ अधिकार दिये जायं। इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया था।

नई दिल्ली में महात्मा गांधी की मूर्ति

1053. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री बेघर बेहेरा :**
श्री श्रीनिवास मिश्र : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डिया गेट, नई दिल्ली पर, जहां सम्राट जार्ज पंचिम की मूर्ति थी, महात्मा गांधी की आदमकद मूर्ति स्थापित करने का काम स्थगित हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) छतरी के नीचे के स्थान को, जहां पर किंग जार्ज V की मूर्ति खड़ी थी, महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है। इस प्रयोजन के लिए वैकल्पिक वास को विकसित करने का प्रस्ताव है।

फ्रांसीसी फर्म द्वारा खम्भात की खाड़ी के क्षेत्र में छिद्रण-कार्य में सहायता की पेशकश

1054. **श्री जनार्दनन :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री बेणीशंकर शर्मा : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फ्रांसीसी फर्म ने खम्बात की खाड़ी के क्षेत्र में तट से दूर छिद्रण-कार्य में सहायता की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) फ्रंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी दल ने पश्चिमी तट के गहरे पानी में अतटीय व्यधन में सहायता पेश की है ;

(ख) और (ग). अब तक प्राप्त हुई सारी पेशकशों की जांच की जा रही है। इस स्थिति में इन प्रस्तावों के ब्यौरों को बताना जन-हित में नहीं है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा अमरीकी सलाहकार की कार्यावधि बढ़ाया जाना

1055. श्री कं० हालदर : श्री जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री रामावतार शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा डब्ल्यू० के० ई० अमरीकी सलाहकार की कार्यावधि 1970-75 तक बढ़ायी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य कूपक खुदाई के लिये एक अमरीकी परामर्शदाता के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं। इस विशेषज्ञ का सेवाकाल दिसम्बर 1969 में समाप्त होगा और उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी ठेकेदारों द्वारा खेतड़ी में भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण

1056. श्री इसहाक साम्भली : श्री अविनन :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री झारखंडे राय :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेतरी में दो शाफ्ट लगाते समय अमरीकी ठेकेदारों ने भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण नहीं दिया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु में मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव):
(क) जी नहीं। वास्तव में खेतड़ी में कूपक खुदाई का कार्य अब विभागीय तौर पर किया जा रहा है और अमरीकी विशेषज्ञों में से अन्तिम विशेषज्ञ के दिसम्बर 1969 में प्रायोजना से चले जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड सलाहकारों में मतभेद

1057. श्री जनार्दनन : श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री इन्द्र जीत गुप्त :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के सलाहकार के रूप में इस समय कितनी फर्में कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या सलाहकार फर्मों के बीच कोई मतभेद है ; और

(ग) क्या इस मतभेद से खानों के विकास की प्रगति पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) (1) मैसर्स वैस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कम्पनी केलिफोरनिया (संयुक्त राज्य अमेरिका) खेतडी में कूपक खुदाई में सहयोग के लिए (यह समझौता दिसम्बर 1969 में समाप्त हो जायेगा) ; और

2. प्रायोजना के सम्बन्ध में सामान्य परामर्श दाता सेवाओं के सम्बन्ध में।

(2) मैसर्स बिनो-पिक एण्ड एनसा, पेरिस (फ्रांस)

इंजीनियर परमर्शदाता, डिजाईन बनाने वाले और उपकरणों के संभरक के रूप में।

(3) फेक्ट इंजीनियरिंग तथा डिजाईन संस्था (एफ० ई० डी० ओ०) अलवेई, (भारत)—खेतड़ी तांबा प्रायोजना क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले एक एसिड़-एवं-उर्वरक संयंत्र की विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए।

(4) मैसर्स मेक्के एण्ड स्कनेलमैन, लण्डन—राखा तांबा प्रायोजना के लिये परामर्शदाता के रूप में (सेवाएं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त की गई हैं)।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ऋण परिषद द्वारा ऋण की समस्या का अध्ययन

105९. **डा० रानेन सेन :** **श्री जगेश्वर यादव :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री जनार्दनन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण की समस्या का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सामाजिक उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक संगठनात्मक ढांचे के विषय में अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रो० डी० आर० गाडगिल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ऋण परिषद् का जो अध्ययन दल बनाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ख) और (ग). अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों का संक्षिप्त ब्योरा संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी० 2074/69] भारतीय रिजर्व बैंक इन सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

इंडियन आयल निगम द्वारा डामर (ऐक्सफाल्ट) का निर्यात

1059. श्री इसहाक सम्भली : श्री सी० जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री जगेश्वर यादव :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन का मद्रास तथा कोचीन तेलशोधक कारखानों से डामर का निर्यात करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के डामर का निर्यात किया जायेगा?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) निगम द्वारा जून, 1970 तक लगभग 35 लाख रुपये के मूल्य का लगभग 15,000 मीटरी टन ऐस्फाल्ट निर्यात किये जाने की आशा है।

बरौनी तेल शोधनशाला के कर्मचारियों के लिये क्वाटर

1060. श्री रामावतार शास्त्री : श्री जगेश्वर यादव :
श्री भोगेन्द्र झा : श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री चन्द्र शेखर :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन्स डिवीजन) कर्मचारी संघ ने इण्डियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों तथा मंत्रालयों से बार बार अभ्यावेदन किया है कि उनके रिहायशी क्वाटर फैक्टरी के पास बनाने की बजाय बरौनी तेल शोधनशाला टाउनशिप में बनाये जायें ;

(ख) क्या बिहार सरकार के श्रम उपायुक्त ने बरौनी तेलशोधन शाला के महाप्रबन्धक को एक पत्र लिखकर कहा है कि फैक्टरी के पास रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण बन्द कर दिया जाये ;

(ग) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन तथा पत्र में किन आधारों पर आपत्ति की गई है ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। श्रम उपायुक्त ने यूनियन की शिकायत को ही केवल भेजा है और कारखाने-स्थल पर रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण कार्य को बन्द करने की सलाह दी है।

(ग) यूनियन की मुख्य आपत्तियां, दक्षता, स्वास्थ्य की हानि तथा शिक्षा, परिवहन एवं मार्किट जैसी सुविधाओं की कमी के बारे में है।

(घ) शोधनशाला ने राज्य सरकार को क्वाटरों के निर्माण-कार्य को बन्द करने में अपनी

कठिनाइयां बताई हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि स्थल के चयन को, श्रम-विवाद के रूप में उठाना न्याय संगत नहीं हो सकता।

तेलशोधक मजदूर संघ, बरोनी का ज्ञापन

1061. श्री चन्द्र शेखर सिंह : श्री जगेश्वर यादव

श्री भोगेन्द्र झा : श्री योगेन्द्र शर्मा :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरोनी तेलशोधक मजदूर संघ ने पेट्रोलियम तथा रसायन राज्य मंत्री श्री दा० रा० चव्हाण को, जब वह सितम्बर, 1969 के प्रथम सप्ताह में बरोनी गये थे, एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या-क्या बातें दी गई हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में निम्न बाते हैं :

(1) शोधनशाला के कई एककों का परिचालन

(2) शोधनशाला में फालतू श्रमिकों का प्रश्न

(3) श्रमिकों के निवास स्थान के लिए क्वार्टरों का निर्माण

(4) पदोन्नति नीति

(5) कल्याण सुविधाएं

(ग) ज्ञापन भारतीय तैल निगम (शोधन शाला प्रभाग) को भेजा गया था और वह कम्पनी के परीक्षाधीन है।

विकासशील देशों से निर्यात के लिये विश्व बैंक से सहायता

1062. डा० रानेन सेन : श्री जनार्दनम :

श्री भोगेन्द्र झा : श्री जगेश्वर यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व बैंक को कहा है कि वह निर्यात से होने वाली आय में अप्रत्याशित अन्तर को पूरा करने के लिए अनुपूरक धन की व्यवस्था करके तथा विकास-शील देशों को निर्यात के लिए ऋण देकर उन देशों के निर्यात को सहायता देने के लिए व्यावहारिक कार्यवाही करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विश्व बैंक ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारत ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक बार यह विचार प्रकट किया है कि विकासशील देशों को अपने निर्यात में वृद्धि करने के प्रयत्नों में जो कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिए, विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चाहिए कि वे इन देशों को निर्यात-ऋणों के लिए पुनर्वित्त-सुविधायें प्रदान करके इन देशों की सहायता करें। आशा है, ये संस्थाएं यथासमय इन प्रस्तावों पर विचार करेंगी। निर्यात-आय में होने वाली अप्रत्याशित घट-बढ़ को स्थिति का मुकाबला करने के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा अपनी पूरक वित्तपोषण योजना (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग स्कीम) के अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

रुमानिया के सहयोग से तेल छिद्रन उपकरणों का निर्माण

1063. **श्री इसहाक सम्भली** : **श्री चन्द्र शेखर सिंह** :
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री जगेश्वर यादव** :
श्री जनार्दनन :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुमानिया की सहायता से भारत में तेल छिद्रन उपकरण बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस काम में रुमानिया से क्या सहायता मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). तेल के कुएं और पानी के कुएं की खुदाई के लिए अपेक्षित आवश्यक उपकरणों के उत्पादन के लिए भारत में संयुक्त उद्यम की स्थापना के बारे में रुमानिया ने दिलचस्पी प्रकट की है। किन्तु, अब तक रुमानिया प्राधिकरण से इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं। औपचारिक प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद ही इसकी रूपरेखा जानी जा सकती है।

पी० एल० 480 निधियों के भाग को केवल अमरीका सरकार द्वारा भारत में प्रयोग के लिये अलग रखना

1064. **श्री भोगेन्द्र झा** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री जनार्दनन : **श्री लोबो प्रभु** :
श्री कं० हाल्दर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अक्तूबर, 1969 को हुए नये पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत, भारत में एक मात्र अमरीकी सरकार के उपयोग के लिए अलग रखी गई पी० एल० 480 रुपया समतुल्य-निधियों के अनुपात को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर ? प्रतिशत कर दिया गया हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नये करार के अन्तर्गत सरकारी परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए भारत सरकार को उधार दी जाने वाली रुपया निधियों का अनुपात 88 प्रतिशत से घटाकर 86 प्रतिशत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो नये करारों के इन उपबन्धों से सहमत होने का क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां । पिछले अप्रैल में जिस करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, उसके मुकाबले में अक्तूबर, 1969 में किये गये करार में ये परिवर्तन किये गये हैं । प्रतिशत-अनुपात, रुपयों में अदायगी की शर्तों के अन्तर्गत किये जाने वाले आयात के दो-तिहाई भाग पर लागू होंगे । संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए निर्धारित किया गया यह अतिरिक्त दो प्रतिशत भाग 1.15 करोड़ रुपये के बराबर बैठेगा और यह भारत सरकार के लिए निर्धारित रकम में होने वाली कमी के बराबर है ।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्तेमाल के लिए निर्धारित अनुपात सभी करारों में एक समान नहीं रहा है । उदाहरणार्थ, 1967 में किये गये करारों में यह अनुपात 8 प्रतिशत था । अनुपात का निर्धारण, संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पेय जल

1065. **श्री जनार्दन** **श्री अविचन** :
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 119,000 गांवों में पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इन गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) ग्राम क्षेत्रों में उपलब्ध पेय जल के बारे में 1964-65 में खण्ड संगठन के माध्यम से किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 1.19 लाख गांवों में पेय जल के कोई स्रोत न होने की सूचना दी गई ।

(ख) अपने वार्षिक योजनाओं में आवश्यक धन की व्यवस्था करना तथा जलपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता का निर्धारण करना राज्य सरकारों का काम है ; सभी प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को एक मुश्त ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है न कि किसी विशेष कार्यक्रम/योजना के संदर्भ में ।

मीठापुर में टाटा बन्धुओं द्वारा प्रस्तावित उर्वरक परियोजना

1066. **श्री कं० हाल्दर :** **श्री जनार्दनन :**
श्री भोगेन्द्र झा : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेफथा पर आधारित कोई अन्य उर्वरक कारखाने स्थापित न करने के सरकारी निर्णय के उपरान्त टाटा बन्धुओं ने मीठापुर में अपने प्रस्तावित उर्वरक कारखाने में कुछ परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में टाटा बन्धुओं ने किन परिवर्तनों का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने पुनरीक्षित परियोजना पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). टाटा बन्धुओं ने सूचित किया है कि वे मीठापुर की अपनी उर्वरक परियोजना के बारे में एक पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजेंगे । पुनरीक्षित प्रस्ताव की प्रतीक्षा की जा रही है ।

पी०एल० 480 करार के अन्तर्गत गेहूं, रूई और वनस्पति तेलों का आयात

1067. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री कं० हाल्दर :**
श्री जनार्दनन : **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से गेहूं, रूई तथा वनस्पति तेलों का आयात करने के लिये 13 अक्तूबर, 1969 को एक नया पी०एल० 480 करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत कितने तथा कितने मूल्य के गेहूं, रूई तथा वनस्पति तेल का आयात किया जायेगा ; और

(ग) नए करार की शर्तें क्या हैं और गत अप्रैल में किये गये करार की शर्तों की तुलना में ये शर्तें कैसी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). जी हां । 13 अक्तूबर, 1969 को अमरीकी सरकार के साथ 3,000 000 टन गेहूं, 1,00,000 गांठ कपास और 95,000 टन वनस्पति तेल के आयात में लिये एक पी०एल० 480 करार किया गया था । करार 19.'5 करोड़ डालर के लिये है जिसमें 15.98 करोड़ डालर का गेहूं, 1.91 करोड़ डालर का सोयाबीन का तेल और 1.26 करोड़ डालर की कपास शामिल है । आयात का 2/5 भाग रुपया भुगतान पर की जायेगी और शेष 3/5 भाग डालर ऋण पर जो 40 वर्ष की अवधि में देय होगा । रुपया भुगतान का 85 प्रतिशत भाग भारत सरकार को विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिये उपलब्ध होगा । 5 प्रतिशत अमरीकी सहयोग वाली भारतीय फर्मों को दिया जायेगा और

शेष 9 प्रतिशत अमरीकी सरकार के उपभोग के लिए रक्षित होगा। 3 करार की शर्तें नहीं हैं जो करार अप्रैल 1969 में किया गया था ; दोनों में केवल निम्न अन्तर है :—

(एक) अक्तूबर के करार में भारत सरकार को ऋण के लिये 86 प्रतिशत रुपया नियत किया गया है। जबकि अप्रैल के करार में 88 प्रतिशत रुपया नियत किया गया था।

(दो) जहाँ तक डालर में ऋण की शर्तों के अन्तर्गत किये गये आयात का सम्बन्ध है, अमरीकी जहाज भाड़े (कुल टन भार का 50 प्रतिशत) की डालर में लागत भी अमरीका द्वारा दी जाती थी जो जहाज तक निःशुल्क-लागत के अतिरिक्त होती थी। अक्तूबर करार के अन्तर्गत आयात के इस भाग पर माल-भाड़ा भारत द्वारा निःशुल्क विदेशी मुद्रा में चुकाया जायेगा :

गया और बरौनी के बीच ट्रांसमीशन लाइन का पूरा होना

1068. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 28 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में 50 मेगावाट का पहला नया यूनिट इस बीच चालू हो गया है और क्या गत अगस्त के अन्त तक गया और बरौनी के बीच ट्रांसमिशन लाइन पूरी हो गई है जैसा कि वचन दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर बिहार में इस समय प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध है ;

(ग) उत्तर बिहार में जयनगर, दरभंगा तथा अन्य स्थानों पर बारम्बार बिजली खराब हो जाने के चार कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) क्या दरभंगा इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लिमिटेड को अपने नियंत्रण में लेने का बिहार सरकार का निर्णय क्रियान्वित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बरौनी में मैगावाट का पहला यूनिट 20-8-1969 को चालू हुआ था और आजमायशी तौर पर चल रहा है। गया और बरौनी के बीच की पारेषण लाइन को पूरा कर इसे 14-8-69 को अर्जित किया गया था।

(ख) उत्तर बिहार में इस समय बिजली की प्रति-व्यक्ति उपलभ्यता लगभग 17 यूनिट है।

(ग) निम्नलिखित पग उठाये गए हैं :—

(1) उद्वाह्य भार की विकीर्णता को दूर करने और बिजली की उपलभ्यता को बढ़ाने के लिये बरौनी बिजली घर की प्रतिष्ठापित क्षमता में विस्तार किया जा रहा है और उत्तर तथा दक्षिण बिहार की बिजली प्रणालियों को आपस में मिलाने का काम पूरा हो गया है।

(2) शीर्षोपरि पारेषण पथों की छेड़खानी तथा ऊर्जा की चोरी को कम करने के लिए 'ब्यूरो फार प्रिवेंशन आफ पावर लीकेज' का गठन किया गया है। बोर्ड ने बिजली

ऊर्जा के सही आँकन के लिए ऊर्जा मापक यंत्र लगाने और उपयुक्त निवारक उपाय हाथ में लेने का निर्णय किया है।

(3) पारेषण पथों की त्रुटियों और खराबियों के लिये अनुरक्षण कार्यों को तेज कर दिया गया है।

(4) उपकेन्द्रों में त्रुटियों के लिये वहां पर उपकरण को विशेष अनुरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्थायी प्रतिकारात्मक उपाय अपनाने के विचार से प्रत्येक त्रुटि का विश्लेषण किया जा रहा है।

(घ) वित्तीय तंगी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दरभंगा इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी लि०, को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया है।

दरभंगा में भूमि पर कथित कब्जा

1069. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा दरभंगा जिले में भूमि पर कब्जा किये जाने के बारे में 2 : अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4782 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मस्जिद और मदरसे के प्रबन्धक अधिकारियों से वास्तविक तथ्यों की जांच पड़ताल की है ;

(ख) क्या यह सच है कि मस्जिद और मदरसे के प्रबन्धकर्ता अधिकारी अपने कब्जे के अन्तर्गत आई भूमि के अतिरिक्त और भूमि नहीं मांगते ;

(ग) यदि हां, तो अराजकता की आशंका होने का क्या आधार है, यदि अधिसूचित क्षेत्र समिति उनके कब्जे वाली भूमि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती ; और

(घ) वर्तमान स्थिति को नियमित करने और मुकदमें वापिस लेने में क्या कठिनाई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विशाखापत्तनम बन्दरगाह और खम्मात तट-दूर छिद्रण के लिए जापान से परियोजना सहायता

1070. **श्री भोगेन्द्र झा** :
श्री जनार्दन :
श्री कं० हाल्दार :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस परियोजना की जिसका प्रस्ताव विशाखापत्तनम बाहरी पतन तथा

खम्भात तट-दूर खोज परियोजना के लिये जापान ने किया था, शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में टोकियो गया था ;

(ख) क्या उक्त परियोजना सहायता सम्बन्धी शर्तों को टोकियो में अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बातचीत अभी चल रही है।

शेयरों में वायदा-व्यापार का पुनरारम्भ

1071. **श्री रानेन सेन :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री जनार्दनन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद तथा दिल्ली के सट्टा बाजार व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल अभी हाल ही में प्रधान मंत्री से मिला था तथा उनसे शेयरों के वायदा-व्यापार को पुनः आरम्भ करने की मांग की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

पेंशनधारी का कोषागार अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना

1072. **डा० रानेन सेन :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशनधारी को, जो ऐसी परिस्थितियों के कारण जिन पर उसका नियंत्रण नहीं है जहां से वह पेंशन प्राप्त करता है, एक वर्ष से अधिक समय से उस कोषागार से दूर रहता है, उसे पेंशन लेने के लिए कोषागार अधिकारी के सामने स्वयं जाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पेंशन बिल जिसके साथ पेंशनधारी का जीवन प्रमाण-पत्र

लगा होता है तथा जो नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी द्वारा तसदीक किया होता है स्वीकार नहीं किया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). पेंशन पाने वाले हर व्यक्ति को, अपनी शिनाख्त के लिए वर्ष में एक बार कोषागार में जाना पड़ता है। पर दो प्रकार के पेंशन-भोगियों को अपनी शिनाख्त कराने से छूट दी गई है : (i) बैंकों की मारफत पेंशन पाने वाले लोग, जिनको अधिक रकम की अदायगी किये जाने की स्थिति में उस रकम को वापस करने के लिए बैंकों ने बाण्ड भर दिया हो, और (ii) शारीरिक अस्वस्थता या कमजोरी के कारण असमर्थ हुए व्यक्ति। यह एहतियात धोखेबाजी से बचने और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के जीवित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करने के लिए बरती जाती है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके वर्तमान कार्य-प्रणाली में सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन

1073. **डा० रानेन सेन :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के पेंशनों में 10 रुपये की जो वृद्धि हुई है वह जम्मू तथा काश्मीर के महा लेखाकार के कार्यालय के उन पेंशनरों पर लागू होगी जो वित्तीय समाकलन से पूर्व सेवा-निवृत हो गये थे ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार जम्मू तथा काश्मीर महालेखाकार के कार्यालय के पेंशनरों को इस योजना में शामिल करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के महालेखाकार के कार्यालय के जो पेंशनर वित्तीय एकीकरण से पूर्व सेवा-निवृत्त हुए थे, वे राज्य सरकार के पेंशनर हैं।

(ग) तथा (घ). ये सवाल नहीं उठते।

फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के सिन्दरी एकक में हड़ताल

1074. **श्री गणेश घोष :** **श्री नम्बियार :**

श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री के० रमानी :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के सिन्दरी

एकक में हुई 12 दिवसीय हड़ताल, राज्य मंत्री श्री के० रघुरमैया तथा संसद सदस्य **श्री ग्रानन्द** नम्बियार के बीच समझौता हो जाने के माध्यम से समाप्त हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उस समझौते के फलस्वरूप सिन्दरी एकक में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्राश्वासन दिया गया था कि उन्हें, ग्रावास भत्ते, निःशुल्क पानी तथा नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी करने ग्रादि की ग्रनेक सुविधायें दी जायेंगी ;

(ग) क्या उन ग्राश्वासनों को इस बीच कार्य रूप दे दिया गया है ग्रौर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों को ग्रपनी कठिनाइयां दूर कराने के लिये राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्य शोधन समिति के पास जाना पड़ा था ; ग्रौर

(ङ) क्या यह भी सच है कि राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति के निर्णय के बावजूद प्रबन्धकों ने कुछ नहीं किया है हालांकि किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिये किसी मंत्री तथा त्रिपक्षीय निकाय के करार का पालन करना ग्रनिवार्य होता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण) : (क) इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के ग्रन्तर्गत ऐसा कोई समझता नहीं हुग्रा था किन्तु पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री के० रघुरमैया तथा संसद सदस्य श्री ग्रानन्द नम्बियार के बीच बातचीत हुई थी। फलस्वरूप श्री रघुरमैया ने श्री ग्रानन्द नम्बियार को 1.10. 967 को एक पत्र लिखा था जिसमें भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कुछ विवादग्रस्त मामलों के बारे में लिये गये फैसलों का जिकर किया था।

(ख) ऐसा कोई ग्राश्वासन नहीं किया गया था परन्तु भारतीय उर्वरक निगम के विभिन्न एककों तथा केन्द्रीय सरकार के ग्रन्य उपक्रमों में विद्यमान कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए, प्रबन्धक, ग्रावास भत्ते तथा उपनगर में निशुल्क पानी की सप्लाई के मामलों पर विचार करने के लिए सहमत हो गये थे।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पता चला है कि ग्रावास भत्ते तथा निःशुल्क पानी की सप्लाई जैसे मामलों पर हो रही बातचीत के दौरान, श्रमिकों प्रतिनिधियों ने राज्य कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समिति, बिहार के समक्ष एक शिकायत की थी। बिहार सरकार ने इस समिति को निलंबित कर दिया है ग्रौर निगम इसके पुनः स्थापित किये जाने की प्रतीक्षा कर रही है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तपैदिक के रोगी

1075. **श्री गणेश घोष :** **श्री कं० हाल्दर :** **श्री भगवान दास :** **श्री बकरुद्दुजा :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन ग्रौर निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में तपेदिक से कितने व्यक्ति पीड़ित हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस बीमारी का प्रकोप कितना बढ़ा अथवा घटा है ;

(ग) बीमारी के घटने अथवा बढ़ने का क्या कारण हैं ,

(घ) प्रत्येक राज्य में अस्पतालों तथा स्वास्थ्य गृहों से तपेदिक रोगियों के लिये कितनी रोगी शयायें उपलब्ध हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार तपेदिक रोगियों के लिये आगामी पांच वर्षों में रोगी शयायों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है ; यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में 2,500 टी० बी० के पृथक—पलंगों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जायेगी :—

अनावर्ती	
स्थापना हेतु	4000 रु० प्रति पलंग
आवर्ती	3000 रु० प्रति पलंग प्रतिवर्ष

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बचाना

1076. **श्री गणेश घोष** : **श्री वि० कु० मोडक** :
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री भगवान दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय तथा तम्बाकू उद्योगों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बचाने वालों के कितने मामलों पर कार्यवाही की ;

(ख) इससे संबंधित फर्मों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक फर्म ने कितने कर की राशि बचायी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

विदेशी फर्मों द्वारा धन को बाहर भेजना

1077. **श्री गणेश घोष** : **श्री वि० कु० मोडक** :
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री कं० हाल्दर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में कार्य कर रही विदेशी फर्मों ने

पिछले तीन वर्षों में (1) मुख्य कार्यालय व्यय तथा (2) समुन्द्र पार एजेंटों के रखरखाव के लिए कितनी धनराशि विदेशों को भेजी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : उपलब्ध सूचना सभी विदेशी और भारतीय फर्मों के बारे में है और इसमें प्रत्येक शीर्षक के अधीन अलग-अलग रकमें न दिखाकर प्रबन्ध-शुल्क, कार्यालय व्यय अभिकरण सेवाओं आदि के सम्बन्ध में कुल प्रेषित रकमें दिखायी गयी हैं जो इस प्रकार हैं :—

वर्ष	रकम (लाख रुपया डालरों के सममूल्यों में)
1966-67	220
1967-68	220
1968-69	250

बिड़ला उद्योग समूह की फर्मों पर छापे

1078. **श्री गणेश घोष** : **श्री वि० कु० मोडक** :
श्री कं हाल्दर : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री भगवान दास : **श्री मुहम्मद इस्माइल** :

क्या वित्त मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग ने अभी हाल में ही बिड़ला बन्धुओं तथा उनके सहयोगियों के करों तथा संस्थानों पर छापे मारे थे ;

(ख) यदि हां, तो जिन घरों तथा संस्थानों पर छापे मारे गये उनकी राज्यवार संख्या क्या है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में जिन एककों तथा जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गये उनके नाम क्या हैं ;

(घ) किन-किन आरोपों पर उन घरों पर छापे मारे गये ; और

(ङ) इन छापों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के अधीन अक्तूबर 1969 में देश के विभिन्न भागों में बिरला समूह तथा उनके सहयोगियों और निष्पादकों की विभिन्न फर्मों के स्थानों में की गई तलाशियों के बाद पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता कार्यालय के अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में उत्तर पाड़ा स्थित मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के स्थानों से बहुत बड़ी मात्रा में निकल पकड़ी,

क्योंकि यह समझा गया था कि उक्त निकल सतत व्यापार नियन्त्रण लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके आयात की गई थी।

Water Exploration in Hilly Tracks and in Madhya Pradesh

1079. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the exploration of water in hilly tracks by Departmental team of his Ministry ;

(b) the efforts being made to explore water in Nimar area of Madhya Pradesh and the results achieved therefrom ; and

(c) whether the said exploration of water is still going on ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jagannath Rao) : (a) In the hilly areas (Hard Rock areas) of Madhya Pradesh, groundwater surveys by the Geological Survey of India have been carried out in the selected parts of Hosangabad, Jabbalpur, Raisen, Seahor, Rewa, Shedal, Vin, Marin, Nimar (Khandwa), Jhabua, Ujjain, Shajapur, Bilaspur, Raipur, Guna, Gwalior, Dhar, Dewas, Sagar, Shibpur, Ratlam, Chhattarpur districts.

(b) and (c). Parts of Nimar district is Tapti valley have been covered for groundwater exploration during the All India Groundwater Exploratory Project carried out during 1955-59. Subsequent investigations carried out in Khandwa area for industrial water supply and systematic surveys continued in Tapti Valley alluvial tract in Nimar district. As a result of these investigations it was revealed that moderate development of irrigation by tube-wells in all areas in Tapti Valley in Nimar district may be possible. In hard rock areas (hilly areas), groundwater development on restricted scale is possible by dug-cum-bored wells.

Systematic geohydrological surveys will also be taken up during current field season in parts of Nimar district in Narmada Valley.

Un-Authorised Constructions in New Delhi

1080. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government issued any orders to the Delhi Development Authority in regard to passing of the maps of the houses near the Tees January Marg, New Delhi where the owners have constructed two or three additional storeys ;

(b) whether Government's attention has been drawn to these unauthorised consrructions ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the orders issued by Government for this area for the future ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Certain additional construction, approved by the New Delhi Municipal Committee in accordance with the draft Zonal plan of the area, has taken place in the premises of bungalows Nos. 1 and 3, Tees January Marg, and the usual additional ground rent has been recovered by the Government. The future use of land on this road will be regulated by the Zonal plan.

Construction of Multi-Storeyed Modern Flats in Delhi

1081. **Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme under the consideration of Government to construct multi-storeyed modern flats in Delhi with the amount which would be available by selling Government residential bungalows around Central Secretariat and Connaught Place constructed on more than 4 acres of land worth crores of rupees ;

(b) if so, the date by which Government propose to take over this work ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There is no scheme of selling Government bungalows or their sites in the areas referred to Residential units for Government employees are, however, proposed to be constructed on these lands in due course, in accordance with the Master Plan for Delhi.

(b) and (c). Do not arise.

कर की बकाया राशि

1082. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कर बकाया राशि में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसे प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उन लोगों के नाम प्रकाशित करने का निर्णय किया है जिनकी किसी विशिष्ट धन राशि के ऊपर की बकाया कर राशि बट्टे खाते में डाल दी गई है, तथा उसका व्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) कर की बकाया रकमों को जल्दी-जल्दी वसूली करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किये गये हैं :—

(i) वसूली कार्य को राज्य सरकार के कर्मचारियों के पास से दिल्ली आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार ने पूरी तौर से अपने हाथ में ले लिया है ; और पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा पूना के आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में भी आंशिक रूप से लिया है। बाकी के अधिकार क्षेत्रों में वसूली कार्य को यथा संभव शीघ्र ही हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है।

(ii) कर्त्तव्य के अनुसार कार्य-विभाजन की योजना चालू की गई है जिसके अन्तर्गत कर-संग्रह का कार्य रेंज के एक अथवा अधिक आयकर अधिकारियों को विशेष रूप से सौंप दिया गया है।

(iii) 5 लाख रुपये से ऊपर की बकाया मांगों का विस्तृत विश्लेषण यह जानने के लिए किया गया है कि करों की बकाया के कारण क्या हैं तथा शीघ्र वसूली के लिए क्या

उपाय किये जांय। अब यह विश्लेषण 1 लाख रुपये से ऊपर की बकाया मांगों के मामलों में किया जा रहा है।

(iv) जिन मामलों में आयकर की बकाया रकमें वसूल होनी बाकी हैं, उनमें उचित कार्यवाही करने की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर इस प्रकार रखी गई है :—

आयकर अधिकारी	1 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले।
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त	1 लाख रुपये से अधिक तथा 5 लाख रुपये से कम की बकाया के मामले।
आयकर आयुक्त	5 लाख रुपये से अधिक की बकाया के मामले।

(v) निर्धारित आय 20,000 रुपये से ऊपर होने पर, सभी कंपनी मामलों तथा गैर-कम्पनी मामलों के सम्बन्ध में बकाया बताने वाले विवरण पत्र तैयार किये जाते हैं।

(vi) बकाया मांग की शीघ्रता वसूली के कार्य पर नजर रखने के लिए आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों में विशेष वसूली यूनिट स्थापित कर दिये गये हैं।

(vii) विलम्ब से की गई अदागियों के मामले में ब्याज की दर 1-10-1967 से 6 प्रतिशत कर दी गई है।

(viii) आयकर विभाग अब कर की अदायगी रेखांकित चेक द्वारा भी स्वीकार कर लेता है और इस निमित्त आयकर कार्यालयों में अदायगी लेने के विशेष काउन्टर खोले गये हैं।

(ix) कुछ निर्धारित सीमाओं से ऊपर की करों की अदायगी में चूक करने वाले निर्धारितियों के नाम प्रकाशित किये जाते हैं।

(x) देश भर में बकाया की वसूली करने के पखवाड़े मनाये जाते हैं। इस अवधि में, विचाराधीन समायोजनों/संशोधनों को पूरा करने, अपीलीय आदेशों को कार्यान्वित करने और निर्धारितियों से बकाया मांगों की शुद्ध रकमों की वसूली करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(ग) ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Participation of Bank Employees in Management of Banks

1083. **Shri Shashi Bhushan :**
Shri N. Sreekantan Nair :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bank employees always stood for bank's nationalisation, if so, the percentage of the bank employees whom Government propose to invite to participate in the management so that the banks could function effectively ;

(b) whether Government have received any representation or Charter of demands from the bank employees in this regard ; and

(c) if so, the reactions of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). Government have received representations from various unions of bank employees for a voice in the management of banks. Section 13(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1969 already makes it obligatory that Boards of Directors of the nationalised banks should include, *inter alia*, representatives of the employees of the banks. The question of framing a scheme for the Board of Directors of the nationalised banks is under the consideration of Government.

श्री हरिदास मूंदड़ा के नाम आयकर की राशि

1084. **श्री ए० श्रीधरन : श्री क० लकप्पा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के श्री हरिदास मुंदड़ा के नाम पर आयकर के 2,45,000 रुपये शेष हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह भारी धन राशि कितने समय से बकाया है ; और

(ग) इसे वसूल करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) श्री हरिदास मूंदड़ा की तरफ फिलहाल आयकर की कुल बकाया रकम 2,45,000 रुपये नहीं है, 1,97,27,319 रुपये है ।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित बकाया मांग का सम्बन्ध कर निर्धारण वर्ष 1941-42 से 1963-64 तक के बहुत से कर निर्धारण वर्षों से है । सबसे पुरानी मांग वर्ष 1954 में जारी की गई थी ।

(ग) निर्धारिती की अचल और चल, सारी सम्पत्तियों का अभिग्रहण कर लिया गया है लेकिन उन की बिक्री निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के सम्बन्ध में समक्ष न्यायालयों के निर्णय होने तक रोक दी गई है :—

(i) ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों में हिस्से :—

(क) धुराराम जोसी के बेनामी नाम में मेसर्स लोदना कोलियरी कम्पनी लिमिटेड में 12,500 हिस्से ।

(ख) मेसर्स कमर्शियल कम्बाइन लिमिटेड के नाम में मेसर्स उस्मानशाही मिल्स लिमिटेड में 7,850 हिस्से ।

(ग) मेसर्स एफ० सी० ओसलर (इण्डिया) लिमिटेड में 89,400 हिस्से,

(घ) ब्रह्मपुत्र टी कंपनी लिमिटेड में 2,08,300 हिस्से,

(ङ) मेसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रडास लिमिटेड में 56,000 हिस्से ।

नोट : उक्त (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित हिस्सों के सम्बन्ध में मेसर्स ईस्टर्न

बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड तथा चारटर्ड बैंक लिमिटेड द्वारा दावा दरख्वास्तें दायर की गई हैं।

(ii) नम्बर 2, राय लेने में स्थित मकान। यह सम्पत्ति बेनामीदार के नाम है जिसने अभिग्रहण के विरुद्ध आपत्ति दायर की है।

(iii) मेसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कंपनी में निर्धारिती के हितों और हिस्सों का अभिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन मेसर्स ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लिमिटेड ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय में, मुकदमा नम्बर 93/1959 द्वारा, इन हिस्सों के संबन्ध में अपने पूर्वाधिकारी का दावा दायर किया है। एक अदालती रिसिवर नियुक्त किया गया है। इन हिस्सों की लाभांश आय तथा मेसर्स ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी लिमिटेड द्वारा सब जज की अदालत में जमा कराई गई 8,59,116 रुपये की रकम का अभिग्रहण कर लिया गया है।

(iv) श्री मूंदड़ा ने कलकत्ता से उच्च न्यायालय में मुकदमा संख्या 600/1961 दायर किया जिसमें मेसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 51 प्रतिशत साधारण हिस्से खरीदने के विकल्प के विशिष्ट निष्पादन के हक का दावा किया है। उक्त मुकदमें में श्री मूंदड़ा के पक्ष में डिगरी दी गई और प्रमाण-पत्र अधिकारी द्वारा विकल्प अधिकार का अभिग्रहण कर लिया गया। रिसीवर के अधिकार में स्थित हिस्सों का अभिग्रहण करने की अनुमति के लिए, कर वसूली अधिकारी की दरख्वास्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचारधीन है।

छात्र परिचारिकाओं की समस्यायें

1085. **श्रीमति सुशीला गोपालन** : **श्री प० गोपालन** :
श्री अनिरुद्धन : **श्री मंगलाथुमाडोम** :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान छात्र परिचारिकाओं की समस्याओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक ऐसी शिकायत आई है कि छात्र परिचारिकाओं के पास बहुत अधिक कार्य है ; और

(ग) यदि हां, तो इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) से (ग). भारतीय छात्र नर्स संघ का एक सम्मेलन हाल ही में हुआ था। अखबारों में छपे एक समाचार के अनुसार उनकी अनेक कठिनाइयों जैसे प्रशिक्षण के दौरान उन्हें आराम के लिए बहुत कम समय मिलना, अस्पतालों में स्वतन्त्रता का अभाव, समाज में मान्यता का अभाव, वजीफों के रूप में अल्प रकम का दिया जाना, इनके अलावा, पूर्णतः प्रशिक्षत न होते हुए भी उनको रोगियों की देख भाल की जिम्मेदारी का काम

सौंप देने के सम्बन्ध में इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया । सरकार को इन अभावों के बारे में जानकारी है और धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वह इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न विभिन्न चरणों में करेगी ।

कपड़ा, चीनी तथा तम्बाकू पर प्रतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का विरोध

1086. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
डा० सुशीला नैयर :
श्री क० लकप्पा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ संस्थाओं ने कपड़ा, चीनी तथा तम्बाकू पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विभिन्न संगठनों ने वर्तमान व्यवस्था का आम तौर पर समर्थन किया है और पांचवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् के समक्ष रखने का प्रस्ताव है ।

श्री बीजू पटनायक उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के नाम आयकर की बकाया राशि

1087. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री क० लकप्पा :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री देवेन सेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक के नाम आयकर की भारी धन राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि बकाया है तथा कब से यह धन राशि बकाया पड़ी है ; और

(ग) इस धन राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं । इस समय श्री बीजू पटनायक (व्यक्ति) के विरुद्ध कोई मांग कानूनी तौर पर बकाया नहीं पड़ी है, यद्यपि उनके मामले में कई कर-निर्धारण अनिर्णीत पड़े हैं । इन कर-निर्धारणों की वर्तमान स्थिति यह है कि श्री बीजु पटनायक के 1949-50 तथा 1957-58 से 1961-62 के कर-निर्धारणों की कार्यवाही

पुनः शुरू की गई थी। कर-निर्धारिती ने कलकत्ता उच्च-न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया और आयकर अधिकारी को कर-निर्धारण में आगे कार्यवाही करने से रोकने का अन्तरिम व्यादेश प्राप्त किया। व्यादेश अभी तक अभिशुन्य नहीं किया गया है।

वर्ष 1962-63 से 1964-65 के सम्बन्ध में किए गए निर्धारण अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त द्वारा रद्द कर दिये गए हैं और कर-निर्धारिती तथा विभाग दोनों ने ही अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपीलें दायर की हैं और ये अपीलें विचाराधीन हैं। 1966-67 से 1969-70 के संबन्ध में कर-निर्धारण अभी पूरे होने हैं।

(ख) और (ग). ये सवाल नहीं उठते।

इंद्रप्रस्थ, दिल्ली बिजलीघर

1088. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री चं० च० देसाई :
श्री दे० आमात :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री अजमल खाँ :
श्री धी० ना० देव :
श्री एस० पी० राममूर्ति :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बिजली घर की स्थापना के पश्चात् इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के कितने विद्युत टर्बाइन खराब हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सितम्बर/अक्तूबर, 1969 में एक एक विद्युत टर्बाइन खराब हो गया था ; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). दिल्ली के इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन में यूनिट न० 3 की केवल एक टर्बाइन बिगड़ गई थी। इस टर्बाइन में 24 जुलाई, 1969 को कुछ खराबी आ गई थी। मशीन की मरम्मत हो रही है। मरम्मत पर लगभग 12 लाख रुपये लगने का अनुमान है।

बम्बई में गिरफ्तार किये गये एक तस्कर के साथ कांग्रेसी के कथित व्यापार सम्बन्ध

1089. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री क० लकपा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 अक्तूबर, 1969 के ब्लिट्ज में प्रकाशित उन समाचारों को

देखा है जिस में कहा गया है कि बंबई में, अक्तूबर 1969, में, मास्टन नामक एक व्यक्ति को तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उस व्यक्ति के बम्बई के एक प्रभावशाली कांग्रेसी के साथ व्यापारिक संबन्ध है तथा अपनी गिरफ्तारी के समय उसने अधिकारियों को धमकी दी थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हाजी मास्टन मिर्जा के संबन्ध में, 18 अक्तूबर, 1969 के "ब्लिट्ज" में छपी रिपोर्ट सरकार की जानकारी में आई है।

(ख) हाजी मास्टन मिर्जा के 'बम्बई के एक बहुत प्रभावशाली कांग्रेसी" के साथ व्यापारिक संबन्ध होने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। जिन एजेंसियों ने हाजी मास्टन मिर्जा को गिरफ्तार किया था उनकी ओर से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है श्री मास्टन ने, गिरफ्तार होते समय अधिकारियों को धमकी दी थी।

(ग) और (घ). ऊपर भाग (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

शक्ति नगर दिल्ली से झुग्गियों का हटाना

1090. **श्री एस० एम० कृष्ण** : **श्री ए० श्रीधरन** :
श्री क० लकप्पा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1969 में शक्ति नगर दिल्ली के रेलवे साइडिंग से हजारों झुग्गियां हटाई गईं थीं ;

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ से कितनी झुग्गियां हटाई गई थीं और उन झुग्गियों में कितने कितने व्यक्ति रह रहे थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह भूमि खाली पड़ी है और सरकार ने वहां से मलवा नहीं हटाया है ;

(घ) यदि हाँ, तो इन झुग्गियों को हटाने के क्या कारण थे और इस भूमि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जायेगा ; और

(ङ) क्या सभी व्यक्तियों को अन्यत्र स्थान दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). लगभग 400 झुग्गियां हटाई गई थीं ; उनमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं है।

(ग) जी नहीं। भूमि को घेर लिया गया है तथा उसका विकास किया जा रहा है।

(घ) झुग्गियों को इस लिए हटाया गया था क्योंकि वे दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि जो कि एक पार्क के लिए निर्धारित है किन्तु उसका उपयोग बाजार अथवा अन्य प्रयोजन के लिये जैसा भी शीघ्र निर्णय होगा, पर अनधिकृत रूप से बना ली थीं।

(ङ) हटाये गये सभी व्यक्तियों को जे० जे० कालोनियों झुग्गी-झोपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत कैम्पिंग साइट में वैकल्पिक वास दे दिया गया है।

सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण

1091. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :
डा० सुशीला नैयर :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० लकप्पा :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री अब्दुल गनी दार :
श्री क० हाल्दर :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री बक्श नारायण सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण करने का विचार किया है।

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सामान्य बीमे का कब तक राष्ट्रीयकरण किये जाने की संभावना है ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री र० के० खाडिलकर) (क) से (ग). सरकार बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1968 के मामले में, जो अभी हाल ही में जून 1969 को लागू हुआ था, यह देखना पसंद करेगी कि यह वास्तव में वैसे चल रहा है। यदि राष्ट्रीयकरण से अपेक्षित सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति इस अधिनियम के माध्यम से नहीं हो सकती तो सरकार अनुभव के आधार पर निस्सन्देह इस मामले की समीक्षा करेगी। तथापि माननीय सदस्य यह तो मानेंगे ही कि इस प्रकार के मामलों में यह बताने की न तो परिपाटी ही है और न ही यह बताना वांछनीय है कि सरकार भविष्य में क्या करेगी।

हाल की बाढ़ से फसलों तथा सम्पत्ति को क्षति

1092. **श्री स० च० सामन्त :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में विभिन्न राज्यों में बार-बार आने वाली बाढ़ों को

रोकने के लिये किये गये कार्य के फलस्वरूप स्थिति में कुछ सुधार हुआ है ; और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किया गया खर्च प्राप्त परिणामों के अनुरूप है ; और

(ख) हाल ही की बाढ़ से फसलों तथा सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ । अब तक किये गए बाढ़ नियंत्रण उपाय उन क्षेत्रों के लिए लाभप्रद रहे हैं जिनके लिए इनकी व्यवस्था की गई थी । उदाहरण के तौर पर व्यापक क्षेत्र, जो कोसी नदी और दामोदर बेसिन की नदियों में बाढ़ों से बारबार क्षतिग्रस्थ हो जाते थे, कोसी तटबंधों का और दामोदर घाटी में बांधों का निर्माण करके क्षति से बचा लिए गए हैं । इसी प्रकार उड़ीसा में हीराकुड बांध के निर्माण से डेल्टाई क्षेत्रों की काफी सुरक्षा हो गई है । इसके अतिरिक्त पंजाब तथा हरियाणा में किए गए जल-निकास कार्यों से काफी लाभ हुआ है । डिब्रूगढ़ समेत असम के बहुत से शहरों को भी सुरक्षा प्रदान की गई हैं । इसके अतिरिक्त, बहुत सी बाढ़ नियंत्रण स्कीमें, जोकि पहले से हाथ में हैं ज्योंही वे प्रगति करती जा रही हैं; त्योंही साथ-साथ वे बाढ़ों से लगातार सुरक्षा प्रदान करती जा रही हैं । 1954 से बाढ़ नियंत्रण उपायों पर हुए 185 करोड़ रुपये के व्यय से लगभग 64 लाख हैक० क्षेत्र को क्षति-मुक्त कराने में सहायता प्रदान की है ।

(ख) हाल की बाढ़ों से 98 करोड़ रुपये की लागत की फसलों को क्षति हुई है और लगभग 35 करोड़ रुपये की कीमत के जनोपयोगी कार्यों समेत अन्य सम्पत्ति को क्षति पहुंची है । इसके अतिरिक्त हाल के चक्रवातों से जो मई, अक्तूबर और नवम्बर, 1969 में आन्ध्र प्रदेश में आए थे, हुई क्षति का अनुमान कुल 200 करोड़ रुपये से कुछ अधिक लगाया गया है ।

Patna Improvement Trust

1093. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Patna Improvement Trust is acquiring 64.48 acres of land in Mohalla Dujera in the name of development scheme ;

(b) if so, the time when the Patna Improvement Trust was allowed to acquire 64.48 acres of land and the number of Government order under which such permission was given and the time when the administrative approval was accorded in this regard ; and

(c) if reply to part (b) above be in negative, the action proposed to be taken by Government against the official responsible for initiating the acquisition of land without any permission and administrative approval ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

आयकर जांच आयोग का प्रतिवेदन

1095. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर जांच आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) इस आयोग द्वारा कितने मामलों पर विचार किया गया था और क्या-क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) सरकार ने काले धन के रूप में कितनी राशि वसूल की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां, 29 दिसम्बर 1948 को ।

(ख) आयोग ने 1058 मामलों की जांच की । मामलों की इतनी बड़ी संख्या और प्रत्येक मामले में दी गयी लम्बी-लम्बी रिपोर्टों को देखते हुए, प्रत्येक मामले में विस्तृत निर्णय को बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) उपर्युक्त 1058 मामलों में 48 करोड़ रु० की छिपी हुई आय का पता चला है ।

सरकारी कर्मचारियों को भूमि का आवंटन

1096. **श्री जे० के० चौधरी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवासों पर दबाव को कम करने के लिये सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भूमि आवंटित करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). इस समय मध्यम आय वर्ग के लोगों को आवंटन के लिए विकसित प्लाटों का 50 प्रतिशत नौकर पेशा व्यक्तियों को आरक्षित किये जाते हैं जिसमें इस आय वर्ग के सरकारी कर्मचारी शामिल हैं । निम्न आय वर्ग को भूमि का आवंटन करने के लिए इसी प्रकार का आरक्षण प्रस्तावित है ।

निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत प्लाटों का आवंटन पूर्व-निर्धारित दरों पर लाटरी के द्वारा किया जाता है । जब कभी आवंटन के लिए प्लाट उपलब्ध होते हैं तो स्थानीय समाचार पत्रों में प्लाटों के विवरण के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रचार किया जाता है ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये धन की उपलब्धि

1097. **श्री वंश नारायण सिंह :** **श्री राम सिंह अग्रवाल :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये सीधे कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से प्राप्त होने वाली धनराशि का उचित उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या योजना तैयार की है ;

(घ) अगले दो वर्षों में इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) क्या सरकार इन राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिक लाभ होने की आशा रखती है, यदि हां, तो कितना अधिक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). राष्ट्रीयकरण से चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए उपलब्ध साधनों में अपने आप कोई वृद्धि नहीं हो जायगी। परन्तु, बैंकों के साधनों का उपयोग योजना के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के अनुरूप ही करना होगा।

(ग) और (घ). सरकार की नीति की मुख्य विशेषता यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक-व्यवसाय के लिए आवश्यक सुझबूझ के साथ बैंकों में जमा की रकमें जुटाने और ऋण देने के सभी ऐसे उपाय करें, जिनसे अर्थ-व्यवस्था का तेजी से तथा समान रूप से विकास करने में सहायता मिल सके, खास तौर पर सामाजिक दृष्टि से लाभकारी उद्यम में लगा हुआ छोटा आदमी संस्थागत धनराशि का सफलतापूर्वक उपयोग कर सके, अविकसित क्षेत्रों का विकास किया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के इतने अधिक व्यापक स्तर पर अवसर पैदा किये जा सकें जितने पहले कभी न किये गये थे।

(ङ) ऐसा कोई मूल्यांकन करना अभी बहुत जल्दी होगा।

फर्मों, व्यक्तियों आदि पर आयकर की बकाया राशि

1098. **श्री वंश नारायण सिंह** : **श्री राम सिंह अयरवाल** :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों, व्यक्तियों तथा कम्पनियों के नाम तथा पते क्या हैं जिनकी ओर आयकर की बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक की ओर कितनी राशि बाकी है ;

(ग) प्रत्येक मामले में ये राशियां कितने अर्से से बाकी हैं ;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति तथा कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) काफी लम्बे समय से बकाया राशियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). जितनी सूचना उपलब्ध है, वह अनुबन्ध में दी गयी है। [**ग्रन्थालय** में **रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 2075/69]

(ग) अपेक्षित सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। मांगों का सम्बन्ध विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों से है और वे अलग-अलग तारीखों को जारी की गयी थीं। अपेक्षित सूचना इकट्ठी करने में कर निर्धारण रिकार्डों की अलग-अलग छानबीन करनी पड़ेगी तथा उसमें बहुत समय और श्रम लगेगा।

आसाम में प्राकृतिक गैस की बर्बादी

1099. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में लाकवा क्षेत्र स्थित गेलेकी में तेल के नये निक्षेप मिलने के बाद प्राकृतिक गैस की बर्बादी बहुत बढ़ गई है ;

(ख) हानि की यह मात्रा कितनी है ; और

(ग) क्या बर्बाद हो रही गैस का प्रयोग करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). गेलेकी तेल क्षेत्र में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। अतः कोई गैस बर्बाद नहीं की जा रही है। लाकवा तथा रुद्रसागर तेल क्षेत्र उत्पादन की पहली अवस्थाओं में है। लाकवा क्षेत्र से आये के एक बागीचे को प्रतिदिन 2,500 घन मीटर गैस सप्लाई की जा रही है। इन दोनों तेल क्षेत्रों से प्रतिदिन औसतन 11,000 घन मीटर गैस उडाई जा रही है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग राज्य के उद्योग विभाग की मार्फत अन्य उपभोक्ताओं को इस गैस की सप्लाई करने की संभावनाएं बना रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आसाम में तेल मिलना

1100. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को आसाम में कुछ तेल मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ग) क्या निकाले गये तेल का कोई उपयोग किया गया है ; और

(घ) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्चा तेल निकालना बन्द कर दिया है क्यों कि उसके उपयोग करने के अवसर कम हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1969-70 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के आसाम क्षेत्रों से 0.18 मिलियन मीटरी टन के उत्पादन की संभावना है।

(ग) जी हाँ, इसे भारतीय तेल निगम के गोहाटी तथा बरौनी स्थित तेल शोधक करखानों में ले जाया जाता है।

(घ) जी नहीं।

मूल्यों में चढ़ाव की प्रवृत्ति

1101. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मूल्यों में चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष थोक मूल्यों का सरकारी सूचकांक क्या है ; और

(ग) मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). हालांकि अप्रैल के अन्तिम दिनों और जुलाई, 1969 के अन्तिम दिनों के बीच की अवधि में कीमतों पर कु सामान्य मौसमी दबाव पड़ा था और कच्चे जूट कपास, मूंगफली और चने जैसी कुछ कृषि-वस्तुओं के उत्पादन के कम होने से कीमतों में वृद्धि हो गयी थी, लेकिन इस बीच कीमतों में कमी होनी शुरू हो गयी है। थोक मूल्यों के सूचक-अंक (1961-62=100) का मासिक औसत अक्तूबर, 1969 में 171.0 था जो अक्तूबर, 1968 के सूचक अंक 0.2 प्रतिशत कम था। लेकिन पहली नवम्बर, 1969 को समाप्त हुए सप्ताह में जो कि सबसे हाल का वह सप्ताह है, जिसमें विद्यमान मूल्यों के सम्बन्ध में सरकारी आँकड़े उपलब्ध हैं— सामान्य मूल्य सूचकाक में पिछले वर्ष के इसी सप्ताह की तुलना में थोड़ी सी अर्थात् 0.2 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, हालांकि खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले वर्ष की कीमतों की तुलना में कम (3.6 प्रतिशत) बनी रहीं।

सरकार मूल्यों सम्बन्धो स्थिति पर लगातार नज़र रखती है और समय-समय पर पैदा होने वाली स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाती है। इनमें राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपाय, मूल्य-नियंत्रण और अत्यावश्यक वस्तुओं के सरकारी वितरण की प्रणाली को बनाये रखना भी शामिल है। इस सम्बन्ध में, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए, आयोजना में सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख भी किया जा सकता है। इसके अलावा आयात की व्यवस्था करके देश के अन्दर वस्तुओं के संभरण में वृद्धि करने का प्रयत्न भी किया जाता है जैसाकि अन्न और सोयाबीन के मामले में किया जाता है। इसके अतिरिक्त नागरिक सम्भरण संगठन की मार्फत अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण और उनके मूल्यों पर भी लगातार नजर रखती है तथा उसने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को भी शक्तियां प्रत्यायोजित कर रखी है।

उत्तर भारत में विद्युत् उत्पादन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण

1102. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री स० चं० सामन्त :
बे० कृ० दासचौधरी :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर क्षेत्री विद्युत बोर्ड ने सरकार से आवश्यक साज-समान की सप्लाई की

गम्भीर तंगी, जिसके कारण उत्तर भारत में विद्युत उत्पादन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित कार्यक्रम पर कुप्रभाव पड़ सकता है, को दूर करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस तंगी को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिजली उत्पादन परियोजनाओं के लिए बिजली उत्पादक भारी उपकरण की सप्लाई में देरी को दूर करने तथा ग्रामविद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये ट्रांस्फरमर तेलों, अल्यूमिनियम संवाहकों, तांबे आदि की सप्लाई में सुधार लाने के लिये उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड ने 12/13 सितम्बर, 1969 की अपनी बैठक में केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग और सिंचाई व बिजली मंत्रालय को हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

(ख) भारत सरकार सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने देशी निर्माण यूनिटों द्वारा बिजली उत्पादन के उपकरण और छोटे-मोटे साज-समान के निर्माण और संभरण की प्रगति का पुनरावलोकन करने तथा उपकरण के निर्माण की प्रगति का संबंधित परियोजनाओं की क्रियान्वित की प्रगति से समन्वय स्थापित करने के लिये एक समिति बनाई है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिये मुख्यतः अपेक्षित दुर्लभ सामग्री की सप्लाई में सुधार लाने के विषय में संबंधित मन्त्रालयों के साथ प्रश्न उठाया गया है। इस संबंध में प्रगति का समय-समय पर पुनरवलोकन किया जाता है।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के बरौनी सैक्टर में स्थानीय लोगों की नियुक्ति

1103. **श्री जनार्दनन :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री झारखंडे राय :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के बरौनी सैक्टर में बेदखल किये गये तथा स्थानीय लोगों को भर्त्ती करने की क्या नीति है ;

(ख) क्या बिहार के राज्यपाल के सलाहकार श्री डी० पी० सिंह ने सरकारी अधिकारियों फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के बरौनी सैक्शन के अधिकारियों, बरौनी में कनिष्ठ प्रतिनिधियों तथा स्थानीय विधायकों की 18 सितम्बर, 1969 को बैठक बुलाई थी ;

(ग) क्या उपर्युक्त बैठक में फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया के बरौनी सैक्शन के प्रबन्धकों की भर्त्ती तथा नियुक्ति के मामले में बिहारी बिरोधी नीति बरतने के लिये व्यापक निन्दा की गई थी ; और

(घ) इसके लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है कि केन्द्रीय सरकार की भर्त्ती संबंधी नीति को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाये ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के बारे में, बेदखल किये गये तथा स्थानीय लोगों को तरजीह दी जाती है बशर्ते कि उपयुक्त प्रार्थी उपलब्ध हों उपर्युक्त श्रेणियों के उम्मीदवारों को उचित तथा पर्याप्त अवसर देने के लिए श्रेणी 111 और श्रेणी चार के पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार दफ्तरों द्वारा की जाती है। यदि, स्थानीय रोजगार दफ्तरों से कोई उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो पदों का स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है। जहां तक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों का सम्बन्ध है, भर्त्ती सामान्यता अखिल-भारतीय आधार पर की जाती है।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं। किन्तु यह बताया गया था कि कुछ कटुआलोचना हुई थी और प्रधान प्रबन्धक ने हेर-फेर के तथ्य और आंकड़े दिये।

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रतिनिधिगण विभिन्न चयन समितियों में शामिल किये जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किये गये हैं कि समुचित पदों के प्रतिनिधिगण अवश्यमेव भाग लें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार

1104. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री राः बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक आफ इन्डिया द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार की एक रूपरेखा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब तक हाथ में लेने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक समिति की रिपोर्ट की जांच कर रहा है।

Seminar on Housing Problems

1105. **Shri Ranjeet Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :
Shri Narendra Singh Mahida :

Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Seminar was held in New Delhi on the 24th July, 1969 with a view to solve the Housing problem in the cities in which foreign experts also participated ;

(b) if so, the suggestions made in the seminar for solving the housing problem for the persons belonging to the low income groups in the cities ;

(c) whether Government would consider their implementation ; and

(d) if so, in what manner ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). A Seminar on Urban Land Problems with special reference to Low Income and Squattar Housing was organised jointly by the United States Information Service and the Town and Country Planning Organisation, at New Delhi on the 23rd and 24th July, 1969. A summary of findings and conclusions is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2076/69.] These are proposed to be discussed further by a number of working groups, so that definite recommendations can be formulated for consideration of Government.

(c) Yes, Sir, as soon as definite recommendations are available.

(d) This will be done as may be appropriate.

विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा केन्द्रीय राजकोष में अंशदान

1107. **श्री सीता राम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी उपक्रमों ने 1968 69 में उत्पादन-शुल्क, विनियोजन पर ब्याज और लाभांश के रूप में केन्द्रीय राजकोष में कितनी धनराशि का अंशदान किया ;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में इन अंशदानों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या सरकार को कुछ समवायों से उत्पादन शुल्क में छूट देने के लिए कोई प्रार्थना प्राप्ता हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सभी सरकारी उपक्रमों के 1968-69 के वर्ष के पूर्णरूप से परीक्षित लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ). भारतीय तेल निगम और हिन्दुस्तान जिंक ने कुछ उत्पादों के सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क की छूट मांगी है। भारतीय तेल निगम ने इस प्रकार की छूट इन के सम्बन्ध में मांगी है : (1) बचा हुआ कच्चा तेल जो तेल शोधक कारखानों द्वारा साफ किये गये तेल का 60 प्रतिशत अवशेष है और जो आसानी से बेचा नहीं जा सकता और (2) तेल शोधक कारकानों में प्रयोग किया जाने वाला ईंधन। हिन्दुस्तान जिंक ने मुख्यत: दोहरे कराधान के आधार पर, सीसे, राक फास्फेट, जिक हाइड्रोआक्साइड आदि के सम्बन्ध में छूट मांगी है।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रुपये के मूल्यों में गिरावट

1108. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् विश्व की मण्डियों में रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

तेल निकालने की परियोजना के बारे में रूमानिया द्वारा सहायता

1109. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया ने तेल निकालने की भारत की परियोजना में उसको सहायता देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो रूमानिया भारत को क्या सहायता देने के लिये सहमत हुआ है ;

(ग) क्या भारत ने रूमानिया के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री द्वा० रा० चव्हाण) : (क) तेल निकालने की परियोजना में रूमानिया सरकार द्वारा सहायता दिये जाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों में उच्च अधिकारियों की कार्यकुशलता की जांच करने के लिये समिति की स्थापना

1110. **श्रीसीताराम केसरी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों को चलाने में उच्च अधिकारियों की कार्यकुशलता में सुधार करने के प्रश्न की जांच करने के लिये सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). चूंकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने हाल ही में, सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की विस्तृत जाँच की है और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दी हैं, इसलिए फिलहाल कोई अन्य उच्च शक्तिप्राप्त समिति की नियुक्ति करने का कोई विचार नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकारी निश्चयों के अनुसरण में और सरकार द्वारा समय-समय पर की गयी समीक्षाओं के आधार पर सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध संबंधी कुशलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों को शक्तियों का पहले से अधिक प्रत्यायोजन

(2) उपयुक्त प्रबन्ध प्रतिभा वाले व्यक्तियों को प्राप्त करने में सहायता देना और वैज्ञानिक प्रबन्ध विकास नीतियों का अपनाया जाना।

(3) आधुनिक प्रबन्ध तकनीकों का अपनाया जाना।

(4) किये गये कार्य की समय-समय पर समीक्षा।

राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य में समन्वय लाने के लिए व्यवस्था

1111. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यसंचालन में समन्वय लाने के लिये कोई व्यवस्था करने की सोच रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). पहली नवम्बर, 1969 से सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की एक समन्वय समिति स्थापित की गयी है। भारतीय स्टेट बैंकों के अध्यक्ष श्री आर० के० तलवाड़ इस समिति के अध्यक्ष और यूनियन बैंक आफ इंडिया के अभिरक्षक श्री एफ० के० एफ० नरीमन, इसके उपाध्यक्ष हैं। यह समिति सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सामान्य हित के सभी मामलों जैसे संगठन और कार्य-प्रणाली, अतबैंक निकासी व्यवस्था, अस्वस्थ प्रतियोगिता से बचाव आदि से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करेगी।

आपरेशन द्वारा अन्धे लोगों की आखों की ज्योति पुनः आना

1112. **श्री रा० बरुआ :** **श्री मि० र० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री मयावन :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रायल कामनवैल्थ सोसाइटी फोर दि ब्लाइंड संस्था के निदेशक के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो समाचारपत्रों में भी छपा है कि पाँच मिनट के आपरेशन के बाद बीस लाख अन्धे व्यक्ति पुनः आंखों की ज्योति प्राप्त कर सकेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त वक्तव्य पर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत में अन्धे लोगों की आखों की ज्योति पुनः प्राप्त कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां ।

(ग) अस्पतालों में तथा चलते-फिरते दलों के माध्यम से मोतियाबिन्द के आंपरेशनों की सुविधायें सभी राज्यों में उपलब्ध है। देश के चुने हुए केन्द्रों में कोर्निया लगाने की सुविधाएं उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही हैं ।

भारत की ऋण स्थिति

1113. श्री रा० बरुआ : श्री मयावन :
श्री वेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री शिव चन्द्र झा : श्री स० कुन्डू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1969 में प्रकाशित हुए भारत के रिजर्व बैंक के बुलैटिन के अनुसार भारत पर ऋण 946 करोड़ रुपए से बढ़कर 5751 करोड़ रुपए हो गया है।

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ते हुए ऋण के परिणामस्वरूप भारत में आर्थिक अस्थिरता बढ़ जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति के बारे में सबसे हाल में जो अध्ययन किया है, उसके अनुसार 1967-68 की प्रारम्भिक प्रवृत्तियों से यह पता चलता है कि भारत द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण में 946 करोड़ रुपये की और शुद्ध वृद्धि हो गयी है अर्थात मार्च, 1967 में ऋण की रकम 4805 करोड़ रुपया थी, जो कि मार्च 1968 में बढ़कर 5751 करोड़ रुपया हो गयी। इस रकम में नवम्बर, 1967 में हुए पौण्ड के अवमूल्यन और जून 1966 में हुए रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव शामिल नहीं है।

(ख) और (ग). जी, नहीं भारत द्वारा चुकाये जाने वाले ऋण में जो वृद्धि हुई है वह मुख्यत: भारत के विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिये प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता की द्योतक है। इसका मतलब यह हुआ कि विदेशी देनदारियों के अनुरूप देश में परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ है और उसके साथ-साथ देश की ऋण चुकाने की क्षमता भी बढ़ी है।

लेकिन आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की चौथी पंचवर्षीय आयोजना की नीति के अंग के रूप में चौथी आयोजना की अवधि में विदेशी सहायता पर निर्भरता को कम करना है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मूलधन और ब्याज की अदायगियों की रकम शामिल न करने पर, चौथी आयोजना में विदेशी सहायता का स्तर तीसरी आयोजना में विदेशी सहायता के स्तर से आधा होगा।

अनिर्णित आय कर के मामलों का निर्धारण

1114. श्री रा० बरुआ : श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू : श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1969 के अन्त में आयकर निर्धारण के 36 लाख मामले अनिर्णित थे ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1969 तक कुल कितने मामलों का निबटारा किया गया है ; और

(ग) समस्त अनिर्णित मामलों का निबटारा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31 जुलाई, 1969 को आयकर निर्धारण के 37,93,645 मामले अनिर्णित पड़े थे ।

(ख) 1 अप्रैल, 1969 से 31 जुलाई, 1969 तक 4,75,355 मामले निपटाये गये ।

(ग) आय-कर निर्धारणों को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार द्वारा हाल ही में किये गये विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) आयकर अधिकारियों की संख्या में 500 की वृद्धि ।

(2) आयकर विभाग में कर्त्तव्य के अनुसार कार्य विभाजन की योजना चालू करना, जिसके अनुसार कर-निर्धारण के कार्य को आयकर अधिकारी के अन्य कार्यों से अलग कर दिया गया है, जिससे इस काम पर ध्यान देने में गति और एकाग्रता आ सके ।

(3) आयकर निर्धारणों को पूरा करने की कानूनी मियाद को धीरे धीरे करके 4 वर्ष से 2 वर्ष कर देना ।

(4) केन्द्रीय कार्यक्षेत्र में आयकर अधिकारियों की संख्या बढ़ाना, जिससे संदिग्ध कर-अपवंचन के बड़े मामलों में आयकर निर्धारणों को शीघ्रता से निपटाया जा सके ।

(5) कम्पनियों के निर्धारणों के मामलों को निपटाने में फुर्ती लाने के लिये कम्पनी-सर्किलों की संख्या में वृद्धि ।

(6) छोटी आय के मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये 16 अक्तूबर 1967 से अल्प आय-योजना को उदार बना दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत, कम्पनी-भिन्न मामलों में निर्दिष्ट वित्तीय सीमा तक की विवरणियों को स्वीकार करने में निर्धारितियों को आयकर कार्यालयों में नहीं बुलाया जाता, परन्तु ऐसा करने में कुछ प्रतिशत जांच और राजस्व के हित में निरुपित अन्य सुरक्षात्मक उपायों को ध्यान में रखा जाता है ।

(7) आयकर आयुक्तों द्वारा निपटाने का लक्ष्य-निर्धारण तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उनकी समीक्षा, जिससे आयकर-विभाग को उपलब्ध वर्तमान कर्मचारी संख्या से सर्वोत्तम कार्य निष्पादन के लक्ष्य की पूर्ति हो सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से विद्यार्थियों को ऋण

1115. **श्री रा० बरुआ :** **श्री मयावन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, विद्यार्थियों को उच्चतर अध्ययन के लिये ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) कितनी राशि दी जायगी ; और

(घ) क्या बैंकों ने, विद्यार्थियों को छोटे पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने के लिये ऋण देने का भी निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों ने उन योग्य छात्रों के लिए ऋण के रूप में सहायता देने की योजनाएं शुरू की हैं जो भारत में और विदेशों में उच्चतर अध्ययन करना चाहते हों। देश में रह कर अध्ययन करने के लिए स्नातक स्नातकोत्तर और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 3000 रुपये और 25,000 रुपये के बीच ऋण दिया जा सकता है जबकि विदेश जाने वाले छात्रों को 35,000 रुपये तक की रकम दी जा सकती है। यह ऋण माता-पिता अभिभावक या किसी अन्य जमानती की गारंटी के आधार पर और/या ऋण की रकम के बराबर छात्र की जीवन बीमा पालिसी के हस्तान्तरण के आधार पर दिया जाता है। इस ऋण पर 8 से 9½ प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता है। ऋण की वापसी अदायगी सामान्यतः पाठ्क्रम के पूरा होने के छः महीने बाद या काम मिलने के छः महीने बाद इन में से जो भी पहले हो, शुरू होती है।

(घ) छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए छात्रों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जाती। लेकिन वस्तुओं के निर्माण की आर्थिक दृष्टि से सक्षम योजनायें शुरू करने के लिए साख वाले योग्यताप्राप्त इंजीनियरों और तकनीशनों को कई बैंकों द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

केन्द्रीय सरकार के अल्प आय कर्मचारियों के लिये मकानों का निर्माण

1116. **श्री रा० बरुआ** **श्री नि० रं० लास्कर**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार, केन्द्रीय सरकार के अल्प आय कर्मचारियों के लिये 2200 मकानों का निर्माण करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ये मकान कर्मचारियों को आवंटित किये जाने के लिये कब तक तैयार हो जायेंगे ;

(ग) कितने सरकारी कर्मचारियों को मकान दिये जायेंगे ;

(घ) कुल कितने कर्मचारी फिर भी बिना आवास के रह जायेंगे ; और

(ङ) उनके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर-विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). 1971-72 तक दखल के लिये लगभग टाइटप I से IV तक के कुल 2,844 क्वार्टरों के तैयार हो जाने की आशा है।

(ग) जिन सरकारी कर्मचारियों को ये क्वार्टर आवंटित किये जायेंगे उनकी संख्या वही होगी जितने कि क्वार्टर बनेगें।

(घ) आवंटन वर्ष 1968 तक के सामान्य पूल वास के सम्बन्ध में एकत्रित आंकड़ों के अनुसार लगभग 57,440 युनिटों की कमी है।

(ङ) सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण उपलब्ध निधि के अनुसार चरणों में किया जा रहा है।

विदेशी बैंकों को नए खाते और शाखाएं खोलने की अनुमति देना

1117. **श्री चेंगलाराया नायडू :**　　　　**श्री मयावन :**
　　　श्री रा० बरुआ :　　　　**श्री नि० र० लास्कर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक निदेश जारी किया था जिसके अधीन देश में विदेशी बैंकों को भारतीय बैंकों से किसी प्रकार की स्पर्धा किये बिना नये खाते और शाखायें खोलने की अनुमति दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के निदेश जारी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार का खण्डन किया है ;

(घ) क्या सरकार ने भारत में विदेशी बैंकों को कोई निदेश दिया है कि वे सीमित क्षेत्र में भी व्यापार न करें ; और

(ङ) कितने विदेशी बैंकों ने इस निदेश को नहीं माना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). विदेशी बैंकों के लिए खाते खोलने के बारे में रिजर्व बैंक अथवा सरकार से अनुमति प्राप्त करना जरूरी नहीं, पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने के तुरन्त बाद रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को अनौपचारिक रूप से यह परामर्श दिया था कि वे फिलहाल राष्ट्रीयकृत बैंकों से खाते बन्द करके उन के बैंकों में खाते खोलने को प्रोत्साहन न दें। जहां तक नई शाखाएं खोलने की बात है, रिजर्व

बैंक ने अब विदेशी बैंकों को, एक सीमित स्तर पर, खासतौर पर पत्तन-नगरों में उन खास-खास सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, जिनका व्यवस्था विदेशी बैंक तो कर सकते हैं किन्तु भारतीय बैंक नहीं, नए कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में जिन सेवाओं की आवश्यकता है, उनमें से अधिकतर सेवाओं की व्यवस्था भारतीय बैंक ही कर देते हैं।

(ग) रिजर्व बैंक ने समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट का निश्चय ही खण्डन किया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

बिहार और उत्तर प्रदेश को बिजली की आवश्यकता

1118. **डा सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की बिजली की आवश्यकता के बारे में हाल में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों राज्यों की वर्तमान अनुमानित मांग क्या है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक बिजली की कितनी खपत होने का अनुमान है और उस समय अनुमानतः कितनी बिजली उपलब्ध होगी ; और

(घ) यदि कोई कमी रहेगी, तो उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश में 1969-70 के दौरान बिजली की व्यस्ततम मांग का अनुमान क्रमशः 470 मैगावाट और 1220 मैगावाट लगाया गया है।

(ग) मार्च, 1974 के अन्त तक बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली की प्रत्याशित मांग, उपलब्ध सप्लाई, और प्रत्याशित कमी के आंकड़े दिये जाते हैं :

	बिहार	उत्तर प्रदेश
	(मैगावाट)	
प्रत्याशित मांग	777	1933
उपलब्ध सप्लाई	470	1905
प्रत्याशित कमी	307	28

बहरहाल, चौथी योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) उत्तर प्रदेश और बिहार की अतिरिक्त उत्पादन स्कीमें विचाराधीन हैं। चौथी योजना के दौरान बिजली की सप्लाई में प्रत्याशित कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त उत्पादन स्कीमों की क्रियान्विति के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बड़े पैमाने के उद्योगों को ऋण

1119. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने के उद्योगों को ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक उद्योग को 31 अक्तूबर, 1969 तक कितना ऋण दिया गया था ; और

(ग) ये ऋण किन शर्तों पर दिये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

अमेरीका के साथ ऋण सम्बन्धी करार

1120. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में अमरीका के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत अमरीका 15 करोड़ रुपये का ऋण देगा ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) यह ऋण 40 वर्षों में चुकाया जायगा, जिसमें 10 वर्ष की रियायत अवधि शामिल है और रियायती अवधि में इस पर 2 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज देना होगा। ऋण की रकम गैर-सरकारी क्षेत्र के मान्यताप्राप्त उद्योगों द्वारा पूंजी गत सामान के आयात पर खर्च की जायगी।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये पेंशन संबंधी निर्णयों का पुनरीक्षण

1121. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों संबंधी पेंशन नियमों में पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठा): (क) और (ख) पेंशनों की स्वीकृत तथा अदायगी को सरल बनाने के निमित्त सिविल सेवा विनिमयों के, पेंशन के लिये आवेदन करने तथा पेंशन मंजूर करने संबंधी अध्याय में संशोधन किया गया है। ये संशोधित उपबन्ध 1-10-69 से लागू हुए। इस संबंध में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अधिसूचना सं० फा० (2)ईV/66 (एस० ओ० 3652) दिनांक 2-9-69 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो भारत के राजपत्र दिनांक 13 सितम्बर 1969 के भाग 11 खण्ड 3(ii) में प्रकाशित हुई।

खाना बनाने की गैस की कमी

1123. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
डा० सुशीला नैयर :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 4 अक्तूबर 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ वह समाचार देखा है जिसमें यह कहा गया है कि निकट भविष्य में देश में खाना बनाने की गैस की कमी होगी ;

(ख) यदि हां, तो कमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० रा० चव्हाण) (क) से (ग) सरकार ने समाचार देखा है। चालू 9 शोधनशालाओं में से 6 कारखानों में तरल पैट्रोलियम गैस उत्पादित की जाती है। निकट भविष्य में एक और शोधन कारखाने में तरल पैट्रोलियम गैस का उत्पादन शुरू हो जायेगा। एक और शोधक कारखाने में तरल पैट्रोलियम गैस के उत्पादन के लिये सुविधाएं बढ़ाने के प्रश्न पर पहले से ही विचार हो रहा है। हल्दिका के नये शोधक कारखाने के रुपांकन में तरल पैट्रोलियम गैस का उत्पादन शामिल है। खाना बनाने की गैस की मांग वास्तविक उत्पादन के अनुसार रखी जाती है। अतः कमी होने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, गैस के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी ताकि इन शोधक कारखानों के उत्पादन से उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या की मांग संतोष पूर्वक पूरी की जा सके।

चौथी योजना में विदेशी सहायता

1124. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिकाधिक विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयासों में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) विदेशों से ऋण की उपलब्धता सम्बन्धी स्थिति क्या है तथा उसका उपयोग करने के बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के बारे में विदेशी सहायता प्राप्त करने का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना सम्भव होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय आयोग के प्रारूप में खाद्य सहायता को छोड़ कर कुल 3650 करोड़ रुपये की सकल (ग्रास) विदेशी सहायता के प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। सहायता देने वाले अधिकतर देशों द्वारा सहायता के वचन वार्षिक आधार पर दिये जाते हैं। 1969-70 में 188 करोड़ रुपये की प्रायोजना सहायता और 450 करोड़ रुपये की गैर-प्रायोजना सहायता के वचन मिलने का अनुमान है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि आयोजना की अवधि में विदेशी सहायता की प्राप्ति के संबंध में जो अनुमान लगाया गया है वह पूरा होगा या नहीं और न ही यह बताया जा सकता है कि आयोजना की अवधि में विदेशी सहायता की कितनी रकम इस्तेमाल होगी।

उर्वरक का उत्पादन

1125. **श्री मीठा लाल मीना** :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० की० अमीन :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) देश में रसायन और अन्य प्रकार के उर्वरक की मांग कुल कितनी है ; और

(ग) क्या मांग और पूर्ति में इस अन्तर को पूरा करने लिये कोई ठोस कदम उठाये जा रहे हैं और उनका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 19 8-69 दौरान उर्वरकों का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(1) नाइट्रोजनी उर्वरक 545-155 मीटरी टन नाइट्रोजन के रूप में

(2) फास्फेटिक उर्वरक 2 9, 700 मीटरी टन पी० 2 ओ० 5 के रूप में

(ख) 1969-70 के लिये देश में रसायन उर्वरकों की खपत का परिचालन लक्ष्य 1.7

मिलियन मीटरी टन नाइट्रोजन, 0.6 मिलियन मीटरी टन पी० 2 ओ० 5 और 0.3 मिलियन मीटरी टन के ओ निर्धारित किया गया है। कार्बनिक खाद की सम्भाव्य आवश्यकता 1040 मिलियन मीटरी टन अनुमानित है।

(ग) जहां तक रसायन उर्वरकों का संबंध है, उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की स्थापना और कई वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए कदम उठाये गये हैं ; आवश्यकताओं और घरेलू उत्पादन के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए उर्वरकों की पर्याप्त मात्राओं का आयात किया जा रहा है। कार्बनिक खादों के बारे में, स्थानीय खाद-सम्बन्धी संशोधनों (जैसे ग्रामीण एवं नगरीय कूड़ा-खाद, हरी-खाद, मल-मूत्र। मैला पानी का उपयोग, विष्ठा की खाद और औद्योगिक एवं अन्य कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग) के लिए, विभिन्न विकास स्कीमों के विस्तार से अन्तराल को पूरा करने हेतु यथा-व्यवहारिक संयुक्त प्रयत्न किये जा रहे हैं।

रूस के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता

1126. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री नन्द कुमार सोमानी :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री महेन्द्र माझी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार के समाचार मिले हैं कि रूस का इरादा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि का सदस्य होने का है ;

(ख) क्या भारत और रूस के बीच इस विषय पर कोई विचार-विमर्श हुआ है और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य सदस्यों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) इस तरह के कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समाचार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अन्य सदस्यों द्वारा यदि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है तो भारत सरकार को उसकी जानकारी नहीं।

तस्कर व्यापार तथा कर अपवंचन को रोकने के उपाय

1127. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना के महानिदेशक ने पद संभालते ही तस्करी, विदेशी मुद्रा संबंधी जाल साजी करने, कर की चोरी तथा अन्य अर्थ सम्बन्धी अपराध करने वाले नये अथवा पुराने गिरोहों पर और अच्छे ढंग से निगरानी रखने का कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संख्या से किस तरीके से और अच्छा आसूचना-कार्य लिया जा सकता है तथा इस पर अतिरिक्त खर्च क्या होगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही गुप्तचर्या तथा जांच पड़ताल करने वाली तीन एजेंसियों, अर्थात प्रवर्त्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय तथा निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल आय-कर), के बीच और अधिक तालमेल कायम करने की दृष्टि से प्रवर्त्तन निदेशक को, उनके अपने स्वयं के पद के अतिरिक्त, राजस्व गुप्तचर्या तथा जाँच पड़ताल के महा निदेशक का पद-नाम भी दे दिया गया है। महानिदेशक की हैसियत में, एक से अधिक वित्तीय कानून के उल्लंघन से सम्बद्ध महत्वपूर्ण मामलों की समाकलित जांच पड़ताल का संचालन करने का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया है। आशा है इस व्यवस्था के कारण जांच पड़ताल और जल्दी की जा सकेगी तथा कर अपवंचन, तस्कर आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा की हानि को प्रभावशाली ढंग से रोका जा सकेगा।

महा निदेशक आम तौर पर तीन निदेशालयों के जरिये कार्य संचालन करता है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, प्रवर्त्तन निदेशालय के कर्मचारियों की संख्या हाल ही में बढ़ा दी गई है। इस सम्बन्ध में अभी तक स्वीकृत अतिरिक्त कर्मचारियों पर होने वाले वार्षिक व्यय का अनुमान 2.27 लाख रुपये लगाया गया है।

Setting up of Export Bank

1128. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Suraj Bhan :
Shri Sharda Nand :
Shri Brij Bhushan Lal :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an Export Bank with a view to providing medium and long term credits for the increase and growth of export ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (d). There is no proposal at present to set up an Export Bank.

(c) The present institutional arrangements for provision of export credit as also the facilities of export credit insurance and guarantee provided by the Export Credit and Guarantee Corporation are considered adequate to meet the exporters' requirements. However, it is expected that the Banking Commission will examine the need for such an institution.

Discontinuation of Propagation of Family Planning Programme in Hilly Areas of Uttar Pradesh

1129. **Shri Yaswant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been decided not to propagate the family planning programme in the Hilly Districts of Uttar Pradesh and if so, the reasons therefor ; and

(b) the names of such other parts of the country about which similar action is contemplated ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No.

(b) There are no areas in the country where Family Planning Programme is not to be propagated.

Coal Reserves Found in Nagaland

1130. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge Coal reserves are likely to be found in Nagaland ; and

(b) the scheme being prepared to safeguard and exploit them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Jaganath Rao) : (a) Exploration work is still in progress.

(b) Does not arise at this stage.

Supply of Water for Irrigation Purposes in Madhya Pradesh

1131. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the target fixed for last year for the supply of water to Madhya Pradesh for irrigation of land from canals of Chambal under the Hydel Power Supply Scheme and the area of land for which water was actually supplied ; and

(b) the target fixed for the current agricultural year for the supply of water for irrigation purposes in the said area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Government of Madhya Pradesh have reported that the target for irrigation in Madhya Pradesh from Chambal project in 1968-69 was 2,41,000 acres and the area actually irrigated was 1,20,200 acres.

(b) A tentative target of 2,25,000 acres has been fixed for the year 1969-70.

Allotment of M. Ps' Flats to Official in North and South Avenues, New Delhi

1132. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the M. Ps.' flats in North Avenue, and South Avenue, New Delhi have been allotted to Government officials ;

(b) the total number thereof and the number of each flat, the names of the officials to whom they have been allotted, the reasons for keeping those officials amidst M. Ps. when some of the M. Ps. are in need of these flats ; and

(c) whether Government are aware of the inconvenience caused to the M. Ps. because of such policy ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes Sir.

(b) and (c). A statement in regard to the particulars of accommodation, names of officials, etc , is enclosed [*Placed in Library. See* No. LT—2077/69]. The allotment of flats in North and South Avenues out of the M. Ps. Pool, which are surplus to their require-

ments has been made after clearance from the Rajya Sabha/Lok Sabha Secretariats on purely temporary basis, to Government officials on the clear understanding that the flats will be got vacated at short notice as and when required for allotment to M. Ps. Such temporary allotments, besides providing temporary relief to needy Government servants, save a loss of revenues to Government. The Directorate of Estates have not received complaints as such from M. Ps. residing at North and South Avenues.

Ill-Effects of Bank Nationalisation on Trade

1133. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the reaction of the Natiolisation of banks on the bank employees has been that they have started neglecting their old customers ;

(b) whether it is also a fact that it has discouraged the businessmen carrying their business with the help of banks ; and

(c) if so, the measures being adopted by Government to remove its ill-effects on the bank-trading ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). No such reports or complaints have reached Government. On the other hand, a large number of employees of banks have pledged their full support to work better to make nationalisation a success.

(c) Does not arise.

Loans from the Nationalised Banks

1134. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some people took various types of loans from banks prior to bank nationalisation ; if so, the present position in this regard ;

(b) whether it is also a fact that the Bank Managers are facing much difficulty due to this and the beneficiaries are creating various types of difficulties for them ; and

(c) if so, the remedial measures being adopted by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) It is not unusual for constituents to avail themselves of different types of loans for different purposes ; for instance, medium term loans for purchase of fixed assests, plants and machinery and short term credits for working capital. The position has not changed after nationalisation. Banks will, however, be expected to exercise greater care to see that only genuine needs of borrowers are met.

(b) Government are not aware of any difficulties created by borrowers in regard to repayment.

(c) Does not arise.

Accumulation of Rain Water in Sector I. R. K. Puram, New Delhi

1135. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rain water still accumulates in some of the quarters even

after the lapse of a long period of 2 years of the allotment of Goverment quarters in Sector I, Ramakrishnapuram, New Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the residents of Sector I. Ramakrishnapuram have lodged complaints several times during the last two years in this regard ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard so as to ensure that the rain water does not accumulate in the said quarters ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Yes, Sir. A few complaints have been lodged by the residents.

(c) The storm water drains, which get choked due to accumulation of waste materials, are periodically cleaned particularly before the rainy season. The question of further improving the existing drainage arrangements is under consideration.

Banking Services Commission for Appointment of Staff in Banks

1136. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Clerks and Cashiers are appointed by the Branch Managers locally in the various Branches of the State Bank of India ;

(b) if so, whether it is also a fact that nepotism and favouratism have become rampant in these Branches as these appointments are made by the Branch Manager only ;

(c) if so, whether Government propose to introduce Banking Services and appoint Service Commissions at State Levels or on All India basis for the Nationalised Banks and the State Bank in the pattern of the Railway Department ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) Only senior officers such as the Chief Accountant and Staff Superintendents and personnel officers are authorised to make apppointments to the permanent carde of Clerks and Cashiers in the State Bank of India. Recruitment is effected on a zonal system covering branches in the region, on the strength of a written test and interview. Branch Managers have discretion to appoint only to the temporary cadre after duly following the employment exchange formalities and taking written test and interview.

(b) No such reports have been received by Government.

(c) and (d). No such proposal is presently under Governmen's consideration.

Schemes to Provide Loans by Allahabad Bank in U. P. M. P. and Bihar

1137. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Finance be plesed to state :

(a) whether it is a fact that according to the statement of the Custodian of the nationalised Allahabad Bank, this bank has selected Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar especially for the banking work and a number of schemes have been formulated to provide loans to priority industries, small industries and farmers in these States ; and

(b) if so, the detailed outlines of these schemes and whether other nationalised banks also propose to chalk out such special programme for the aforesaid three economically and industrially backward States ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

महेश योगी द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

1138. **श्री हेम बरुआ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लन्दन के 'इवनिंग स्टैंडर्ड' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि महेश योगी ने लन्दन में 14,000 पौंड की एक रौल्स रायस कार खरीदी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने योगी के वित्तीय साधनों और इस बात की जांच की है कि क्या विदेशी मुद्रा नियमों का कोई उल्लंघन किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जैसा कि 25 अगस्त, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 4819 के भाग (क) के उत्तर में कहा गया हैं, संसद् के एक सदस्य ने एक समाचार की फोटो-प्रति सरकार को भेजी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वह लन्दन के 'इवनिंग स्टेण्डर्ड, समाचार-पत्र के 14 जून, 1969 के अंक में प्रकाशित हुआ है । इस समाचार के अनुसार "महर्षि महेश योगी ने 14,000 पाउन्ड की एक पीली रोल्स रायस (गाड़ी) खरीदी है ।"

प्रवर्त्तन निदेशालय ने महर्षि महेश योगी से रोल्स रायस कार की खरीद के बारे में ब्यौरे पेश करने को कहा था । दिनांक 21 अगस्त, 1969 के उत्तर में महर्षि के मुख्तार ने कार की खरीद को बिल्कुल अस्वीकार किया है ।

प्रवर्त्तन निदेशालय ने महर्षि महेश योगी के विदेशों में कुछ वित्तीय लेन-देनों के संबंध में पूछ-ताछ की है । अब तक की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर, प्रवर्त्तन निदेशालय ने महर्षि महेश योगी को 5 नोटिस जारी किये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ, पूछा गया है कि वे इस बात का कारण बतायें कि विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए कुछ लेन-देन के कारण उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाय । इन नोटिसों के उत्तरों की प्रतीक्षा है ।

Filing of Wealth Tax Returns by Union Ministers

1140. **Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri K. P. Singh Deo :
Shri R. K. Amin :
Shri C. Muthusami :
Shri N. Shivappa :
Shri K. M. Koushik :
Shri D. N, Patodia :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of those Union Ministers who did not file their Wealth-tax returns from 1965-66 to 1968-69 ;

(b) the names of the Ministers who delayed the filing of the weatlh-tax returns and the extent of delay ;

(c) the action taken against them ; and

(d) the names of the Ministers against whom penalties have been imposed and the amount thereof and the sections under which the penalties have been imposed against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (d). The requisite information is not readily available, as some of the Ministers are assessed out side Delhi. The information is being collected, and will be laid on the Table of the House as early as possible.

प्रधान मन्त्री के सरकारी निवास के लिए एक भव्य इमारत का निर्माण

1 41. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री के सरकारी निवास हेतु एक करोड़ रुपये की लागत से एक भव्य इमारत बनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जी नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समन्वय करने संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड को संविहित बोर्ड में बदलना

1142. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास का समन्वय करने संबंधी उच्च शक्ति बोर्ड को संविहित बोर्ड में बदलने का सरकार का विचार है ;

(ख) वर्तमान बोर्ड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में कहां तक सफलता मिली है ;

(ग) दिल्ली-बृहद् योजना में जिन आस-पास के छः नगरों को शामिल किया गया है उनका अब तक विकास क्यों नहीं किया गया है तथा उनका विकास करने में और कितना समय लगेगा ; और

(घ) आगामी दो वर्षों में उनका विकास करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस प्रकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों तथा दिल्ली के परामर्श से विचाराधीन है ।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपीटल रीजन) में क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन का है । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लूनी क्षेत्रों तथा हरियाणा के फरीदाबाद का विकास कार्य हो रहा है । इसी प्रकार का विकास कार्य बहादुरगढ़ और गुड़गांव में अभी होना है । जहां तक नरेला का सम्बन्ध है, भविष्य की बृहद योजना के विकास कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । अगले दो वर्षों में विकास अनेक राज्यों द्वारा उपलब्ध साधनों पर निर्भर करेगा अतएव फिलहाल उसे बताना सम्भव नहीं हो सकता ।

कलकत्ता में पानी का संकट

1143. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में 25 अक्तूबर, 1969 को प्रातः काल पेय जल की सप्लाई बन्द हो गई थी तथा यह स्थिति कई दिनों तक जारी रही जिस से लगभग 50 लाख लोगों को कष्ट उठाना पड़ा ; यदि हां, तो उसके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह बात भी उनके ध्यान में लाई गई है कि इन संकटग्रस्त लोगों को दूषित तथा महामारी फैलाने वाला पानी जहां कहीं भी वह उपलब्ध था पीना पड़ा था ;

(ग) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि अस्पतालों में रोगियों को बहुत कठिनाई हुई थी ; और

(घ) क्या ऐसे मामलों में पानी की सप्लाई की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिएकोई कार्यवाही की गई है ; और क्या नगर के प्रत्येक घर में कुएं खोदने की अनुमति देने की पुरानी व्यवस्था को पुनः आरम्भ करने का विचार है ताकि संकट पड़ने पर उनका प्रयोग किया जा सके ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). इस काम का सम्बन्ध मुख्यतः राज्य सरकार से है । अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवार नियोजन अभियान में शिथिलता

1144. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों से देश में परिवार नियोजन अभियान में शिथिलता आ गई है ;

(ख) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कितनी कमी रही है ; और

(ग) निकट भविष्य में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). गर्भ-निरोध के सभी तरीकों को ध्यान में रखते हुए, देश में परिवार नियोजन अभियान में कोई शिथिलता नहीं आई है । वर्ष 1968-69 में परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने वालों की कुल संख्या व्यावहारिक रूप में 1967-68 वर्ष के समान ही रही अर्थात् 29 लाख 90 हजार । अप्रैल से सितम्बर, 1969 की अवधि में

परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्वीकार्य करने वालों की संख्या 13 लाख 60 हजार है जबकि 1968-69 में इसी अवधि के आंकड़े 12 लाख 90 हजार थे।

(ग) देश में परिवार नियोजन आन्दोलन को और तेज करने के लिए जो कदम उठाये जा रहे हैं उनमें ये कार्य भी शामिल हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में अत्यन्त घनी आबादी वाले 17 जिलों और एक चुने गये क्षेत्र में कार्यक्रम को सघन करना। (वाराणसी मंडल)

(2) देश में 58 महत्वपूर्ण मेडिकल संस्थाओं के जरिये प्रसवोत्तर सेवाएं प्रदान करना।

(3) देश भर में व्यावसायिक स्रोतों के जरिए और चुने गए ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो हाल्डरों (डाकघरों के जरिये) के जरिये निरोध की सप्लाई बढ़ाना।

(4) लगभग 2000 चुने गये अस्पतालों को नसबंदी उपकरण सप्लाई करना। इनमें स्वयं सेवी और गैर-सरकार अस्पताल भी शामिल हैं, जहाँ चिकित्सा अधिकारी नसबंदी करने/लूप पहनाने के इच्छुक हैं किन्तु उपकरणों के अभाव में ऐसा नहीं कर सकते हैं।

(5) निजी चिकित्सा व्यवसायियों होम्योपैथी और स्वेदेशी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण देकर कार्यक्रम में अधिकतम संख्या में शामिल करना।

(6) उन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ग्रामीण परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना करना जहां ये अभी स्थापित नहीं किये गये हैं और उप-केन्द्रों का खोलना सेवाओं को शीघ्र प्रदान करने के उद्देश्य से चुने गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वाहन प्रदान करना।

(7) शिशुओं और स्कूल जाने से पूर्ण अवस्था वाले बच्चों के पूर्ण बचाव के लिए ट्रिपल एन्टीजेन का प्रयोग करना; माताओं को टिटनस रोग और पौषणिक रक्त क्षीणता से पूर्ण बचाव और विटामिन 'ए' की कमी के कारण अंधता को रोकने के लिए पौषण कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ये योजनाएं शुरू की जा रही हैं जिससे समाज को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जा सके कि परिवार नियोजन कार्यक्रम माताओं और बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण में दिलचस्पी रखता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड में भारतीय निदेशक

1145. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोर्ड में भारत द्वारा अपने स्थायी निदेशक के पद के खोये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इसका अर्थ यह होगा कि भारत का दर्जा कम हो जायेगा ; और

(ग) भारत विकासशील देशों का दर्जा किस प्रकार प्राप्त करेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि की पंचवार्षिक समीक्षा के परिणामस्वरूप निधि के सदस्यों के कोटों में 1970 के अन्त तक परिवर्तन होने की सम्भावना है। भारत के कोटे में अधिक से अधिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। चूंकि कोटे विदेशी व्यापार, प्रारक्षित निधियां, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आदि जैसे कतिपय आर्थिक निर्देशकों के द्योतक होते हैं इसलिए यह बहुत सम्भव है कि भारत का निधि के सबसे बड़े कोटाहोल्डरों में पांचवां स्थान न रहे और इस प्रकार भारत निदेशक नियुक्त करने के अधिकार से वंचित हो जाय। पर, यदि ऐसा हो, तो भी भारत निदेशक मण्डल में अपना निदेशक चुनवा सकेगा।

(ख) और (ग). निर्वाचित और नियुक्त किये गये निदेशकों के कार्यों और अधिकारों में कोई अन्तर नहीं होता। भारत का निदेशक, चाहे वह नियुक्त किया गया हो या निर्वाचित हुआ हो, निधि में भारत और विकासशील देशों के दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकेगा। उसे निधि में भारत के सापेक्षिक कोटे के आधार पर, जिसमें कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा, मतदान करने का भी अधिकार होगा। इसलिए इससे न तो भारत का और न ही कुल मिलाकर विकासशील देशों का दर्जा निश्चित रूप से कम होगा।

भारत के विदेश व्यापार बैंक की स्थापना

1146. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के एक विदेश व्यापार बैंक की स्थापना के प्रश्न की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक दे देगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी, हाँ।

(ख) समिति इस बात पर विचार करेगी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी विदेशी शाखाओं को अपने हाथ में लेने और उन्हें चलाने के लिए एक संस्था स्थापित करना वांछनीय होगा या नहीं और यदि वांछनीय होगा तो

(i) उस संस्था का गठन कैसा हो, उसके कार्य क्या हों और इसके साथ ही उसकी पूंजी क्या हो तथा वह किस स्थान पर स्थापित की जाय ;

(ii) इस प्रकार की संस्था, भारतीय बैंकों द्वारा किया जाने वाला विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समूचा कारोबार करेगी या नहीं और यदि करेगी तो बैंकों की लाभकारिता, विदेशी बैंकों के साथ उनके सम्बन्ध, विदेशी मुद्रा की सुरक्षा और विदेशी व्यापार के विकास पर इस प्रकार के प्रबन्ध का क्या प्रभाव होगा।

(ग) इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी।

सामूहिक आवास योजना का परीक्षण

114 . **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय गृह-निर्माण संगठन सहकारी आवास समितियां और मध्य तथा निम्न आय वर्ग की आवास योजनाओं के कार्य की विस्तृत जांच कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जांच का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय, विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० स० मूर्ति) : (क) और (ख) : इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन है किन्तु उसका ब्यौरा अभी बनाया जा रहा है । मोटे तौर पर कहा जाय तो आवास सहकारिताओं तथा निम्न और मध्य आय वर्ग के प्रचालनात्मक तथा अन्य पक्षों को विचार के लिए शामिल किया जाना प्रस्तावित है ।

विशाखापत्तनम स्थित कालटेक्स आयल रिफाइनरी का विस्तार

1148. **श्री एम० एस० मूर्ति :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम स्थित कालटेक्स आयल रिफाइनरी की वर्तमान क्षमता बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता कब तक और कितनी बढ़ाई जायेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में ताम्बा पिघलाने का कारखाना

1149. **श्री एम० एस० मूर्ति :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में ताम्बा पिघलाने का एक कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कारखाने को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ; और

(ग) यह कारखाना किस तारीख तक खुल जायेगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में ताम्बा पिघलाने का कारखाना स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रियों द्वारा आयकर का भुगतान

150. **श्री बेणी शंकर शर्मा :**
श्री के० कृ० दास चौधरी :

क्या वित्त मंत्री 11 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न 454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 211 अथवा 212 के अन्तर्गत अपने अग्रिम करों का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) क्या इन मंत्रियों ने धारा 139(1) अथवा 139(2) के अन्तर्गत समय पर अपने विवरण दायर किये थे और क्या उन्होंने स्वयं निर्धारण के आधार पर धारा 140 के अन्तर्गत उन पर लगाये जाने वाले करों का भुगतान किया था ;

(ग) यदि किसी मन्त्री ने ऐसा नहीं किया, तो क्या धारा 273 अथवा किसी अन्य धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड देने के लिये कार्यवाही आरम्भ की गई थी ;

(घ) क्या देर से विवरण दायर करने के लिये उनमें से किसी के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 271 (क) अथवा 271 (ख) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) ऐसे कोई भी केन्द्रीय मन्त्री, राज्य मन्त्री या उप-मन्त्री नहीं हैं जिनका कर निर्धारण दिल्ली में किया गया हो और जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के भीतर, आयकर, अधिनियम 1961 की धारा 211 अथवा 212 के उपबन्धों के अनुसार अग्रिम कर की अदायगी नहीं की हो ।

(ख) सभी केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा धारा 139(1) अथवा 139(2) के अन्तर्गत विवरणियां दाखिल करने से सम्बन्धित सूचना, श्री कंवर लाल गुप्ता द्वारा 24 मार्च, 1969 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई थी ।

ऐसे कोई केन्द्रीय मन्त्री नहीं थे, जिनका कर निर्धारण दिल्ली म किया गया हो और जिनके मामलों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 ए के अन्तर्गत कर देय हो और जिन्होंने इस कर की अदायगी नहीं की हो ।

(ग) ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सम्भतः प्रश्न का संबंध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1) (ए) तथा 271(1) (बी) से है धारा 271(1) (बी) का संबंध देर से विवरणियां दाखिल करने से नहीं है । सभी केन्द्रीय मंत्रियों के मामलों में धारा 271(1) (ए) के अधीन की गई कार्यवाही के ब्यौरे लोकसभा में 24 मार्च, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के उत्तर में सदन की मेज पर रखे गए थे ।

नोट : जिन मंत्रियों का कर निर्धारण दिल्ली से बाहर किया गया था, उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

मन्त्रियों द्वारा आयकर का भुगतान

1151. श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री एन० शिवप्पा :
श्री श्री बे० कु० दासचौधरी : श्री कृ० मा० कौशिक :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० की० अमीन : श्री राम सेवक यादव :
श्री सी० मूत्तुस्वामी :

क्या वित्त मन्त्री 11 अगस्त, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 के स्पष्टीकरण के अर्थों के अनुसार किसी मामले में किसी मन्त्री, राज्य मन्त्री और उप मन्त्री द्वारा आय छुपाई गई थी ;

(ख) क्या किसी मन्त्री के आयकर निर्धारण में वास्तव में आय छुपाने का पता चला था और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ;

(ग) क्या सम्बन्धित मन्त्रियों ने आयकर अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत कर के भुगतान का नोटिस जारी किये जाने के 35 दिन की अवधि में माँगी गई राशि का भुगतान किया अथवा नहीं ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या अन्य उपयुक्त धाराओं के साथ पढ़ते हुए धारा 271(क), 271 (ख), 271 (ग) और 273 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध अर्थदण्ड देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). सभी केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा धारा 139(1) अथवा 139(2) के अन्तर्गत विवरणियां दायर करने से सम्बन्धित सूचना, श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा 24 मार्च, 1969 को, लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई थी ।

कुछ मन्त्रियों का कर निर्धारण पूरा होना अभी बाकी है और माँगी गई सूचना कर निर्धारणों के पूरा हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी ।

कम्पनी से भिन्न मामलों के आय विवरण

1152. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10,000 रुपये तक की आय वाले (बम्बई और कलकत्ता के मामलों में 15,000 रुपये) कम्पनी से भिन्न मामलों की आय का विवरण बिना किसी जांच पड़ताल के स्वीकार किये जायेंगे बशर्ते करापवंचन की शिकायतें न हों ;

(ख) यदि हां, तो 1 अगस्त, 1967 से 31 अगस्त, 1968 की अवधि में और 31 अगस्त, 1968 से 31 अगस्त, 1969 की अवधि में ऐसे कितने मामलों का निपटारा किया गया ;

(ग) 1 सितम्बर, 1969 को ऐसे कितने मामले विचाराधीन थे ; और

(घ) इस अवधि में 15,000 रुपये से अधिक आय के विवरण वाले कितने मामलों को नि टाया गया और 1 सितम्बर, 1969 को कितने मामले विचाराधीन थे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां। राजस्व के हितों की रक्षा के लिए लगाये गये कुछ अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए।

जिन मामलों पर यह योजना लागू होती है, उनके किसी एक प्रतिशत को सामान्य तौर पर जांच के लिए चुना जाता है।

(ख) से (घ). विभिन्न वर्गों में निर्धारितियों के बारे में आँकड़े रखे जाते हैं। अपेक्षित अवधि के लिए वर्ग-वार निपटान तथा कर-निर्धारण के बकाया मामले नीचे दिये अनुसार हैं :

	निम्नलिखित अवधि में निपटान		
	1-9-1967 से 31-8-1968 तक	1-9-1968 से 31-8-1969 तक	31-8-69 को बकाया मामले
वर्ग-I 25,000 रुपये से ऊपर की आय के व्यापार सम्बन्धी मामले	1,65,237	1,98,519	3,17,606
वर्ग-II 15,000 रुपये से अधिक किन्तु 25,000 रु० से कम की आय के व्यापार सम्बन्धी मामले	1,40,226	1,78,385	2,87,702
वर्ग-III 7,500 रु० से अधिक किन्तु 15,000 रु० से कम की आय के व्यापार सम्बन्धी मामले	3,28,031	4,36,378	6,06,786
वर्ग IV तथा V अर्थात् (1) 7500 रुपये से कम की आय के व्यापार संबंधी मामले (2) सरकारी वेतन के मामले (3) गैर-सरकारी वेतन के मामले (4) धारा 237 के अन्तर्गत वापसी के सभी मामले	21,77,307	25,31,375	23,94,080
जोड़	28,11,801	33,44,657	36,06,174

स्पेन को अशोधित तेल की सप्लाई

1153. श्री वेणी शंकर शर्मा : डा० प० मंडल :

श्री हिम्मत सिंहका :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उस वर्ष उस अशोधित तेल में से कुछ स्पेन को सप्लाई करेगा जो उसे फारस की खाड़ी में संयुक्त तट दूर उपक्रम से प्राप्त होगा ; और

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल के संभरणकर्त्ता के रूप में भारत का स्थान कौन सा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). अक्तूबर, 1969 में, एक स्पेनिश शोधनशाला को ईरान तट दूर संयुक्त उद्यम के उत्पादन में से हाइड्रोकारबन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के रोस्तम कूड (तेल) के शेयर की लगभग 500,000 बैरलस की मात्रा बेची गई थी। इस शोधनशाला को और सप्लाई, कच्चे तेल को साफ करने के परिणामों पर निर्भर होगी।

औषध उद्योग का राष्ट्रीयकरण

1154. श्री वेणी शंकर शर्मा :

श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य स्वास्थ्य और रहन सहन के निम्न स्तर को देखते हुए देश में औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). औषध उद्योग के राष्ट्रीयकरण को वांछनीय नहीं समझा गया है। देश में पहले से ही आवश्यक औषधियों के निर्माण करने वाली कड़ी सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम विद्यमान है। जब इन में पूर्ण उत्पादन शुरू होगा, तो ये कारखाने देश में तैयार की जा रही औषधियों के कुल उत्पादन का भारी अंश पूरा करेंगे।

जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

1155. श्री सी० के चक्रपाणि : श्री प० गोपालन :

श्री ई० के० नायनार : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1969 के पैट्रियट में जीवन बीमा निगम के

अध्यक्ष के विरुद्ध संसद् सदस्य श्री चन्द्र शेखर द्वारा लगाये गये कथित आरोपों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). जी हां । श्री भिडे के अनुसार, उन्होंने अपना मत तब जाहिर किया जब उन्हें एस० दत्त के अधीन गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये उद्योगों के लिये केन्द्रीय सलाहकार परिषद् द्वारा आयोजित बैठक में उक्त विषय पर बोलने के लिए कहा गया था । उन मतों का उद्देश्य जीवन बीमा निगम की नीतियों की ओर संकेत करना था ।

जीवन बीमा निगम, निस्संदेह उन सभी नई नीति विषयक निर्देशों के अनुरूप कार्य करेगा जो भविष्य में निगम को दिये जायेंगे । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बेकार क्षमता

1156. श्री **वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कई बार हुआ है कि सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने में एक विशेष उपकरण बेकार पड़ा रहता है परन्तु सरकारी क्षेत्र के दूसरे कारखाने के लिये उसी प्रकार कई उपकरण बाजार से खरीदा जाता है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों में खरीदे गये और या लगाये गये उपकरणों की संख्या वहां होने वाले उत्पादन को देखते हुए बहुत अधिक है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या इससे लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन नहीं होता और यदि हां, तो इन कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने अधिष्ठापित उपकरणों के प्रयोग और फालतू उपकरणों के निपटान के मामले में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बड़े उपक्रम में विशेषज्ञों की समितियां नियुक्त करने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) सरकार के ध्यान में इस प्रकार की कोई घटना नहीं आयी है जिसमें किसी सरकारी उपक्रम ने उत्पादन/निर्माण सम्बन्धी कोई ऐसा मुख्य साजसामान खरीदा हो जबकि वैसा ही साजसामान अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में बेकार पड़ा हो ।

(ख) सरकारी उपक्रमों में जो साजसामान खरीदा जाता है और या लगाया जाता है वह उस उत्पादन क्षमता पर आधारित होता है जिस पर विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट में विचार किया जा चुका होता है । फिर भी, ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि मुख्य उत्पादन-उपकरणों में से कुछ उपकरणों की उत्पादन क्षमता का, विभिन्न कारणों से पूरा-पूरा उपयोग न किया जा रहा हो ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) और (ङ). वित्त मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से, अपने पास उपलब्ध निर्माण उपकरणों का समुचित तथा यथार्थवादी मूल्यांकन करने और कुल उपलब्ध उपकरणों, उनके उपयोग की सीमा, उनकी शेष आयु और उन्हें रखने अथवा उनके निपटान की आवश्यकता को आंकने के लिए विशेषज्ञ समितियां नियुक्त करने का अनुरोध किया है ।

नये मकान

1157. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अप्रैल, 1969 को अनुमानतः 837 लाख मकानों की कमी थी और यह कमी प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक के हिसाब से बढ़ने की सम्भावना है ;

(ख) क्या उन्होंने 18 जून, 1969 को बंगलौर में कहा है कि इतनी अधिक कमी का कारण मुख्यतः नये मकानों के निर्माण के लिये धन की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां । इस अनुमान में वे टूटे-फूटे तथा घटिया मकान शामिल हैं, जिनमें पर्याप्त सुधार या सम्पूर्ण रूप से उनके पुनः बनाने की आवश्यकता है । और यह इस मान्यता पर निर्धारित है, कि प्रत्येक परिवार के पास एक पक्का रिहायशी एकक होना चाहिए, अर्थात एक ऐसी उचित स्थाई संरचना जिसमें सुरक्षा और आराम के न्यूनतम मानकों की व्यवस्था हो ।

(ख) देश में मकानों की गतिविधियों की प्रगति में बाधा डालने वालों में एक प्रमुख कारण निधियों का अभाव बताया गया ।

(ग) निम्न तथा मध्यम आय वर्ग में लोगों की आवास की स्थिति में सुधार लाने हेतु निर्देशित वर्तमान सभी सामाजिक आवास योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव है । चौथी पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में तथापि, इन सभी योजनाओं तथा नगरीय विकास कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 96.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जो कि बहुत थोड़ी है । समस्या का एक समाधान निजी क्षेत्र में सक्रियता लाना है तथा निजी साधनों को मकानों के लिये उत्तरोत्तर गतिशील बनाना है । इसके अतिरिक्त जून, 1 69 में बंगलौर में हुए आवास, नगर विकास और नगर आयोजना मंत्रियों के सम्मेलन में एक केन्द्रीय आवास अधिकरण गठित करने की सिफारिश की है, जो देश तथा विदेश से साधनों को जुटायेगा और उसे परिचालित निधि के रूप में चालू रखेगा। इस उद्देश्य के लिए सरकारी नियतनों और अन्य अंशदान से 200 करोड़ रुपये की एक आवर्ती निधि एकत्र करनी चाहिये । यदि कभी इन प्रस्तावों को साकार रूप प्राप्त होगा तो आवास समस्या को यथार्थ रूप में हल करने के लिये प्रयत्न करना सम्भव हो सकता है ।

अल्प तथा मध्यम आय वर्ग गृहनिर्माण योजनाएं

1159. **श्री लोबो प्रभु :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 4 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2102 के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प तथा मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजनाओं के लिए कितना उपबन्ध है उनकी कितनी मांग पहले ही बिना पूरे किये पड़ी है ;

(ख) नये राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजना के लिए सीधे अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण देने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती ; और

(ग) सरकार द्वारा गैर सरकारी गृह-स्वामियों को ऋण देने के सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री अन्नादुराई की योजना पर, जिसमें न केवल मकानों की व्यवस्था होगी बल्कि रोजगार तथा उत्पादन के अवसर पैदा होंगे विचार न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) चौथी योजना के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों (आवास शामिल है) की निधियों को संयुक्त रूप से राज्यों को 'ब्लाक लोन्स' और 'ब्लाक ग्रान्ट्स' के रूप में उपलब्ध किया जाता है। यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि सहायता का उपयोग अपने विवेकानुसार करें। तथापि, चौथी योजना के प्रारूप में सामाजिक योजनाओं और नगरीय विकास के लिए 96.69 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने यथार्थ में योजना-वार विवरण के बारे में मांगों और नियतन के लिये अभी तक सूचित नहीं किया है।

(ख) बैंकों के कार्य करने की प्रकृति के कारण बैंकों (राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य) को इस स्थिति में नहीं समझा गया है कि वे आवास सुविधाओं के लिये लम्बी किस्तों पर उधार दे सकें।

(ग) भारत सरकार को उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु आवास के लिये निम्न और मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत अग्रिम धन पहले ही से दिया जा रहा है।

नई योजनाओं में मूल्य सम्बन्धी अध्ययन

1160. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4732 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं की निर्माण संभावनाओं के अध्ययन में ऐसा करना भी शामिल है कि आयातित वस्तुओं के अवतरण लागत की तुलना देशी वस्तुओं के मूल्यों के साथ भी की जाये ताकि उपभोक्ता विशेषकर कृषकों के उर्वरकों, इंटरनल कम्बुश्चन इंजनों के लिए विश्व मूल्यों से दुगना और तिगुना मूल्य न देना पड़े ;

(ख) क्या बेकार क्षमता वाले उद्यमों से विविधीकरण के लिए योजनायें मांगी गई हैं और अब तक विविधीकरण किये गये हैं तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी है ;

(ग) इन शिकायतों के बावजूद भी कि लगातार भर्ती किये जाने से स्टाफ अधिक हो गया

है और पक्षपात भी किया गया है तो उद्यमों म और आगे भर्ती किया जाना कहां तक संगत है, तथा सरकार सभी सहकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिये एक लोक सेवा आयोग क्यों नहीं बनाती : और

(घ) यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बीच माल की बिक्री से प्रतियोगिता कम नहीं होगी, तो गैर-सरकारी क्षेत्र से टेंडर लेने में क्या आपत्ति है जो इतनी भारी दरों वाले टेंडरों को रोक सकें, जो बोकारो भारी इंजीनियरी निगम द्वारा प्रस्तुत किये गये बताये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) योजना आयोग की सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के सम्भाव्यता-अध्ययन संबन्धी मार्गदर्शक पुस्तिका में यह कहा गया है कि 'जहाँ कोई वस्तु स्थानीय रूप से उपलब्ध न हो अथवा जहाँ स्थानीय वस्तु की कीमत को यथार्थवादी समझा जाय, वहां वैसी ही वस्तु के जहाज-उतरते मूल्य (लैंडेड प्राइस) को वाणिज्यिक लाभकारिता का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए ।" सरकारी उद्यमों के मूल्य निर्धारण नीतियों के सम्बन्ध में भी नियुक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों की सूचना दे दी गयी है ।

(ख) विविधता लाने के प्रस्तावों पर सरकारी उद्यमों द्वारा पहले ही विचार किया जा रहा है । इन प्रस्तावों के लिए सरकार की मंजूरी वित्तीय खर्च को देखते हुए और इस सम्बन्ध में शक्तियों के मौजूदा प्रत्यायोजन के अनुसार प्राप्त की जाती है ।

(ग) यह शिकायत सही नहीं है कि प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि किये जाने के परिणाम-स्वरूप इन उपक्रमों में पक्षपात हो रहा है और आवश्यकता से अधिक कर्मचारी भरती कर लिये गये हैं । कुछ उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण बिल्कुल और ही हैं । सरकार सभी सरकारी उपक्रमों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(घ) सरकारी उद्यमों पर गैर-सरकारी क्षेत्र से टेण्डर मांगने की कोई मनाही नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशालयों में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व

1161. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिनियम में बिना संशोधन के राष्ट्रीयकृत बैंक निदेशालय में प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकारों की मांग किस प्रकार पूरी होगी ;

(ख) राज्य सरकारों तथा राज्य उद्यमों की राष्ट्रीयकृत बैंकों से वाणिज्यिक दरों पर उधार क्यों लेना चाहिए जबकि राज्य सरकार ऋण दे सकती है और राज्य उद्यम 'डिबेंचरों' पर निर्भर रह सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिये गये ब्याजदर की अनुपूर्ति करना है और सरकार प्रत्यक्ष रूप से अथवा रिजर्व बैंक द्वारा ऋण क्यों नहीं देती ; और

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज दरों को कम करने के बारे में विचार किया है ताकि जनता को लाभ का अनुभव हो जिसकी उनको राष्ट्रीयकरण से आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का

अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अनुसार यह जरूरी है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में किन्हीं निश्चित हितों का प्रतिनिधित्व हो। इसका अर्थ यह नहीं कि निदेशक मण्डलों में अन्य हितों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। फिर भी, राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के गठन के सम्पूर्ण प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले ये ऋण, उनके द्वारा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के अलावा हैं और ये मुख्यतः राज्य-व्यापार सम्बन्धी कार्यों की वित्त-व्यवस्था के लिए होते हैं। जहां तक राज्यों के उद्यमों द्वारा जारी किये जाने वाले ऋणपत्रों (डिबेंचर) का सम्बन्ध है, उनकी सफलता के लिए यह जरूरी है कि उन्हें राज्य सरकार की गारंटी प्राप्त हो, और राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे इन गारंटियों को युक्तियुक्त सीमा के अन्दर अन्दर रखेंगी। इसके अलावा, राज्यों के उद्यम किस हद तक ऋणपत्र बेच सकेंगे, यह पूंजी-बाजार में साधनों की उपलब्धि पर निर्भर होता है ; और इन उद्यमों को कार्यचालन पूंजी सम्बन्धी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंकों का आसरा लेना पड़ता है।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज के सम्बन्ध में सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली दरें अनुचित नहीं समझी जातीं। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के कमजोर वर्गों, जैसे छोटे किसानों, छोटे खुदरा व्यापारियों आदि की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर अधिक हद तक पूरा किया जाय। अब तक इन क्षेत्रों की अपेक्षा की जाती थी और इनको अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अधिकतर साहूकारों से ब्याज की बहुत ऊंची दरों पर ऋण लेना पड़ता था।

शान्ति वन और जवाहर ज्योति पर व्यय

1162. **रा० की० अमीन : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शान्ति वन और जवाहर ज्योति पर अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है ;

(ख) शान्ति वन और जवाहर ज्योति पर खर्च की गई राशि के बराबर धन से दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने का कार्य कहां तक किया जा सकता था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार शान्ति वन और जवाहर ज्योति पर खर्च करना बन्द करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) अक्तूबर, 1969 के अन्त तक शान्ति वन पर 16,39,917 रुपये की राशि खर्च हुई है। इसमें अधिकतर आसपास के क्षेत्र का सामान्य विकास किया गया है। गड्ढों को नदी की मिट्टी से भरा गया है तथा रिंग रोड और नदी के बीच बाढ़ से सुरक्षित रहने के आवश्यक उपाय ले लिये गये हैं। जवाहर ज्योति पर खर्च हुआ व्यय 9,30,495 रुपये है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं पर उनकी पारस्परिक प्राथमिकता पर यथा योग्य विचार करते हुए सरकार खर्च कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई कार्य के लिए 40 लाख रुपये नियत किये हैं।

(ग) जी, नहीं।

उत्तर प्रदेश के लिए पौलिस्टर फाइबर कारखाना

1163. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में पोलिस्टर फाइबर कारखाना स्थापित करने के बारे में आगे कोई प्रगति हुई है और क्या लाइसेंस जारी कर दिया गया है और यदि हां, तो किसको ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री द०रा० चव्हाण): मैसर्स स्वदेसी काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर को 24-7-1969 को 6,700 मीटरी टन प्रतिवर्ष की क्षमता का एक आशय पत्र जारी कर दिया गया था जो 24-1-1970 तक वैध है। उन्हें एक औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा जब वे आशय पत्र की शर्तों पूरा करेंगे।

जीवन बीमा निगम का व्यवसाय

1164. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम 1968-69 में अधिकतम व्यवसाय किया ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस वर्ष किये गये कुल व्यवसाय को बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

पूर्ति मन्त्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरेवार सूचना जीवन बीमा निगम की 31-3-1969 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट तथा लेखा में दी गयी जिसकी प्रतियां 17-11-1969 को सदन की मेज पर रखी गयी थीं।

Legislation for Consolidation of Holdings

1165. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during August, 1969 she had sent a letter to the Chief Ministers of all the States requesting them to enact early an effective legislation for the consolidation of holdings in their respective States and also to formulate schemes for revising credit policy of nationalised banks ;

(b) if so, the reaction of each State Government to the suggestions made by her ; and

(c) the names of the States which have refused to accept the aforesaid suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) The Prime Minister wrote to the Chief Ministers in August, 1969 requesting them to consider formulating ways and means by which consolidation of holdings could be done within a specified period of time. She also suggested to them that their officers might be directed to study the legal and procedural difficulties which come in the way of bank embarking in providing finance on a big scale to cultivators.

(b) Generally, the States have welcomed the suggestions and agreed to co-operate fully implementing them.

(c) No State has refused to accept the suggestions.

Setting up of Family Planning Centre in Pauri, Garhwal, Uttar Pradesh

1166. **Shri Yashpal Singh :** Will the Miniter of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether Government propose to reduce the population by means of Family Planning Programme in the country ;

(b) if so, the progress achieved so far in this respect ;

(c) whether Government also propose to set up Family Planning Centres in District Pauri-Garhwal of Uttar Pradesh and make arrangements there ;

(d) whether a Family Planning Centre is also propose to be set up in a place named Delchaunri of Garhwal which is the Centre of so many 'Pattis' ; and

(e) if so, the time to be taken in setting it up and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes, the present objective of the Family Planning Programme is to reduce the present birth rate to 25 per thousand of population at the end of the Fifth Five Year Plan.

(b) A statement (Annexure-I) is enclosed showing estimated number of births averted upto 1968-69 as a result of the work done upto that year. [*Placed in Library See* No. LT-2078/69.] It will be seen from the statement that 3.343 million births are estimated to have been averted till then. The total effect of the work already done upto 1968-69 in future years upto 1978-79 will be avertion of approximately 15 million births. There will be additional prospective prevention of births even beyond the year 1978-79 as a result of the sterilisation done upto 1968-69.

While overall position regarding fall in birth rate can be worked out and made available only after the census in 1971, surveys carried out in various parts of the country have indicated definite lowering of birth rate. A list (Annexure-II) showing the studies relating to reduction in birth rate is enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT-2078/69.]

(c) According to information available with the Central Government, 14 Rural Family Welfare Planning Centres and 2 Urban Family Welfare Planning Centres are already functioning in Pauri-Garhwal District of Uttar Pradesh.

(d) and (e). The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh and will be furnished to the Sabha as soon as available.

Family Planning Programme in District Pauri, Garhwal, Uttar Pradesh

1167, **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government give grants to the State Government for further strengthening the Family Planning Programme ;

(b) if so, the, details of the grants given to the different States in 1968-69 ;

(c) whether Governmet propose to give some additional financial assistance to District Pauri, Garhwal of Uttar Pradesh which is the most backward area, so that the Family Planning may be further strengthened there : and

(d) if so, the extent thereof and if not, the reasons therefore ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) and (b). Yes. Grants-in-aid are made to the State Governments for the implementation of the Family Planning Programme according to the schemes and patterns laid down by the Government of India. A statement showing the grants-in-aid provisionally made to the State Governments during 1968-69 is attached herewith. [*Placed in Library. See* No. LT-2079/69.]

(c) and (d). Allocations to the different districts are made by the State Government according to needs.

Assistance to Pauri Hospital, Pauri-Garhwal

1168. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total number of Hospitals running in Uttar Pradesh with Central assistance ;

(b) whether Government propose to extend some aid to the Pauri Hospital situated in the district Pauri-Garhwal of Uttar Pradesh :

(c) whether it is also a fact that doctors and medicines are inadequate and patients are not treated there properly ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). No assistance is given by the Central Government to any State Government specifically for running hospitals. If any hospital run by a voluntary organization applies through the State Government for a grant by the Central Government, the matter will be eonsidered.

(c) and (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात

1169. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 से 1968-69 तक पी०एल० 480 के अन्तर्गत वर्ष-वार कितनी मात्रा तथा कितने मूल्य के खाद्यान्नों, कपास, सोयाबीन तेल तथा भेड़, बकरी की चरबी आदि का आयात किया गया ; और

(ख) क्या उपरोक्त वस्तुओं का 1969-70, 1970-71 तथा उसके बाद भी आयात करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) दो विवरण संलग्न है जिनमें पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात की गई जिन्सों की मात्रा तथा उनके मूल्य का वर्षवार ब्योरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया** . **देखिये** संख्या एल० टी० 2080/69]।

(ख) और (ग). अप्रैल और अक्तूबर 1969 में जिन करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं उनके अन्तर्गत निम्नलिखित जिन्सों के आयात की व्यवस्था है .—

जिन्स	मात्रा	मूल्य (लाख डालरों में)
गेहूं	30 लाख मैट्रिक टन	1598.0
माइलो	3 ,, ,, ,,	144.0
चावल	1 ,, ,, ,,	178.0
सोयाबीन तेल	13.5 ,, ,, ,,	277.0
कपास	3.6 ,, गांठें (प्रत्येक गांठ 400 पौंड की)	385.0
	जोड़	2582.0

कुल 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं में से 18 लाख मैट्रिक टन गेहूं को छोड़कर जो, 1970-71 की अवधि में मंगाया जा सकता है, ये सभी जिन्सें 1969-70 के दौरान मंगाई जाने की आशा है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि 1970-71 के दौरान और उसके बाद और कौन-सी जिन्सें मंगवाने की आवश्यकता पड़ेगी।

प्राधिकृत तथा प्रयुक्त विदेशी सहायता

1170. **श्री यशपाल सिंह : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 से 1968-69 की अवधि में प्राधिकृत तथा प्रयुक्त विदेशी सहायता की वर्ष-वार राशि क्या है ;

(ख) वर्ष 1964-65 से 1968-69 की अवधि में प्राधिकृत तथा प्रयुक्त परियोजना सहायता, गैर-परियोजना सहायता, पी० एल० 480 सहायता तथा अनुदानों की वर्षवार राशि कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा उसके बाद की अवधियों में परियोजना तथा गैर-परियोजना सहायता की कितनी राशि सम्भावित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सभा की मेज पर

एक विवरण रखा गया है जिसमें 1964-65 से 968-69 तक के वर्षों में मंजूर की गई और इस्तेमाल की गई विदेशी सहायता का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2081/69]

(ग) अनुमान है कि 1969-70 में 25 करोड़ डालर की प्रायोजना सहायता और 60 करोड़ रुपये की प्रायोजना भिन्न सहायता की नई स्वीकृतियां प्राप्त होंगी। चूंकि इस समय अधिकांश सहायता के वचन वार्षिक आधार पर दिये जा रहे हैं इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि 1970-71 में और इसके बाद कितनी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

जीवन बीमा निगम में विश्वविद्यालयों की जाली उपाधियों वाले अधिकारियों की नियुक्ति

1171. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के 54 अधिकारियों ने अपने सेवा रिकार्ड में अपनी आयु कम बतलाई है ;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उनकी आयु की उनकी नियुक्ति के समय जाँच नहीं की गई थी; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इन अधिकारियों ने अपनी नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय की जाली उपाधियां पेश की थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उनकी उपाधियों की सत्यता के बारे में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से पूछताछ की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० के० खाडिलकर) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

गंगा जल में दूषण

1172. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री मयावन :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा जल में दूषण तथा गतवर्ष मार्च में नदी में कई स्थानों पर आग लगने की घटनाओं के सम्बन्ध में जिस जांच आयोग ने जांच की थी, उसने बरौनी तेल शोधक कारखाने के अधिकारियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आयोग की अन्य कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आयोग की सिफारिशों पर जांच की जा रही है ।

आदिम जातीय क्षेत्र में बिजली, सिंचाई तथा अन्य सुविधाओं का विकास

1173. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**
श्री देवी सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अधिक आदिम जातीय जनसंख्या वाले राज्यों को, जहां कि आदिम जातीय क्षेत्र में बिजली और सिंचाई के विकास तथा पीने के पानी की सप्लाई की आवश्यकता है, विशिष्ट कार्यक्रम पेश करने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने अब तक अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं और केन्द्र से कुल कितना धन नियत करने की आवश्यकता है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रस्ताव नवम्बर, 1969 के अन्त तक भेज दें । अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारत सहायता सार्थ संघ से परियोजना से भिन्न सहायता

1174. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सहायता सार्थ संघ द्वारा मई 1969 में अपनी बैठक में परियोजना से भिन्न कितनी सहायता मंजूर की गई ;

(ख) 1969-70 के अनुमानित परियोजना से भिन्न व्यय से यह राशि कितनी कम है ; और

(ग) भारत सहायता सार्थ संघ द्वारा कितनी परियोजना सहायता मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). भारत सहायता संघ ने, जिसकी बैठक पेरिस में 22 और 23 मई, 1969 को हुई थी, यह बात मान ली थी कि भारत को 1969-70 के वर्ष के लिए लगभग 70 करोड़ डालर की प्रायोजना भिन्न सहायता के बचनों की जरूरत है । इसके मुकाबले, 60 करोड़ डालर की प्रायोजना भिन्न सहायता के वास्तविक वचन मिलने की आशा है । अनुमान है कि इस वर्ष प्रायोजना भिन्न सहायता की लगभग इतनी ही राशि इस्तेमाल होगी ।

(ग) भारत सहायता संघ ने प्रायोजना सहायता के लिए 40 करोड़ डालर की आवश्यकता को युक्तियुक्त माना है ।

उत्तर भारत में तेल शोधनशाला

1175. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री श्रद्धाकर सूपकार : श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिरिक्त तेलशोधन क्षमता के प्रश्न पर विचार करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक अध्ययन दल ने सवाई माधोपुर अथवा हिसार अथवा आगरा में एक नई तेल शोधन-शाला स्थापित करने की सिफ़ारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा के इतना निकट तेल शोधनशाला स्थापित करने में सुरक्षा संबंधी प लू को ध्यान में रखेगी, चाहे उसके कांडला के समीप होने के कई जोरदार कारण क्यों न हों ; और

(ग) क्या सरकार मध्य प्रदेश में कांडला से उतनी ही दूर जितनी दूर सवाई माधोपुर है किसी स्थान पर तेल शोधनशाला स्थापित करने का विचार करेगी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित होगा ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). अध्ययन दल की रिपोर्ट परीक्षाधीन है ।

पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण भारत और यूगोस्लाविया के बीच मतभेद

1176. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नन्द कुमार सोमानी : श्री अदिचन :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री निहाल सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के कारण भारत और यूगोस्लाविया के बीच हुए मतभेद को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कानूनी राय जानने के लिए भेजा गया है;

(ख) इस विवाद में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ;

(ग) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया के कुछ उपक्रमों और सरकार ने इस मामले को विश्व न्यायालय में ले जाने की धमकी दी है ; और

(घ) इस मामले को सुलझाने के लिये अन्तिम निर्णय क्या किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) से (घ). ऋण, व्यापार और अदायगियों से सम्बन्धित विनिमय परिवर्तन धारा की अलग-अलग परिभाषा को ध्यान में रखते हुए दोनों सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के प्रबन्ध निदेशक की सहायता से कानूनी राय लेने पर परस्पर सहमत हो गई है ।

नवम्बर, 1967 में पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन हो जाने के कारण प्रथम यूगोस्लाविया

ऋण करार के अन्तर्गत विवाद की रकम लगभग 3 करोड़ रुपये बैठती है। इसके अतिरिक्त, भारतीय आयातकों और युगोस्लाविया के सम्भरकों के बीच कुछ वाणिज्यिक करारों में भी पौंड स्टर्लिंग के साथ रुपये के मूल्यों का मिलान करने वाली विनिमय परिवर्तन धारा है।

(ग) जी नहीं।

औषधियों के ऊंचे मूल्यों और अन्य समस्याओं सम्बन्धी समिति

1177. **श्री सु० कु० तापड़िया :**　　　　**श्री मुरासौली मारन :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :　　　　**श्री योगेन्द्र शर्मा :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नागरीय, विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधियों के ऊंचे मूल्यों की समस्या और अन्य समस्याओं के बारे में विचार करने के लिए उनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है ; और

(ख) उक्त समिति के विचारार्थ विषय क्या है और इसके द्वारा सरकार को कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). ऐसी कोई औपचारिक समिति नहीं है। अतः कोई निर्देश पद नहीं है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास मन्त्री की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक समिति परामर्श देने के लिए गठित की गई है। इस समिति को सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना है। इसके कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित बातें आती हैं :—

(1) अस्पतालों से दवाइयों को छुट-पुट चोरी को कम करने के मार्गोपायों की जांच करना।

(2) नकली दवाई – विरोधी अभियान में सरकार की औषध उद्योग तथा व्यापार द्वारा सहायता करने के तरीकों की जांच करना।

(3) सरकारी तथा अन्य अर्ध-सरकारी संस्थानों/अस्पतालो के लिए खरीदी जाने वाली दवाइयों को कीमत घटाने के बारे में जांच करना।

(4) सामान्यतः सभी डाक्टरों विशेषतः अस्पतालों में काम करने वाले डाक्टरों से विवेकपूर्वक दवाइयों के नुस्खे लिखने के बारे में सहयोग प्राप्त करना ताकि दवाइयों की खरीद पर होने वाले व्यय में कमी की जा सके।

(5) औषधियों के मुफ्त नमूने देने तथा उनके प्रचार साहित्य को न्यूनतम रखने के हेतु औषध निर्माताओं और चिकित्सा व्यवसाय में एक स्वैच्छिक संहिता के प्रचलन की संभावनाओं पर विचार करना।

हैदराबाद के निजाम की आस्तियों की जांच

1178. श्री सु० कु० तापड़िया : श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री कं हाल्दर : श्री बीरेश्वर कलिता :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में निजाम हैदराबाद की धन सम्पत्ति का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि आभूषणों तथा हीरे जवाहारात के काल्पनिक भंडार में से कुछ आभूषण आदि देश से बाहर चोरी छिपे ले जाये जा रहे हैं और तुर्की तथा अन्य यूरोपीय देशों में उनको बेचा जा रहा है ;

(घ) क्या सरकार का विचार हैदराबाद के निजाम की विशाल वित्तीय आस्तियों की न्याययुक्त जांच कराने का है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ङ). माँगी गयी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । य इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

Opening of Ayurvedic Research Centres

1179. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open some High Level Ayurvedic Research Centres with a view to encourage the Ayurvedic systems of medicines ;

(b) Whether the State Governments have also been consulted in this regard ; and

(c) if so, the time by which a final decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) A proposal to set up an institute for advanced studies and research in Ayurvedic literature is under consideration.

(b) Yes.

(c) As soon as possible.

Compensation Paid to Farmers of Ghaziabad

1180. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether full compensation has been paid to the farmers for their lands which had been acquired by Government few years back for constructing building for the Central Government offices and the residential quarters of the employees near Ghaziabad ;

(b) the amount paid so far to the farmers or the State Government as compensation for the acquired land ;

(c) the reasons for which such a huge amount has been blocked when Government did not have sufficient funds for the said construction work ; and

(d) the time by which the construction work on the land in question is likely to be started ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). Rs. 1,21,39,079.96 p. on account of the price of land was paid by the Central Public Works Department to the Government of U. P. for disbursement to the owners. Out of this, a sum of Rs. 1,14,06,048.53 p. has already been disbursed. The balance of Rs. 7,33,031,43 p. is in deposit with the State Government, who are settling the outstanding claims as and when these are being received.

(c) The land was acquired in pursuance of a Master Plan objective of dispersing offices and residences from Delhi as a long-term programme. Acquisition was resorted to in advance so as to guard against future land price increases.

(d) This will be determined by the resources available and the feasible programme evolved for the dispersal of offices from Delhi. Owing to the limited funds in the IV Plan, and pending decisions on dispersal, no construction programme is likely to be taken up in the near future.

Exemption from Tax to 'Jan Hit Nidhi' Trust

1181. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the grounds on which the Trust named 'Jan Hit Nidhi' (Public Welfare Fund) has been exempted from the Income-tax ;

(b) whether Government are aware that this Trust publishes some papers also ; and

(c) the amounts received by the aforesaid Trust during the last three years and their sources separately, and whether all these amounts were exempted from the tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). As the address of the Trust has not been given by the Hon'ble Member, it is not possible to furnish the information asked for.

Construction of Embankment on the Ganga

1182. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the survey work being done in Roorkee in connection with the construction of an embankment on the bank of the Ganga in Moradabad District of Uttar Pradesh has been completed ;

(b) whether it is a fact that flood in the Ganga caused much more damages in that area this year ; and

(c) if so, whether Government propose to take any protective measures in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The model studies are in progress at the Irrigation Research Institute, Roorkee.

(b) Yes, Sir.

(c) A scheme for the protection of the area would be prepared after the model studies referred to above have been completed.

कालटैक्स और एस्सो तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की छटनी

1183. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालटैक्स और एस्सो तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की बड़ी संख्या मे छटनी हुई है तथा होने वाली है ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि इन कम्पनियों द्वारा बड़ी संख्या में संगणक लगाये गये हैं या लगाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित कर्मचारियों की कठिनाइयों पर ध्यान दिया है और इन कम्पनियों को उपयुक्त निदेश देने के लिये तुरन्त कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इन कम्पनियों ने, पूर्व समय में, भिन्न भिन्न रूप में, कर्मचारियों के एक खण्ड की सेवाएं समाप्त कीं। जहां तक भविष्य का सम्बन्ध है, कम्पनियों द्वारा किसी समूह छंटनी के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) गोखले जांच आयोग, जिसने हाल ही में विदेशी तेल कम्पनियों में नौकरी-सुरक्षा के विषय की जांच की के विचार ये कि संगणक का पुरः स्थापन कारणों में से एक था ; जिससे इन कम्पनियों में स्टाफ फालतू हो गया।

(ग) गोखले कमीशन की रिपोर्ट की प्राप्ति पर 15-10-1969 को श्रम मंत्रालय ने उक्त रिपोर्ट की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक त्रिदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में यह फैसला हुआ था कि विभिन्न समस्याओं पर सौहार्द पूर्ण समझौता करने के लिए स्वामी तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि इकट्ठे होगें। बातचीत की अवधि के दौरान और आगामी त्रिदलीय बैठक के होने तक, नौकरी (सामान्य अधिवार्षकी के अतिरिक्त) के बारे यथापूर्व स्थिति बहाल रखी जायेगी।

बड़ी श्रमिक बस्तियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम

1184. श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और बम्बई जैसे महत्वपूर्ण नगरों की बड़ी श्रमिक बस्तियों/क्षेत्रों में कौन-कौन सी परिवार नियोजन योजनाएं चल रही है,

(ख) परिवार नियोजन-कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये सामान्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त श्रमिक वर्ग की क्या-क्या और प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ग) श्रमिक वर्ग ने कितनी रुचि दिखाई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय

में राज्य मन्त्री : (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Setting up of Factories for Printing of Notes

1185. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the scheme of setting up of factories in the country for printing notes during the Fourth Five Year Plan period is under consideration of the Government ;

(b) if so, the names of the places under consideration ;

(c) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government after considering the prospects of setting up the said press in the State, have forwarded a suggestion to the Central Government ; and

(d) if so, the reaction of the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) It is proposed to set up a new Bank Note Press during the Fourth Five Year Plan period.

(b) A few places in Madhya Pradesh are being considered.

(c) No suggestion has been received from the Madhya Pradesh Government.

(d) Does not arise.

Arrears of Central Taxes

1186. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of arrears of Central taxes as on the 31st March, 1969 and the detail thereof ; and

(b) the amount of arrears out of it actually realised upto the 30th September, 1969 and the action taken against the defaulters ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

साउथ ऐवेन्यू के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

1187. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की शिकायतें हुई हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति, स्थानान्तरण, मुअत्तिली, और बर्खास्तगी के नियम और विनियम क्या है तथा उनकी आचार संहिता क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ शिकायतें मामूली कार्यों के पूरे होने में देरी तथा प्लेटों के दैनिक अनुरक्षण के बारे में थीं। स्टाफ के दोषी सदस्यों को चेतावनी दे दी गई है और उन्हें अपनी ड्यूटी देने में अधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। चोरी के बारे में दो गुमनाम शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी क्योंकि शिकायत करने वाले का पता गलत पाया गया, और अभियोग को सिद्ध करने के लिए कोई आगे नहीं आया।

(ग) स्टाफ की नियुक्तियां और तब्दीलियां, समय-समय पर सूक्ष्म अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियंत्रित होती हैं। निलम्बता और बरखास्तगी सी० सी० एस० (क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्ज, 1965 द्वारा अथवा उनकी सादृश्यता पर, नियंत्रित होती है। सरकारी कर्मचारियों का आचरण, सेन्ट्रल सिविल सर्विस (काण्डक्ट) रूल्ज, 1964 द्वारा नियन्त्रित होता है।

बिहार के दरभंगा जिले में मधुबनी सरकारी अस्पताल में एक्सरे की सुविधा

1188. **श्री शिव चन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में दरभंगा जिला में मधुबनी के सरकारी अस्पताल में कुछ वर्षों से एक्सरे का एक उपकरण है, परन्तु मेकैनिकों और डाक्टरों की नियुक्ति न की जाने के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा ;

(ख) यदि हां, तो मधुबनी अस्पताल में एक्सरे उपकरण कब से है और इसका उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) बिहार राज्य में सामान्यतः अन्य अस्पतालों की तुलना में मधुबनी अस्पताल में एक्सरे की क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

प्रमुख व्यापारियों द्वारा तस्करी

1189. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ करके बहुत से प्रमुख व्यापारी बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा जांच की गई हैं ;

(ग) इन जांचों के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही इस सांठगांठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें प्रमुख व्यापारी उत्पादन शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके बड़े पैमाने पर तस्कर आयात निर्यात का कार्य करते हुए पाए गए हों।

(ख) से (घ). ये सवाल ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में घग्घर नदी पर बहुप्रयोजनीय परियोजना

1190. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में घग्घर नदी द्वारा प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों की फसल नष्ट कर दी जाती है और उन जिलों की अर्थव्यवस्था को, जहां से यह नदी गुजरती है, बड़ा धक्का लग रहा है ;

(ख) क्या घग्घर नदी के बाढ़ग्रस्त जल का उपयोग करने के लिए किसी विस्तृत बहुप्रयोजनीय परियोजना पर विचार किया जा रहा है, ताकि घग्घर नदी के इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि प्राक्कलन समिति ने यह सिफारिश की थी कि घग्घर नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबन्ध में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ। घग्घर नदी से काफी क्षति पहुँचती है।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश में इस नदी पर जलाशय बनाने के लिए कोई स्थल नहीं है। इस नदी में अच्छी मात्रा में प्राकृतिक प्रवाह है और निचली शारदा नहर प्रणाली में सिंचाई के स्थिरीकरण के लिए एक बराज परियोजना हाथ में ली गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड सहकारी आवास समिति को भूमि का आवंटन

1191. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 25 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4804 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड की सहकारी आवास समिति की मांग को पूरा नहीं किया गया, और इसके परिणामस्वरूप हजारों रेलवे कर्मचारियों को भूमि नहीं मिली ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सपूर्ण मांग को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों की भारी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उनकी सहकारी समिति की मांग पर पुन: विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) शाहदरा क्षेत्र में 8 एकड़ अतिरिक्त भूमि (पहले आवंटित की गई 91 एकड़ भूमि के अतिरिक्त) सोसाइटी को आवंटित कर दी गई है ; इससे सोसाइटी की सभी आवश्यकतायें पूरी हो जाती है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू के केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन

1192. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में साउथ और नार्थ एवेन्यू में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के कर्मचारी निकटस्थ स्थानों में सरकारी क्वाटर आवंटित न होने के कारण अनेक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ डाक्टरों ने साउथ और नार्थ एवेन्यू में सरकारी मकानों के आवंटन के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली की निर्धारित सीमाओं में स्थित सी० जी० एच० एस० डिस्पेन्सरीज में काम कर रहे कर्मचारी सामान्य पूल वास के आवंटन के पात्र है और एलाटमेंट रूल्ज के उपबन्धों के अनुसार अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ, प्रतीक्षा सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनको आवंटन करने के लिए विचार किया जाता है । सामान्य पूल से वास के आवंटन में उन्हें कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती और उन्हें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होती है । डाक्टरों सहित आवश्यक स्टाफ को आवंटन करने के लिए, वास का सी० जी० एच० एस० का एक अपना पृथक पूल भी है, जो इन डिस्पैन्सरियों के समीप है, जिन में वे काम करते हैं ।

(ख) और (ग). नार्थ तथा साउथ ऐवेन्यूज डिस्पैन्सरीज से सलंग्न डाक्टरों की, एम० पी० पूल में से वास के आवंटन की कोई मांग, सम्पदा निदेशालय के पास शेष नहीं है । एम० पी० पूल एककों का आवंटन लोक सभा, राज्य सभा हाऊस कमेटी के अनुमोदन से किया जाता है । हाल ही में, नार्थ ऐवेन्यू की सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी के इन्चार्ज वैद्य को साऊथ ऐवेन्यू में एक ऐसा फ्लैट आवंटित किया गया है, जो कि संसद सदस्यों की आवश्यकताओं से अतिरिक्त है ।

Allocation of Funds to Assam

1193. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Finance** be pleased to be state :

(a) whether it is a fact that Rs. 50.26 crores have been allocated to Assam for the next five years in accordance with the recommendations of the Fifth Finance Commission ;

(b) whether it is also a fact that Rs. 2 crores have been allocated less than in the previous year :

(c) whether it is also a fact that in accordance with the recommendations of the Finance Commission more funds have been allocated to those States which have comparatively more population and on previous occassions backwardness was the criteria for providing funds ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). No, Sir. Under the Fifth Finance Commission's award the Government of Assam are expected to receive Rs 50.25 crores more than under the Fourth Finance Commission's award. The increase this year is estimated at Rs. 4.93 crores.

(c) and (d). The Fourth Finance Commission had given weightage (10 per cent) to economic backwardness in the distribution of Union Excise Duties only. This has not been altered by the Fifth Finance Commission except that the criteria for determining economic backwardness have been slightly modified. However, in the scheme of distribution of income tax, the Commission have given greater weightage to population.

बिड़ला, टाटा और डालमियां की फर्मों में जीवन बीमा निगम की पूंजी का विनियोजन

1194. **श्री नम्बियार :**　　**श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री उमा नाथ :　　**श्री के० रमानी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम की बिड़ला, टाटा और डालमिया की फर्मों में क्रमशः कितनी पूंजी नियोजित है तथा कितनी पूंजी के अंश हैं ?

पूर्ति मंत्रालय तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री र० क० खाडिलकर) : तीनों समूहों में जीवन बीमा निगम के 31-3-69 तक के (ऋण सहित) कुल निवेश निम्नलिखित है :

क्र० सं०	व्यापार समूह	समूह में कम्पनियों की कुल संख्या	जिन कम्पनियों में जीवन बीमा निगम ने पूंजी लगाई है उनकी संख्या	कुल निवेश (ऋण सहित) लाख रुपयों में	गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई पूंजी के प्रति प्रतिशत अनुपात
1.	टाटा	54	23	28,20.26	12.59
2.	बिरला	154	42	21,73.03	9.70
3.	साहू जैन	27	9	2, 16.77	0.97
			योग	52,10.00	23.26

Repair of Roads in Patna Town

1195. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of the most of the small and big road in Patna Town is very pitiable ;

(b) if so, the number of years for which they have not been repaired :

(c) the amount of expenditure incurred on the repair of roads since 1957 annually ;

(d) whether it is also a fact that the Central Government have sanctioned some amount for the repair and the improvement of these roads ; and

(e) if so, the amount and the date by which Government propose to take up the work of repair and improvement of the roads ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The roads were generally repaired during the period 1956-60. In subsequent years, repairs of some roads and lanes were carried out according to the availability of funds.

(c) The expenditure incurred on the repairs of roads since 1957 is as under :—

STATEMENT

Year	Amount
1957-58	3,98,295.31
1958-59	72,930.76
1959-60	1,46,117.52
1960-61	2,95,296.27
1961-62	1,28,387.03
1962-63	1,11,754.01
1963-64	1,37,263.98
1964-65	94,674.50
1965-66	1,34,889.05
1966-67	50,121.41
1967-68	1,40,045.70

(d) and (e). No amount has been sanctioned by the Central Government for the purpose as the Central Government do not give aid for roads under the local bodies. The State Government has already allotted Rs. 10.88 lakhs for the urgent repairs of some of the roads and the works are in progress. The State Government also propose to allot a further sum of Rs. 15 lakhs for special repairs of some of the roads.

Patna Municipal Corporation

1196. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar Government have superseded the Patna Municipal Corporation, if so, the year in which its last election was held ;

(b) whether it is a fact that Government had given an assurance to hold elections of the Municipal Corporation after the last mid-term elections : and

(c) if so, the reasons for not holding the elections so far ; and the time by which Government propose to conduct the same ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha.

Floods in Bihar

1197. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a group of experts was sent to Bihar by the Central Government to go into the causes of the terrible floods which occurred this in Bihar ;

(b) if so, whether the said group has submitted its report to Government ;

(c) if so, the details thereof : and

(d) the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

जंगली फल के बीजों से सस्ती गर्भनिरोधक गोली बनाना

1198. **श्री अविचन :**

डा० प० मण्डल :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तथा गोआ में पाये जाने वाले एक वन्य फल से बनाई गई औषधि पर किए गए अनुसंधान से यह पता चला है कि उससे सस्ती गर्भ निरोधक गोली बन सकती है ;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक स्तर पर गोलियाँ बनाने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ग) केरल में तथा देश के अन्य क्षेत्रों में इस वन्य फल की उपलब्धता के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है और इस उपलब्ध कच्चे माल की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीपति चंद्रशेखर) : (क) इस मन्त्रालय के पास ऐसी सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात सोने की कीमतों में अत्याधिक तेजी

1199. श्री अविचन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सोने की खरीददारी में अत्याधिक वृद्धि देखी गई है, जिसके फलस्वरूप सोने की कीमतें अकस्मात बढ़ी है और देश में इससे चोरी छिपे सोना लाने में वृद्धि हुई है ; और

(ख) सामान्यतः लोगों द्वारा खरीदे गए सोने की मात्रा के बारे में मोटा अनुमान क्या है तथा यह मात्रा बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले की सामान्य स्थिति में होने वाली सोने की खरीददारी के माध्यम से कितना अधिक अथवा कम है और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सोने की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). सर्राफा बाजार में सोने के मूल्यों में होने वाली घट-बढ़ को देखने से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 14 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद सोने की खरीदारी में कोई वृद्धि हुई है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से ठीक पहले प्रति दस ग्राम स्टैण्डर्ड सोने की कीमत जो 177.50 रुपया थी वह 19 जुलाई और 3 अक्तूबर, 1969 के बीच 174.50 रु० से लेकर 184.00 रु० तक रही। 18 अक्तूबर, 1969 को प्रति दस ग्राम स्टैंण्डर्ड सोने का मूल्य 186.50 रुपया हो गया लेकिन 7 नवम्बर, 1969 को समाप्त हुए सप्ताह में यह मूल्य प्रति दस ग्राम 181 रुपये और 183.50 रुपये के बीच रहा। यह अनुमान लगाना कठिन है कि लोगों ने सामान्यतः कितना सोना खरीदा और देश में चोरी छिपे कितना सोना लाया गया।

आशुलिपिकों के वेतनमान

1200. श्री अविचन : श्री शिवचरण लाल :

श्री निहाल सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी आशुलिपकों के वेतनमान का हाल ही में संशोधन किया गया है तथा इनको बढ़ाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा तीसरी वेतन आयोग की स्थापना की बार-बार की गई मांग को पुनः पुनः राष्ट्रीय बचत के आधार पर अस्वीकार किया जा रहा है :

(घ) क्या भारत सरकार के अवर सचिवों से ऊपर के अधिकारियों के वेतन मान पहले भी एक बार बढ़ाये गये थे, यद्यपि वेतन वृद्धि पर रोक लगी हुई थी ;

(ङ) सामान्य रूप से सरकारी कर्मचारियों में भेदभाव किये जाने और कुछ ही लोगों के वेतन में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं, जबकि सामान्यतः सरकारी कर्मचारियों के वेतन मान बढ़ती हुई मंहगाई के कारण अब बहुत कम रह गये हैं ; और

(च) क्या सरकार अब तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति करने के बारे में पुनर्विचार करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित ब्यौरे गृह मन्त्रालय के दिनांक 24 जुलाई, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14-1-68 सी० एस० ।। में दिये गए हैं (प्रतिलिपि संलग्न है)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2082/69]

(ग) से (च) संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के वेतनों का संशोधन 1-9-1965 से किया गया था जबकि वेतन संशोधनों पर अगस्त 1965 में लगाई गई रोक जून, 1970 तक लागू है। फिर भी, सरकार ने संसद में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तों की समीक्षा करने के लिए नया वेतन आयोग नियुक्त करने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी है।

——

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : आज सुबह मैंने ध्यान दिलाने वाली दो सूचनाएं दी थी जोकि राष्ट्रीय महत्व की हैं। एक तो जमशेदपुर में 50,000 मजदूरों की चल रही हड़ताल के बारे में थी और दूसरी बोकारो में मारे गये तीन मजदूरों के बारे में थी। आपने इन दोनों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया है। परन्तु आपने वियतनाम की घटनाओं सम्बन्धी सूचना को स्वीकार कर लिया है हालांकि उससे हमारा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। इस सूचना को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। इस में अविलम्बनीय महत्व की कोई बात नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि जमशेदपुर में चल रही हड़ताल तथा बोकारो में मजदूरों की हत्या सम्बन्धी ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैंने पश्चिम बंगाल में विद्यमान अराजकता के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। इसको स्वीकार नहीं किया गया है। परन्तु ऐसी सूचना को स्वीकार किया गया है जिसका सम्बन्ध भारत से बाहर घटने वाली घटनाओं से है। मेरा सुझाव है कि मेरी सूचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री उमानाथ (पुदुक्कोटै) : यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है और इसपर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : वियतनाम में जो कुछ हुआ उसके लिए अमरीकी सरकार द्वारा जांच कराई जा रही है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि आपने शिष्टता, अथवा राष्ट्रीय हित के किन नियमों के अन्तर्गत इस सूचना को स्वीकार किया है तथा अन्य सूचनाओं को अस्वीकार किया है ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir you nave full right to admit such calling attention notices in which question of humanity is involved. But I would request you to admit the other one also which is concerned with the happenings of our own country.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : ग्राप इस बारे में कोई नियम बनाइये ! क्या इस प्रकार की चर्चा करते रहने की ग्रनुमति है । हमें ग्रौर भी कार्य करने हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Under rule 31 nothing can be discussed which is not on the agenda circulated to the Members. So, Sir, you can take up this matter tomorrow. I also do not like the killing of civilains in South Veitnam. But today this matter should not be discussed here as it has not been put on the agenda. I want to know the urgency of taking this matter today.

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : हमें इस ध्यान दिलाने वाली सूचना की प्रतियां नहीं दी गई हैं । इस प्रकार हम कैसे जान सकते हैं कि किस विषय पर चर्चा होने जा रही है । ग्रतः मेरा निवेदन है कि इसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

श्री कंवरलाल गुप्त : इसको लेने की जल्दी क्या है । यदि इसपर कल चर्चा की जाये तो हमें कोई ग्रापत्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : किसी भी सूचना को उसी दिन स्वीकार करने को ग्रध्यक्ष को ग्रधिकार है ।

श्री चेंगलराया नायडू : सूचना की प्रतियां सप्लाई किये बिना ग्राप इस मामले को किस प्रकार यहां उठा सकते हैं । मैं इसका विरोध करता हूँ ।

ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ग्रोर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दक्षिण वियतनाम में ग्रमरीकी सैनिकों द्वारा ग्रसैनिक ग्रामवासियों का कथित नरसंहार

श्री देवेन सेन (ग्रासनसोल) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान ग्रविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ग्रोर दिलाता हूँ तथा उनसे ग्रनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दक्षिण वियतनाम में ग्रमरीकी सैनिकों द्वारा ग्रसैनिक ग्रामवासियों, जिनमें ग्रौरतें ग्रौर बच्चे भी शामिल हैं, का कथित नरसंहार ।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : इस बारे में ग्रखबार की खबरों की ग्रोर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित किया गया है । ग्रभी तक सारा विवरण प्राप्त करना संभव नहीं हो सका है । समाचार पत्रों से ऐसा पता चलता है कि संयुक्त राज्य प्राधिकारीगण सम्भवतः जाँच-पड़ताल कर रहे हैं ।

इन खबरों से सरकार को बहुत धक्का लगा है। वियतनाम में व्यर्थ में जो जन-हानि हुई है उस पर हमें बहुत खेद है। हम अब भी सभी पक्षों से यही अनुरोध करते हैं कि कोई ऐसा समाधान खोज निकालें जिससे कि वियतनाम के लो ों को अपने भविष्य का निश्चय, स्वयं बाहरी हस्तक्षेप के बिना, करने का मौका मिले।

Shri Daven Sen : I want to know whether the Government of India have taken up this matter with the Government of U.S.A. and if so, their reaction thereto ?

I also want to know whether the Government of India have lodged any protest with the Government of U.S.A. ?

Thirdly, I would like to know whether the Govenrment of India would issue any statement in protest thereto ?

श्री दिनेश सिंह : यह ऐसा मामला नहीं है जिसको दक्षिण वियतनाम तथा अमरीकी सरकार के साथ उठाया जाये। अमरीकी सरकार स्वयं इन घटनाओं की जांच कर रही है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : ऐसा लगता है कि सभा के दूसरी ओर के सदस्य दक्षिण वियतनाम में घटी इन अमानवीय घटनाओं के महत्व को कम कर रही हैं हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन के नाते उस क्षेत्र में हमारी कुछ जिम्मेदारी है। क्या सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी भूल गई है ? क्या सरकार स्थिति को ध्यान में रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रही ? अब जबकि बात बिलकुल स्पष्ट हो चुकी है क्या सरकार इसका विरोध नहीं कर रही ? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी जागरूकता के अनुसार कोई नीति नहीं अपनायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन होने के नाते ही हमने सभा को सदा तथ्यों से अवगत कराया है। जबतक तथ्य स्थापित न हो जाये हमने ऐसे मामलों पर कभी अपने विचार व्यक्त नहीं किये।

ऐसी स्थिति में जब कि हम पूरे तथ्यों को नहीं जानते हमारे लिए इससे अधिक कुछ कहना जोकि हम अपने वक्तव्य में कह चुके हैं वाछंनीय नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : मैंने इस मामले को नियम 377 के अन्तर्गत भी उठाना चाहा था और मैंने इसके लिए स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी थी। मैं अब भी यह महसूस करता हूँ कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा की जानी चाहिए थी।

इस मामले को ब्रिटेन के हाऊस आफ कामन्स में भी उठाया गया है और वहां की सरकार से अमरीकी सरकार को विरोध पत्र भेजने का अनुरोध किया गया है। क्या माननीय मंत्री पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करेगी तथा इस मामले को माननीय अधिकार आयोग के पास भेजेगी। क्या इस मामले में अन्य सभी सम्भव कदम भी उठाये जायेंगें ?

श्री दिनेश सिंह : हम जानकारी प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। अमरीका तथा दक्षिण वियतनाम में हमारे मिशन यथासम्भव जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडे) : क्या सरकार को सम्बन्धित देशों में स्थित अपने

अभिकरणों से कोई जानकारी प्राप्त हुई है ? क्या सरकार इस मामले को मानवीय अधिकार आयोग में उठायेगी अथवा यदि यह मामला किसी अन्य देश द्वारा वहां उठाया जाता है तो हमारी सरकार उस देश का समर्थन करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : अग्रेत्तर कार्यवाही का निर्णय पूरी जानकारी प्राप्त हो जाने पर ही किया जायेगा ।

सभा-पटल रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, चण्डीगढ़, अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, चण्डीगढ के वर्ष 1967-68 के प्रमाणिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [**ग्रन्थालय में रखे गये ।** देखिए संख्या एल० टी० 2058/69]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1969, की एक प्रति, जो दिनांक 30 अगस्त, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2068 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2069 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखी गई ।** देखिए संख्या एल० टी० 2059/69]

कोयला बोर्ड के लेखे के बारे में पत्र

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कोयला खान (परिरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के वर्ष 1967-68 के लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) कोयला बोर्ड, कलकत्ता, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखी गई ।** देखिये संख्या एल० टी० 2060/69]

आयकर अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आय-कर अधिनियम, 1961, की धारा 296 के अन्तर्गत आय-कर (पाचवां संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति, जो दिनांक 29 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4427 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए** संख्या एल० टी० 2061/69]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944, की धारा 38 के अन्तर्गत, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तेरहवां संशोधन) नियम, 1969, की एक प्रति, जो दिनांक 1 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2511 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 2062/69]

(3) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 2033, 2034 और 2035, जो दिनांक 23 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 2209, 2210 और 2211 जो दिनाँक 13 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं। (हिन्दी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2290, जो दिनांक 27 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी० 2063/69]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 2055, जो दिनांक 25 अगस्त, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 2362, जो दिनांक 30 सितम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 2468, जो दिनांक 25 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 2469, जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 2470, जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) जी० एस० आर० 2555, जो दिनांक 31 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) यात्री (गैर-पर्यटक) असबाब (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 8 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2582 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) एस० ओ० 4515 (अंग्रेजी संसकरण) तथा एस० ओ० 4517 (हिन्दी संस्करण), जो दिनांक 8 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2064/69]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत जी० एस० आर० 2384 (हिन्दी संस्करण) और जी० एस० आर० 2385 (अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं और जिनमें दिनांक 28 जून, 1969 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1544 (हिन्दी संस्करण) और 1543 (अंग्रेजी संस्करण) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 2065/69]

विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : EIGHTH REPORT OF COMMITTEE ON PRIVILEGES

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I move that the 8th Report of the Committee of Privileges be taken into consideration. I will not take more than 10 minutes. As a matter of fact alongwith the notice of this motion. I had given notice of another motion also, *viz.*, "that this report may be sent back to the Privileges Committee for reconsideration. I do not know why this motion of mine has not been included in the list of business. If you desire that I should move it as an amendment, then at least the amendment should have been circulated. I therefore, request you either to read out my amendment or to circulate it.

Mr. Speaker, Sir, this report relates to my arrest by the Bihar Government in November last. I had filed a writ petition against my arrest in the Supreme Court and the Supreme Court had ordered my release. Later, I raised this issue on the floor of the House and then Speaker observed that it was a very serious matter. Indian politics is fast changing. Today non-congress members are being arrested, tomorrow Congress members may be arrested. Therefore, this question should not be considered from party angles. -

This matter was referred to the Privileges Committee. I sent my long statement

alongwith all the document to the Privileges Committee. In my statement I had urged that if the privileges Committee desired, I was prepared to appear before the Committee to explain my case.

Further, I had said that I would welcome the opportunity of appearing and explaining my case before the Committee. But I am sorry that the Committee did not call me before taking its decision. Had the Committee ca'led me, I would have classified the purport and meaning of a number of documents. I feel the Committee did not consider 3 or 4 important things.

One of the Questions raised by me was whether the information furnished by the Collector of Monghyr to the Speaker was in accordance with the rules ? The information should have been furnished in the appropriate form set out in the third schedule. Under Rule 229 the information should have been furnished by the committing judge. In my case, the committing authority was the sub-divisional magistrate, but the information was sent by the Collector who was not the committing authority. Even that information was incorrect. If you see the intermediate custody and the warrant as also the order of the magistrate, you will find that the Collector gave wrong information to this House.

Sir, it is correct that no Member of Parliament should say that since he is a Member of Parliament, he is not amenable to law and he can commit crimes with impunity. I admit having said in my statement that I did not claim special privileges for me. I also admit that every body including Members of Parliament, will have to abide by the law. But my submission is that my arrest was illegal as has been held by the Supreme Court which is the highest court of the land.

Thirdly, my arrest was not only illegal but also *malafide*. I gave evidence to substantiate this fact. I want to draw your attention to a document presented by me contained in the Privileges Committee report. This document is mentioned at page 96 of the report of the Privileges Committee. While I was in Bhagalpur jail, the sub-divisional magistrate of Monghyr wrote a letter to his counterpart at Bhagalpur that Madhu Limaye would appear in his court and that the Sub-divisonal Magistrate of Bhagalpur should continue to remand him periodically. Who does not know that the process of remand is a judicial process, and that no magistrate can direct another magistrate to continue to remand a certain person to custody ? It was just possible that the Bhagalpur magistrate, after hearing me, if he had the right to hear me, had come to the conclusion that the remand was not necessary and it was illegal and he could release me. By their mistake or by my caution the letter written by the sub-divisional magistrate of Monghyr to the sub-divisiona magistrate Bhagalpur, got into my hands and I immediately sent that letter ot to you and the Privileges Committee. This letter makes it absolutely clear the sub-divisional magistrate of Monghyr wrote at the instance of Collector for keeping me in custody continuously. He intended to keep me in jail for one or two years just as other people are kept and thus prevent me from taking part in the proceedings of the House. Hils intention is quite clear.

Now I come to the real question. Article 50 of the Constitution under Part IV 'Directive Principles of State Policy, says that Judiciary and the Executive shall be separate. This has not been done even after 22 years since we attained independence and 19 years since we enforced the constitution. The result is that the magistrates, while pronouncing judgements are guided not by the principles of justice by the wishes of the Collector.

Coming to the recommendations of the Privileges Committee, the Committee has observed that sections 107, 151 and 117 of the Criminal Procedure Code should not be applied against the Members of Parliament and other civilised people. But you will be shocked to know that within 15 days of the presentation of the report of Committee the sub-divisional magistrate issued a notice against me at the instance of the Collector. I was served a notice at night requiring me to be appear the following morning.

I wrote on that if an aeroplane was sent only then would it be possible for me to appear there, otherwise it was not possible to do so and therefore I did not accept the notice. Later, I drew the attention of the Prime Minister to that notice. I wrote to her that the sub-divisional magistrate was not prepared to serve a notice on me. He had said that there was no apprehension of breach of peace and that in view of that why he (Collector) insisted on serving the notice. But the Collector said—the name of the Collector is Arun Kumar and he is so bad a man... how can he remain in service—

Mr. Chairman : No allegations.

Shri Madhu Limaye : No allegation. The reason for this is that he had said in a public meeting that he belonged to Bihar and Madhu Limaye belonged to Maharashtra and therefore I could not know of the interests of Bihar. Your talk of national integrity. It is true that have been elected by the people of Monghyr and the people of Bihar. But I serve the people of Bihar as much as I serve any other part of the country. I consider myself as the representative of the entire country. But this Collector is inciting the parochial feelings. To this also I drew the attention of the Prime Minister. Thousands of people got up and rushed to attack him *(interruptions)*. But I dissuaded them and forbade them to resort to any such thing so long as I was there.

My submission is that after that a fresh notice was served on me. Just now the prediction of the hon. Speaker came out true in respect of Shrimati Tarkeshwari Sinha that today non-congress members are being subjected to this, tomorrow Congress Members may be subjected to this. Shrimati Tarkeshwari Sinha was also kept in custody under sections 107 and 151. I bow before the decision of the Committee, but I want the Committee to hear before giving its decision and to that decision. I will have no objection. But it is a higly complicated issue. Hence my presence is essential for classifying the case.

I want to explain the purport of every document and also to show how this was done with mala-fide intention. I want this report to be sent back to the Committee and the Committee asked to hear me before giving its decision then I will not oppose that decision.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : इस मामले को पुनर्विचार हेतु विशेषाधिकार समिति के पास भेजने में कोई हानि नहीं है। यह किसी एक संसद सदस्य की नहीं बल्कि सारे संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम सबको सहमत हो जाना चाहिये।

Shri Prakash Vir Shartsi (Hapur) : Sir, not only in this case, in future also the Privilage Committee should not give its verdict without hearing the Member cencerned.

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : विशेषाधिार समिति ने तीन मामलों पर अपना निर्णय दिया है। पहला यह कि 6 नवम्बर 1968 को श्री मधु लिमये की दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 117 (3) अथवा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तारी से विशेषाधिकार भंग नहीं होता।

दूसरे मामले में कि क्या श्री मधु लिमये की गिरफ्तारी की सूचना लोक सभा के अध्यक्ष को सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी ? इस बारे में विशेषाधिकार समिति ने कहा है कि हां, उनकी गिरफ्तारी की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी।

तीसरे मामले में कि क्या गृह-कार्य मंत्री द्वारा सभा को इनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने में सभा की अवहेलना की गई थी ? इस बारे में समिति ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई।

इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा इस मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि तीनों मामलों पर समिति के निर्णय को देखते हुए ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि सभा और आप इसको पुनर्विचार हेतु समिति को सौंपना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं विशेषाधिकार समिति का सदस्य था। हमने यथासम्भव इस मामले का गहन अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। मैं चाहता हूँ कि सभा इस प्रतिवेदन का अध्ययन को तथा इस बात का निर्णय करे कि हमने मामले का पूरी सावधानी से जांच की है अथवा नहीं।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि समिति ने उनके व्यक्तिगत रूप से बात नहीं सुनी मेरा निवेदन है कि समिति के पास श्री मधु लिमये द्वारा तथा अन्य साधनों से प्राप्त इतनी सामग्री थी कि हमने श्री मधु लिमये को सुनना उचित नहीं समझा। हमारे विचार में ऐसा किया जाना आवश्यक भी नहीं था क्योंकि समिति के पास इस मामले से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री थी।

यदि समिति को पुनः यह मामला भेजा जाता है तो हम निश्चय ही अपना काम पूरी सावधानी से करेंगे परन्तु मैं यह कहना चाहूँगा कि हमने पहले इस मामले में अन्तर्ग्रस्त सिद्धांतों पर पूरी सावधानी से विचार किया है।

जहाँ तक रिमांड लेने की प्रक्रिया का संबंध है हम न्यायालय की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं हैं इसी लिये हमने इस मामले को उन्हीं पर छोड़ दिया है। यदि उस प्रक्रिया में कोई त्रुटि रह गई है तो उसका निर्णय भी न्यायिक ढंग से ही किया जा सकता है। अतः हम ऐसे मामलों पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं कर सकते। इस बारे में हमने सरकार से उचित स्तर पर कुछ करने का अनुरोध किया है।

मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने इस मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार किया है और हमने कुछ निर्णय किये हैं। अतः मेरे विचार में इस मामले को पुनः समिति के पास नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : जैसा श्री मुकर्जी ने कहा इस मामले पर विशेषधिकार समिति ने पूरी सावधानी से विचार किया है। परन्तु स्वयं श्री मधु लिमये के कहने तथा सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संसद सदस्य से गिरफ्तार के पश्चात उचित व्यवहार नहीं किया गया है। वह चाहते हैं कि उनको समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाय। मेरे विचार में उनको ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : जब तक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता तब तक स्वाभाविक न्याय का सिद्धांत पूरा नहीं होता। अतः मेरा सुझाव है कि इस मामले को पुनः विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाये।

श्री रंगा (श्रीकाकूलम) : मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं इस पर सन्देह नहीं करता कि समिति ने संगत पत्रों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है परन्तु श्री मधु लिमये को, जो इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं, सुना नहीं गया। मैं समझता हूँ कि यह मामला पुनः समिति को सौंपा जाना चाहिए, ताकि श्री मधु लिमये अपने विचार व्यक्त कर सकें।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : प्राकृतिक न्याय का यह पहला सिद्धांत है कि शिकायत करने वाले व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये। परन्तु इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य के लिए ऐसा सिद्धांत बना लिया जाँय कि शिकायत करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

सभापति महोदय : यह महसूस किया जाता है कि इस मामले को इन विशिष्ट अनुदेशों के साथ कि श्री मधु लिमये को सुना जाये। विशेषाधिकार समिति के पास पुनः भेज दिया जाये। प्रश्न यह है :

> "कि विशेषाधिकार समिति का आठवाँ प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति को पुनः सौंपा जाये ताकि वह मधु लिमये की सुनवाई करके इस मामले पर पुर्नविचार करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैंने नियम रूप के अन्तर्गत वैदेशिक कार्य मंत्री श्री दिनेश सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं नहीं समझ सका कि इस मामले पर निर्णय करने में क्यों हिचकचाहट है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। सरकार की ओर से स्वयं रबात के बारे में सच बात बतायी जानी चाहिए कि क्या श्री नेहरू ऐसे सम्मेलन में भाग लेने के पक्ष में थे अथवा नहीं।

सभापति महोदय : आप इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से बात कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या सरकार को टाटानगर तथा जमशेदपुर में चल रही मजदूरों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य देने का निदेश देंगे।

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) (संशोधन) विधेयक

ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) (AMENDMENT) BILL.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० च० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।

Shri Shiv Chandra Jha (Modhubani) : I oppose this Bill because it will not help in distributing the net proceeds of the excise duties among various States on equal terms.

On the other hand the spirit of indiscrimination will garther strength. The fifth Finance Commission has suggested that unless the present system is revised the net proceeds of the excise duties should be distributed and get the states in the way suggested by it.

It has also been suggested by the fifth Finance Commission that a Finance Commission shonld be set up on permanent basis. I think this recommendation should be accepted and the prɔceeds of excise duties should be distributed amongst the states according to the recommendation of the said Commission.

श्री प्र० चं० सेठी : माननीय सदस्य का प्रश्न युक्तिसंगत नहीं है। जहां तक पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है, उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद् प्रस्तुत करेगी। उस समय तक के लिये वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी तथा इस विधेयक को इसी व्यवस्था तक सीमित रखा गया है। इस विधेयक के अन्तर्गत स्थाई वित्त आयोग बनाने की व्यवस्था नहीं हो सकती।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—जारी

Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill—*Contd*.

सभापति महोदय : अब सभा में मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार किया जायेगा। मैं पहले सभा के समक्ष प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Mr. Chairman, Sir, I am not against the spent of this Bill but I want to submit that these facilities should also be extended to the offiicers and the employees of the Government. These people also face the same kind of difficulties and unconvenience from which the Ministers are proposed to be relieved. If any advantageous stratum is created in the society it would add to the present social inequality.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

Shri Jharkhande Rai : Sir the same kind of facilities further might be provided to the Members of the Legislative Assemblies and the Councils in future. High-ranking officers of the Government may also be facilitated if the motive behind this Bill finds its full extension. But may I know the reasons for not bringing in any legislation under which such facilities may be provided from below and to the people of the country who have been living in the lamantable condition ? Those, who been living in total privation, are not being given any kind of relief and facilities. Why such steps are not taken first for the betterment of those people ?

It is a well known fact that about 50 lakhs of persons of the country have not been provided with the residential accommodation. Thousands of persons might be seen staying at the footpaths and at such public places. They have not got even an inch of the land of their own. Therefore if the Government are interested in providing any facilities of residential accommodation to anyone it should be started from such people and not from the Minister and others.

In view of the understanding given by the Government that the members of 'the Syndicate' have been removed from the Government because of being a hurdle in implementing the policies based on socialism, every step of the Government, then, should be examined in the light of the socialism. But when we apply the criterion of socialism to the provisions of this Bill, we find that the framers of this Bill have failed in bringing in the real spirit of socialism in this Bill. It is entirely based on the Capilistic pattern under which rich becomes richer and the poor becomes more and more poor. It would be much better if this Bill is withdrawn. There are still no many areas in the country where no facilities of drinking-water and electricity have been provided while the developed areas are being more and more facilities. Therefore, I request that the Government should bring about certain basic changes in their policies and way of thinking.

It is also to be seen that when our country is so poor why should an extra burdon of increased expenditure be undertaken by the Government ? During the last three Five Year Plans, the capitalists have concentrated the most of the monetary benefits and the ordinary people of the country could not get their due portion. In this situation every efforts should be made to avoid the wasteful expenditure and the resources of the country should be utilized in such a manner that the largest people are benefited.

From the practical point of view several Ministers have got their ancestral property of lakhs of rupees. We should not take them as paupers. Therefore, they will not have to face any difficulty when they would not be Ministers any more. So far as the funeral sites are concerned that may be completed at their own residential places. Therefore, this facility should not be extended any more.

In the end, I would like to state that the period of 15 days regarding the facilities being given fo the outgoing Minister from the cabinet is quite sufficient and this period should not be extended any more. But when a Minister expires while in service the period of the facilities may be extended to one-month only on the basis of humanitarian grounds. So far as the point of the practicability of this Bill is concerned I am unable to support this Bill.

श्री एन० शिवप्पा : (हसन) : माननीय मन्त्रियों को अपनी सुविधाओं के बारे में कोई विधेयक लाने में बड़ी सतर्कता बर्तनी चाहिये किन्तु मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं रखते ।

विधेयक में उल्लखित सुविधाओं को पहली नवम्बर 1966 से लागू करने पर मेरा घोर

विरोध है। किसी मन्त्री द्वारा मंत्रिमंडल त्यागने अथवा मृत्यु होने पर सुविधाओं को एक मास से तीन मास तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें किसी मंत्री के परिवार को विपदग्रस्त होना पड़ता है तो उस समय उनको सुविधाएं दी जा सकती हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी अपना विचार व्यक्त किया तथा बताया कि मंत्रियों की अपनी निजी सम्पत्ति भी होती है। अतः ऐसे अवसरों पर उनके परिवार के लोग उनकी सहायता के लिये आ सकते हैं। किन्तु इस विधेयक को पहली नवम्बर 1966 से लागू करना नितांत दोष पूर्ण है। इसे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। यदि कोई मन्त्री या उसके परिवार के सदस्य या उनके सम्बन्धी किसी निजी कार्य के लिये टेलीफोन आदि का प्रयोग करते हैं तथा उसका बिल बहुत अधिक आता है तो इस विधेयक में की गई व्यवस्था के आधार पर उस बिल का भार जनता को उठाना पड़ेगा। आवास तथा अन्य सुविधाओं का मंत्रियों ने दुरुपयोग किया है तथा सरकार इस विधेयक का प्रभाव भूतलक्षी बनाकर उस दुरुपयोग को छुपाना चाहती है। न्यायोचित यही है कि सरकार इस प्रकार का विधेयक न लाये तथा इसके स्थान पर कोई अन्य विधेयक न्याय संगत ही सभा में लाया जाय।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि इस विधेयक अन्तर्गत प्रस्तावित व्यवस्था में भारी भेदभाव नीति अपनाई गई है। मन्त्री महोदय आवास तथा अन्य भत्तों की अनेक सुविधायें प्राप्त करना चाहते हैं। सम्भवतः वे स्वयं को अन्य समाज के व्यक्तियों से बहुत बड़ा मानते हैं तथा विशेष सुविधाएं पाने का अधिकारी मानते हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु निवेदन यह है कि उनको मिलने वाली सभी सुविधाओं तथा परिलब्धियों को उनके वेतन के एक साथ मिला दिया जाय तथा उस समस्त राशि पर उनको कर भी देने की व्यवस्था कर दी जाय। सरकार के कार्यालयों में अन्य वेतन भोगी अधिकारी हैं तथा उनको मिलने वाली सुविधाओं पर कर की भी व्यवस्था है। उनके ऊपर कुछ नियम हैं तथा उन्हीं नियमों के अनुसार उनसे कर लिया जाता है। यदि माननीय मंत्री भी अधिक सुविधायें चाहते हैं तो उन्हें कर भी उसी अनुपात में देना चाहिये। किन्तु मन्त्री गण सेवा, अवसर, तथा कार आदि देने के सम्बंध में समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करना चाहते। देश की शेष जनता तथा कुछ लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में इतना विभेद नहीं होना चाहिये। किन्तु यहां तो बहुत से मंत्री आते हैं तथा जाते हैं और आपने अपनें अपने हित के अनुकूल विभिन्न कानून सदन में लाये जाते हैं। शेष जनता के हितों की कोई परवाह नहीं करता।

महोदय : कानून बनाते समय कुछ नैतिकता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। किन्तु यहाँ पर तो उसी प्रकार अवैधानिक कानून बनाये जाते हैं जिस प्रकार कांग्रेस सत्तारूढ़ राज्यों में अवैधानिक और गैर कानूनी शराब बनाई जाती है। चूंकि कांग्रेस का यहां बहुमत है अथवा यह दल विपक्षी दलों के साथ साँठगांठ करके अपना बहुमत बना लेता है अतः इस प्रकार अनैतिक कानून संसद में पारित हो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे विधेयक सभा में नहीं आने चाहियें जिनकी पृष्ठ भूमि में नैतिकता नहीं है माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को वह वापस ले लें अथवा कम से कम उसमें उल्लिखित इस उपबन्ध को उससे निकाल दें।

पिछली दो दशाब्दियों से मंत्रियों को मिली टैलीफोन, कार तथा वायुयानों की सुविधा का दुरुपयोग किया गया है। वास्तव में इन वस्तुओं का उपयोग केवल जन सेवा तथा सरकारी कार्य के लिये ही होना चाहिये किन्तु यह देखने में आया है कि इनका अधिकतर उपयोग अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठकों का आयोजन या उसमें भाग लेने के लिए किया गया है। इस प्रकार इन वस्तुओं का सही उपयोग नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि इस बात की जांच करने के लिये कि विभिन्न सुविधाओं का मंत्रियों ने सही उपयोग किया है अथवा उनका दुरुपयोग किया है एक समिति बनाई जाय।

मैं मंत्रियों के लिए मानवीय आधार पर उपबन्धत इस सुविधा का विरोध नहीं करता।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, sir, there is nothing objectionable in this Bill. Even then the member of the opposition parties have opposed it because of their wanted policy of opposing every thing which is brought in by the government The facilities which are being sought in favour of the Ministers are quite justifiable. In care a Minister is ousted from the government he should be allowed to avoil the facility of residential accommodation for the period of two or three months. After that period he will have to vocate the government accommodation. Similarly if a Minister expires while in service his family should not be disturbed at once. On the humanitarian graunds the bereaved family should be permitted to live in the government accommodation for the period of two or three months. I request that the provisions of this bill should be extended to all the states. If it is done it would be applicable to all the states without discrimination of the party in power.

At the same time I would like to request the Minister that they should be more economical and believe in simplicity keeping the fact in their minds that we are a poor country. Ministers should not think in the terms of enjoying a better and more luxurious life than their other colleagues. The lust for outward show and ficticious standard with the glaring furniture and other articles should be given up in the interest of the poor people of our country.

In the end I want to request that the opposition parties should not try to oppose every thing how much justifiable it may be. I think this Bill should be passed unanimously With there words I support this bill.

Shri Kanwar lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir the argument placed by speaker preceding one in favour of this bill is not cogent.

The policy of adopting two different standards can not be said a justifiable one. Government want to impore a ceiling on the earnings of the employees of the private sector. I am in favour of this proposal. But at the same time the government propose to increase the facilities being given to the Ministers who are already provided limitless facilities. At present more than Rs. 15.000 per month are incurred on one Minister. The facilities and the given to the Minister are misused. I have a serious charge against the government that the Ministers avail mani-told facilities to what they are actually entitled. I urge upon the government that if they are really earnest about socialism they should impore a ceiling on the expereses and the facilities of the Ministers. Merely harping of the socialism will not help but they will have to act according to the basis principles of the socialism otherwise after some days they will have to face the humiliation from the public.

The facility of telephones is misused and I am sure that during the period of the Presidential election from 15th of July to 15th of August the Bill of trunk calls made by the Prime Minister specially would not be less then ten times higher as compared with the Bill of the corresponding period of the last three years. During this period the Prime Minister misused the facility of telephone in the interest of her party.

It has been observed that during the last 2½ years more then Rs. 1.40 crores were collected from the big business houres for the fund of the congress party. Do not think that any business house can donate a heavy amount to the party in power without having any ultirer motive Certainly he will expect a benefit of 50 lakhs of rupees if he donates Rs 1 lakh to the government. Sir, it is my demand that there should be a judicial enquiry to find out the extent to which the ministers have misused their powers in relation to the facilities provided to them under the ambit of the law. The hon. lady member Shrimati Tarkeshwari Sinha have made an allegation against the government regarding the misuse of Air Force planes. This should also be looked into judicially. I also demand that an independent enquiry should be made regarding the reservation of six banglows for accommodating the delegates of the all India Congress Committee. There banglows were reserved on the pretext of marriage ceremony while in fact, in there six banlows the delegates of A.I.C.C. were staying I can give you requisite details also in this regard. I do not think there was any marriage.

सभापति महोदय : आप विधेयक के क्षेत्र की बातों से दूर जा रहे हैं। यदि इस प्रकार की अन्य बहुत सी बातें आप उठायेंगे तो दूसरे माननीय सदस्यों को भी ऐसा करने से रोकना कठिन हो जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, they are going to seek additional facilities while the existing facilities are being misused. During the mid-term poll the planes of the Air Force were utilised for the unofficial business. In Bihar on the itemes other then security about Rs 12 lakhs were incurred. The Prime Minister has been using the Air Force plane for mid-term poll.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम के अन्तर्गत प्रधान मंत्री को वायु सेना का वायुयान उपलब्ध नहीं है। इस चर्चा के अन्तर्गत इस विषय को नहीं उठाया जा सकता। माननीय सदस्य का यह आरोप नितांत अनुत्तरादायी है अतः सरकार ऐसे तथ्यहीन आरोपों की जांच नहीं करा सकती।

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : क्या वर्तमान सुविधाओं के दुरुपयोग की चर्चा नहीं की जा सकती ?

सभापति महोदय : इसकी अनुमति तो मैंने दी है। किन्तु माननीय सदस्य चुनावों आदि की चर्चा कर रहे हैं तथा यह प्रश्न इस विषय से भिन्न है। वैसे अब माननीय सदस्य अपना भाषण शीघ्र समाप्त करें। उनका समय समाप्त हो रहा है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, during the mid-term elections held in the States of Bihar, Panjab and West Bengal a heavy amount of Rs 30 lakhs was spent on the Prime Minister, But the Congress party did not pay a single paisa in this regard. I demand that amount must be paid by the Congress party because it was public money and it must go to the public.

Mey I know whether there is any legality in providing the same emoluments and the status to the chief whip of the Congress party which is given to the Deputy Minister ? I do not think there is any legality in it. But the government have been doing so without considering its legality. Government want to increase the facilities of the minister, yet they are ignoring the interest of the common people. They are not prepared to give any guarantee to the people to the effect that their minimum requirements would be met within the period of three years or so, I request that the Governments should control over

the superfluous expenditure and should minimise the facilities given to the Ministers and others. There should be one standard common to all. With there words I am opposed to this Bill.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : सभापति महोदय ! खेद है श्री गुप्त ने इस साधारण से विधेयक पर बहुत सी असंगत बातें कहीं हैं। इस विधेयक में किसी मंत्री के पदत्याग पर उसे कि मास तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति देने की तथा किसी मंत्री के निधन पर उसके परिवार को तीन मास की अवधि तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति देने की व्यवस्था की गई है। यदि विरोधी दलों ने ऐसे साधारण विधेयकों पर भी असंगत प्रश्न और आशंकाएं उठानी आरम्भ कर दी तो इसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। हमें ऐसी स्थिति में जब किसी मन्त्री की सेवावधि में मृत्यु हो जाती है उसके परिवार के साथ सहानुभूति रखनी चाहिये। माननीय सदस्य को संगत बातें उठानी चाहियें।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : महोदय ! एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य सदन की प्रक्रिया पर बोल रहे हैं विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रा० ढो० भण्डारे : मैं कोई असंगत बात नहीं करना चाहता। मैं इस विधेयक के उपबंधों का समर्थन करता हूँ तथा इस विधेयक का समर्थन करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम इतने निर्दयी नहीं है कि ऐसे किसी मामले का विरोध करें जिसमें कि नियमों के अन्तर्गत परिवार को बाहर निकाला जाना होता है और आप उन नियमों में संशोधन करना चाहते हैं। परन्तु केन्द्रीय मन्त्रियों सम्बन्धी मूल सिद्धान्त संसार को बताए जाने चाहियें और इस सदन को तो ब्यौरेवार इन का ज्ञान होना चाहिए।

वर्तमान फिजूल खर्ची तथा अनियंत्रित व्यय वास्तव में हम सब के लिए दुखदायी है। परन्तु हम साम्यवादियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि इस सरकार के देश में 22 वर्ष के शासन काल में ये लोग जनता से अलग-अलग जीवन व्यतीत करते रहे हैं और देश के लोगों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कुछ आज हो रहा है यह उसी का परिणाम है।

भारत सरकार के राज पत्र को देखने से पता लगेगा कि एक मन्त्री को पद धारण करने पर 32000 रुपये की लागत का फर्नीचर और 6,500 रुपये का बिजली का सामान मिलता है। बताया जाता है कि एक उप-मन्त्री 16000 रुपये के फर्नीचर और 6000 रुपये के बिजली का सामान का हकदार है। एक और रोचक बात यह है कि लगभग 650 रुपये के मानक किराये की बात कही जाती है एक मन्त्री के निवास का क्षेत्र लगभग 18000 वर्ग फुट है जिसका मासिक किराया लगभग 25000 रुपये बनता है। अर्थात् हम लोगों को एक व्यक्ति के निवास स्थान के लिए ही लगभग 25000 रुपये मासिक खर्च करने पड़ते हैं। परन्तु यह विभाग हमारे कुछ घरेलू सहायकों को निशुल्क स्नानागार और शौचालयों तक की व्यवस्था नहीं करता।

मन्त्रियों की परिलब्धियां उनकी मासिक आय से चार से दस गुना तक बढ़ जाती हैं। इस सारे मामले की एक लागत लेखाकार से जांच करवाने से पता चल जायेगा कि एक केन्द्रीय

मन्त्री पर होने वाला मासिक खर्च 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक है। जो कुछ वे कर रहे हैं यह सब दिखावे की बात है। ये लोग कर-मुक्त सम्पत्ति प्राप्त करना चाहते हैं।

वित्त सम्बन्धी मामलों के हमारे पत्रों का उत्तर देने के लिए श्री मोरारजी देसाई ने बहुत अधिक संख्या में कर्मचारी रखे हुए थे जिनके लिए उन्हें 2,30,425 रुपये की आवश्यकता पड़ी थी।

कल श्रीमती इन्दिरा गांधी ने धन तथा आर्थिक मामले पर बहुत कुछ कहा था। परन्तु उन्हें चाहिए कि सब से पूर्व वह अपने मन्त्रिमण्डल की ओर ध्यान दें। अपने खर्चों और भत्तों को कम करें। साधारण तथा मरम्मत खर्च के साथ बाजार दर पर 6 प्रतिशत के हिसाब से किराया वसूल करें और तत्सम्बन्धी नियमों में संशोधन करें। सरकार को लोगों की सामान्य स्थिति का ज्ञान नहीं है। पुरानी दिल्ली में जाकर उनकी स्थिति देखें। लोग भूखे मर रहे हैं। उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता।

मैं जानना चाहता हूँ कि कारों का निजी प्रयोग करने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान मन्त्रियों ने राजकोष में कितना धन जमा कराया। क्योंकि अतिरिक्त फर्नीचर तथा कारों के निजी प्रयोग आदि के लिए उन्हें राजकोष में रुपया देना पड़ता है।

ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय प्रति दिन 32 रुपये है परन्तु यहां सरकार के अनुसार प्रति-व्यक्ति आय एक रुपया कुछ पैसे है। वास्तव में प्रति व्यक्ति आय केवल 14 पैसे प्रतिदिन है। ब्रिटेन में एक मन्त्री को समस्त करों का भुगतान करने के पश्चात् यहां के मन्त्रियों से बहुत कम रूपया मिलता है जबकि देश में लोगों को दो समय भर पेट रोटी भी नहीं मिलती है।

अंग्रेजी शासन काल में वायसराय के कार्यकारी सभासदों को 75000 रुपये प्रतिवर्ष मिलते थे और उनको सब प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था। परन्तु आज यहां मन्त्री उन विदेशी शासकों से कहीं अधिक धन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि विदेशी शासक कहीं अधिक शालीनता से रहते थे।

पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के एक मन्त्री को कुल मिला कर 2500 रुपये प्रति मास मिलते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : पश्चिम बंगाल का एक मन्त्री कितनी बड़ी कोठी में रहता है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे मन्त्रियों को सरकारी निवास स्थान नहीं मिलता। उन्हें मकान किराया भत्ते के रूप में 300 रुपए प्रति मास के हिसाब से मिलते हैं। 400 रुपये विश्वासी सहायक भत्ते के रूप में तथा दो निजी सहायक अथवा स्टेनोग्राफर मिलते हैं। एक महा लेखाकार ने सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि मन्त्रियों के इन सब खर्चों को पूरा करने हेतु उन्हें एक मुश्त धन दिया जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने यह प्रस्ताव रद्द कर दिया है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग देश पर शासन करने के लिये यहाँ आते हैं उनके जीवन स्तर का देश के संसाधनों तथा जन साधारण के जीवन स्तर से घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तन) : प्रस्तावित विधेयक पर उन्होंने विचार व्यक्त किये ही नहीं ।

श्री एस० कन्डप्पन (मेट्टूर) : पहले उन्होंने इस पर विचार व्यक्त किये हैं ।

श्री चेंगलराया नायडू : मैं सरकार द्वारा लाये गये विधेयक का समर्थन करता हूँ । मंत्री को त्याग पत्र देने के 15 दिन के भीतर सरकारी निवास छोड़ना पड़ता है । इस विधेयक से यह अवधि एक महीना हो जाती है । यदि किसी मंत्री की मंत्री पद पर रहते मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को इस विधेयक के आधार पर एक महीने की बजाय दो महीने के भीतर सरकारी निवास खाली करना पड़ेगा । यह सब मानवता के नाते हैं । इसलिए यह एक अच्छी बात है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु मेरी राय में 2 महीने की अवधि पर्याप्त नहीं है क्योंकि दिवगंत मंत्री के परिवार को यहां कुछ धार्मिक परम्पराओं का पालन करना पड़ता है और इस कार्य की निष्पत्ति के लिए तीन महीने का समय मिलना चाहिए ।

हमारे सर्व प्रिय नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात् उनके परिवार को इस संसद की सहमति से एक सरकारी निवास दिया गया था । परन्तु बताया गया है कि सरकार ने शास्त्री जी के परिवार के पास फर्नीचर के किराये के रूप में 7000 रुपये किराये का बिल भेजा है । और इसके साथ टेलीफोन का भी एक बिल भेजा है जो श्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन काल के दौरान का है । श्री शास्त्री के निवास में रखे फर्नीचर के बारे में बताया गया है कि इन सब वस्तुओं को संग्रहालय के रूप में एक कमरे में सुरक्षित रख दिया था । परन्तु जब सरकार को यह पता लगा कि शास्त्री जी के सुपुत्र सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो सरकार ने उनको 7000 रुपये का बिल बना कर भेज दिया है । यह सब सरकार को शोभा नहीं देता । अतः मैं चाहता हूँ कि सरकार फर्नीचर के किराये तथा टेलीफोन के बिलों की माँग को वापस ले ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस मांग की तिथि जानना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए ।

श्री चेंगलराया नायडू : यह तो पता नहीं कि इस मामले की जानकारी मंत्री महोदय को है अथवा किसी विभागीय अधिकारी ने यह कार्य किया है । परन्तु साधारण जनता का विश्वास है कि यह कार्य जान बूझ कर किया गया है । अतः यह गलतफहमी दूर करने के हेतु सरकार को श्री शास्त्री जी के परिवार से यह वस्तुएं एकात्रित नहीं करनी चाहिए ।

जहां तक मंत्रियों की कोठियों के क्षेत्र का सम्बंध है कई संसद सदस्यों के बंगलों का क्षेत्र एक उप-मंत्री की कोठी के क्षेत्र के बराबर है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बिल्कुल गलत है और यह बहुत गम्भीर मामला है । मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण लेने का अधिकार है ।

श्री चेंगलराया नायडू : मेरे कहने का आशय यह है कि दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी ओर भी देख लेना चाहिए । मेरा अनुरोध है कि विधेयक में तीन महीने की

अवधि की व्यवस्था की जाएं और श्रीमती शास्त्री के नाम भेजे गए किराये तथा टेलीफोन के बिलों के भुगतान की मांग सरकार वापस ले ले ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं विठल भाई पटेल भवन की छोटी छोटी कोठरियों में रहता रहा हूँ जिनका कुल क्षेत्र लगभग 600 वर्ग फुट से अधिक नहीं है। आवास समिति को अनेक अभ्यावेदन के पश्चात् मुझे बहुत ही पुराने ढंग के एक बंगले का आधा भाग मिला। यह बहुत ही साधारण सा स्थान है जो कई संसद सदस्यों को मिला हुआ है। अतः मेरे बारे में उन्होंने ये सब अरूचिकर बातें कहीं हैं।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण इसका विरोध किया जाए। परन्तु यह तो वास्तविकता है कि केन्द्रीय मंत्रियों के खर्च बहुत अधिक बढ़ गए हैं और ये फिजूल खर्चियों उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं। अतः इस व्यय में एक दम कमी करने की नितान्त आवश्यकता है। और इस बारे में भिन्न मत नहीं है। जो लोग विधान लागू करते हैं और साम्यवाद का दावा करते हैं उन्हें विनम्र भाव से साधारण जीवन बिताना चाहिए। परन्तु जहां तक महंगाई की बात है, ऐसे भी मन्त्री हैं जो वास्तव में आज भी 500 रुपये मासिक पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे कहने का यह आशय नहीं है कि इन मंत्रियों को केवल 500 रुपये मासिक पर ही गुजारा करना चाहिए। परन्तु वह यह नहीं कह सकते कि वे ऐसे निर्धन देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कि 25 प्रतिशत जनता की प्रतिव्यक्ति आय 23 और 27 पैसे के बीच है और फिर भी वे अपने ऊपर 3 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करते हैं।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह एक ऐसा व्यापक विधेयक यहाँ लाएं जिससे इस विषय पर नित्तान्त नवीन तथा स्वस्थ विचार व्यक्त हो सके और मंत्रियों के वेतनमानों तथा अन्य सुविधाओं और भत्ते आदि पर नूतन विचार प्रकट किए जाएं जिससे एक मंत्री की मासिक आय अन्य भत्तों को मिलाकर 2000 रुपये से अधिक ना हो। समवाय क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि कुछ निदेशक और प्रबन्धक निदेशक वेतन, भत्ते तथा अन्य परिलब्धियों रूप में 2 से 3 लाख रुपये तक प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ये निदेशक 5 लाख रुपये प्रति वर्ष ले लेते हैं। परन्तु यदि मन्त्री इन निदेशकों के समान बनना चाहें और राजाओं का सा जीवन बिताना चाहें तो उनके इस सदन में निर्वाचित होकर आने तथा देश की 80 प्रतिशत निर्धन जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करने का यहां कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। यदि ये मंत्री समाजवाद को क्रियान्वित तो करें नहीं और इसका उपदेश देते रहें तो समाजवाद की दुहाई देने का कोई लाभ नहीं। हसे ऐसे विधान बनाने चाहिए जिनसे लोगों का हम में विश्वास हो जाए और वे यह ना सोचें कि हम कहते तो बहुत कुछ हैं परन्तु करते कुछ नहीं।

1947 में जब हमें स्वतंत्रता मिली तो एक केन्द्रीय मन्त्री को उस समय 5000 रुपये वेतन मिलता था, परन्तु जब यह विधेयक अपने मूल रूप में यहां लाया गया तो उस समय यह वेतन घटाकर 3000 रुपये कर दिया गया था। इस मूल विधेयक पर विचार करते हुए उस समय डा० कटजू ने मंत्री के वेतन तथा भत्तों का समर्थन करते हुए कहा था कि मन्त्री हवा में नहीं रह सकते। उनका भी अपना समाज और पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। परन्तु मन्त्रियों की आय दो प्रकार की होती हैं। एक तो अर्जित आय है, जिसमें उनका वेतन, भत्ता तथा अन्य

उपलब्धियां हैं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत उनको दी जाती है, परन्तु दूसरे प्रकार की आय का कोई लेखा जोखा नहीं होता। क्योंकि वह अनुचित आय होती है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। एक ओर तो हम बहुत आनन्द और विलासमय जीवन यापन करना आरम्भ कर दें और दूसरी ओर उस अपरिचित व्यय को न्यायसंगत बताने का प्रयत्न करें तो सारा उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह एक ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें जिस पर हम नये सिरे से विचार करके तमाम अनावश्यक सुविधाओं को कम कर के यदि संसद सदस्यों, मंत्रियों के निवास स्थानों तथा केन्द्रीय सचिवालय में तमाम अधिकारियों के कमरों में से गलीचे हटा लें तो हम कई लाख रुपये की बचत कर सकते हैं और इस धन की सहायता से हम अपने उन निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां लोगों को अभी तक पीने का पानी भी बहुत कठिनाई से मिल पाता है, नलकूप लगा सकते हैं। यह धन ऐसे प्राथमिकता के कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।

जनता साम्यवाद का नारा सुनते सुनते अब ऊब चु ी है। अतः समय आ गया है कि साम्यवाद को अब कार्य रूप दिया जाए और इस खर्चे को सीमा बद्ध करने वाला एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे पास प्राथमिकता के क्षेत्रों पर धन लगाने के लिए भी पैसा नहीं। इसके लिए एक सुझाव बहुत उपयुक्त है कि एक ऐसा विधेयक लाया जाए जिसके आधार पर 10 वर्ष तक किसी मंत्री को 1500 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं दिया जाए और बाकी का रुपया निधि के रूप में एकत्र किया जाए और यह बचाया हुआ रुपया प्राथमिकता के कार्यों पर लगाया जाय। परन्तु यह सब तभी हो सकता है जब कि मंत्री बेकार के ढोल पीटने की बजाय कार्य करने की वास्तविक इच्छा दिखाएं। दस वर्ष के बाद यह रुपया उन्हें वापस किया जा सकता है।

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी) : संसद-सदस्य मंत्रियों, उपमंत्रियों के सम्बन्ध में तो बहुत बातें करते हैं, परन्तु हमारे पास जो निवास हैं यदि उनका किराया आंका जाए तो लगभग 3000 रुपये प्रतिमास आयेगा जबकि मैं केवल 217 रुपये ही प्रतिमास अदा करता हूँ। हमारे मन्त्री इतने बड़े देश का प्रतिनिधित्व करते हैं परन्तु मैं यह भी मानता हूँ उन्हें अपने खर्चे बहुत कम करने चाहिए। उनको जो चार निजी सहायक और दो निजी सचिव दिए गए हैं, उनका एक निजी सहायक तथा एक निजी सचिव से भी काम चल सकता है। और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश है। परन्तु यह अनुचित बात है कि एक मंत्री 500 रुपये मासिक पर अपना निर्वाह कर सकता हैं। मेरी अपनी राय में तो मत्रियों को कम सहायता मिलती है।

हमें इसलिए मंत्रियों के खर्चे आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम विपक्षी हैं मंत्रियों को लेकर ही अर्थव्यवस्था की बात कही जाती है, परन्तु हम संसद-सदस्यों को भी वे सब बातें नहीं करनी चाहिए।

हमें मंत्रियों के प्रति उदार हृदय से व्यवहार करना चाहिए। जब कोई मंत्री पद को त्याग दे अथवा उसके पास मन्त्री पर नहीं रहे तो उसे उस निवास स्थान में तीन महीने तक की अनुमति मिलनी चाहिए जिसमें वह मन्त्री के रूप में रहता आ रहा था। क्योंकि ऐसी स्थिति में

संसद-सदस्यों को एक महीने की अनुमति मिलती है । इसलिए संसद-सदस्यों के मामलों में भी यह अवधि तीन महीने की होनी चाहिए ।

श्री बि० प्र० मंडल (माधोपुर) : सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में क्या होनी चाहिए ?

श्री जयपाल सिंह : वे भी मनुष्य हैं । और केवल संसद-सदस्य ही देश की सेवा नहीं करते, सरकारी अधिकारी भी देश के लिए कार्य करते हैं और इनके साथ भी शिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए ।

यह अवधि बढ़ाकर तीन महीने कर देनी चाहिए और इसे संसद-सदस्यों पर भी लागू करना चाहिए और इसलिए मंत्री महोदय को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए । इस संशोधन की शर्त पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : मैं इस विधेयक का इसलिए अनुमोदन करता हूँ क्योंकि यह साधारण सा लगता है । यह भी उचित हो कि किसी मन्त्री की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार को उस निवास स्थान में 2 महीने तक रहने की अनुमति दी जाए परन्तु किसी मंत्री के अपने पद से त्याग करने के पश्चात् जहां तक उसके बंगले अथवा कोठी को खाली करने का सम्बन्ध है मैं इस उपबन्ध का विरोध करता हूँ क्योंकि यह कहना कठिन है कि कौन मंत्री इस्तीफा देने वाला है । और इस उपबन्ध के अन्तर्गत कौन इन सुविधाओं को प्राप्त करेगा ।

जहां तक देशी घी आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, देश की प्रतिव्यक्ति आय 462/- रुपये प्रतिवर्ष है और एक मन्त्री की प्रतिवर्ष औसत आय 75000 रुपये है । देश के एक व्यक्ति और एक मन्त्री की आय में बहुत बड़ा अन्तर है अर्थात एक मन्त्री की आय एक व्यक्ति की आय से 150 गुना अधिक है जबकि अन्य देशों में यह अन्तर 10 गुना तथा 15 गुना है । हमारे देश पर विदेशी ऋण का इतना अधिक भार है कि हम उसका ब्याज तक अदा नहीं कर पाते । उसके विपरीत हमारे प्रधान मंत्री पर 25,000 रुपये प्रतिदिन व्यय किए जाते हैं जब कि अमरीका में 15000 रुपये और ब्रिटेन में केवल 5000 रुपये व्यय किए जाते हैं ।

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए विधान पास करके कानून बना दिए हैं और केवल गरीब और छोटे कर्मचारियों को ही इसका उपदेश दिया जाता है । परन्तु केवल उपदेश देने मात्र से ही भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो जायेगा । उच्चतम पदवियों पर आरूढ़ अधिकारियों और मंत्रियों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए और उत्तम तथा प्रशंसनीय कार्य करना चाहिए । जब कुछ दिन पूर्व संसद-सदस्यों को कुछ और अधिक सुविधाएं तथा विशेषाधिकार दिये गये थे, तो अब मन्त्रियों को भी कुछ ऐसी ही और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है । यह तो नितान्त अनुचित है क्योंकि हमारा देश बहुत निर्धन है और देश के लगभग 29 करोड़ व्यक्ति 30 पैसे प्रतिदिन पर निर्वाह करते हैं । अतः यह संसद-सदस्यों तथा मंत्रियों के लिए अनुचित है क्योंकि वे लोगों के निकट आने के बजाय उनसे दूर जा रहे हैं, उनसे अपने आपको पृथक कर रहे हैं । दूसरे इससे देश के राज

*मूलकन्नड़ के अंग्रेजी अनुवाद से अनुदित ।
Summarised translation of the English translation of speech delivered in Kannada.

कोष पर बहुत अधिक खर्चा पड़ जायेगा। जहां तक दिवंगत मन्त्री के परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रश्न है मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, परन्तु इस उपबन्ध का घोर विरोध करता हूँ कि उस मन्त्री को भी सुविधाएं दी जाएं जिसने पद से त्याग किया हो ?

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : क्या सभापति महोदय मुझे बोलने के लिए 5 मिनट का समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य बहुत उत्सुक हैं तो मैं इस विधेयक के तृतीय पाठ के समय उन्हें समय दे दूंगा क्योंकि एक घन्टे के बजाय पहले ही डेढ़ घन्टे का समय लग चुका है।

Shri Vidya Charan Shukla : A minister, when he resigns, has to vacate the Government residence within 15 days of his resignation, but this Bill extends this period of 15 days to one month. Secondly, the members of the family of a minister, when he dies while in the office, hence, to vacate the Government residence within one month. In this case the provision of this Bill extend this period to two months. Originally this period was extended to three months but after due consideration on this matter, this has been amended to two months in this Bill. There is not much difference of opinion on this provision of the Bill.

Regarding the question of expenditure being incurred on the ministers, the hon. members have opposed this strongly. It is true that ministers, responsible persons as they are, and represent the people of a big county should not live in an aristocratic way, and they should set an example of simple living and noble actions But I would request the hon Members that whenever they go into the matter of the expenditure of the ministers, they should take this fact into account whether the money, Minister spend, is official expendi'ure or their own personal money. Regarding the matter of the ministers' personal staff, the same has been given to the Ministers strictly according to the need and work load.

The expenditure incurred by on Ministers in India is much less as compare to other countries. The Ministers do not have very high standard of living in India.

Several of the items mentioned by Shri Kanwar Lal Gupta are really speaking items of expenditure on Government account.

The Ministers' work for the welfare of the poor. It is not proper to make such allegations against the ministers. There are code of conducts for them. Tell me an instance where any minister has acted against the code of conduct. I assure that full investigation will be made in that case and a report will be submitted. None of the Ministers has acted against the code of conduct. I think it is not proper on the part of the hon. Member to make allegations like that.

There are rules for allotting bunglows to Members of Parliament. Bunglows are also allotted to our guests under our rules and they are charged on Government rates. There should not be any objection if something is done under law. New bunglows have not been built for the Ministers. The old bunglows are being repaired and they are being used. There is nothing for the benefit of the Ministers or their families in the Bill. I will request the House to pass this Bill.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I agree that Members of Parliament should have all facilities meant for the execution of their work. But I object to the way in which these bunglows were allotted. Government can clearly state that it requires the bunglows for the members of AICC. These bunglows were taken for marriage purposes and they were used for the stay of AICC delegates. I object to the way in which these bunglows were taken.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1952, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 (धारा 4 का संशोधन)

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 में

'Two months' (दो महीने) के स्थान पर

'One month' (एक महीना) रख दिया जाये (संख्या 3)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 4 और 5 प्रस्तुत करता हूँ।

यह विधेयक उन मंत्रियों के लिये लाभदायक है जो बंगलों में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहे थे और जिन्होंने बकाया किराया नहीं दिया। मंत्री महोदय को उनके नाम बताने चाहिये और यह बताना चाहिये कि उनसे कितनी धन राशि लेनी बाकी है।

इस विधेयक पर दिल्ली में होने वाली मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिये। एक महीना मंत्री के रहते की अवधि को 15 दिन से एक महीना बढ़ाने और उनकी मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किराया देकर एक महीने के स्थान पर दो महीने रहने और उसके बाद एक महीना किराया देकर रहने की अवधि को बढ़ाते समय हमें मंत्री के उत्तराधिकारी को होने वाली कठिनाइयों पर भी विचार करना चाहिये। वह इस बीच कहाँ रहें। मंत्रियों के लिये, उनकी नियुक्ति के बाद, शीघ्र निवास स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

यदि सरकार इस विशेषाधिकार को माननीय मंत्री के जीवनकाल के बाद भी जारी रखने की अनुमति देगी तो सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होने वाले निवास स्थानों में और कमी हो जायेगी। सरकार की यह नीति उचित नहीं है।

मंत्रियों को जब इतना अधिक वेतन दिया जाता है तो इस रियायत की क्या आवश्यकता है?

दिवंगत मंत्रियों के परिवारों को बिना किराये के उनके निवास स्थानों पर रहने की अवधि एक महीने तक ही सीमित होनी चाहिये।

अन्तयेष्टि संस्कार में कम धन खर्च किया जाना चाहिये। यह एक प्रकार की सामाजिक फिजूल खर्ची है। इस प्रकार की फिजूल खर्ची देश के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें कि निवास स्थान को बिना किराये के रखने की अवधि को घटाकर एक महीना कर दिया जाये।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The Mininsters have already got so many facilities. The Ministers should provide facilities to the faamers before demanding facilities for themselves. We are prepared to live in huts until we are able to build houses for the poor. Mahatma Gandhi had done a lot for the country. But he used to live in a small hut. He know the country at the time of freedom movement. There is no cause why Shri Shukla cannot do his work in a small house ?

Therefore, while supporting this Bill I suggest that our bunglows may be withdrawn if it may be necessary for bringing socialism.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : I am of the opinion that a Minister should vacate his residence within fifteen days of his removal from the office. There should not be much difference between the rights and privileges enjoyed by the Ministers and the common man. There is a lot of discrimination between the facilities given to the ministers and the common man. I feel that a uniform Bill covering all categories of persons occupying Government accommodations including Government officers who occupy quarters should have been moved The discrimination in varrious spheres is 'heart or rendring'. Whether in the matter of air travelling or in any other matter, all these discriminations should be done away with.

सभापति महोदय : हम इस समय मंत्रियों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के बारे में नहीं ।

श्री बि० प्र० मंडल : मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ । लेकिन देश में मंत्री और सामान्य जनता के बीच भेदभाव बढ़ता जा रहा है । यह उचित नहीं है । गांधीं जी इतने अधिक व्यस्त रहते थे फिर भी वह झोपड़ी में रहते थे ।

*__श्री तन्नेटि विश्वनाथन__ (विशाखापत्तनम्) : यह बात समझ में नहीं आती कि इस विधेयक के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू क्यों किया गया है । मंत्री महोदय ने भी इसके औचित्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है । किसी विधेयक के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना उचित नहीं है, विशेषकर जबकि परिस्थिति इसके अनुकूल न हो ।

दूसरे, निवास स्थान को खाली करने के लिये दो महीने की अनुमति देना उचित नहीं । मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

यदि यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर जी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा धर्मपत्नी को फर्नीचर व टेलीफोन आदि के बिल भेजे गए थे तो यह ठीक नहीं हुआ ये बिल वापस ले लिए जायं ।

**__श्री ई० के० नायनार__ (पालघाट) : मंत्रीयों को ये रियायतें देते समय हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिये और इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि क्या हम इसी प्रकार की रियायतें देश की सामान्य जनता को भी दे रहे हैं ?

प्रत्येक मंत्री पर राष्ट्रीय राजकोष के लगभग 17000 रुपया व्यय होता है । ये लोग सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते । इन्हें अन्य लोगों के लिये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये ।

*तेलगू भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी में अनुवाद से अनुदित

**मलयालम भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी में अनुवाद से अनुदित ।

देश में प्रति भारतीय की औसत आय २ रुपये प्रतिदिन से भी कम है। जबकि केवल एक मंत्री पर प्रतिमास 17,000 रुपये खर्च होते हैं। हमारे देश की निर्धन जनता इस बात को कैसे सहन कर सकती है ?

मेरे राज्य में मंत्री 500 रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन नहीं लेते। जैसाकि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक भारतीय का अधिकतम वेतन 500 रुपये और न्यूनतम वेतन 30 रुपये प्रतिमास होना चाहिये। मंत्रियों को रियायतें देते समय हमें सामान्य जनता की भावनाओं को भी समझना चाहिये। सरकार को देश में ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि लोग सादा जीवन बिताएं।

अत इस विधेयक को पारित करते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। इस समय इस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is provided in the Bill that in case a minister passes, and the members of his family can keep the residence for two months without paying its rent. In addition to it the members of his family can also reside in it for one more month by paying its rent. I want to add the following provision in this Bill :

'Provided the total financial assets of the deceased do not exceed Rs. 5000'

Generally, the financial position of ministers are good. If the financial position of a minister is good, it is no use that the members of his families may live for two months without paying rent after his death. It is not a good precedure.

The Government should make a study in this regard. It should give such facilities to the ministers that their is efficency may increase.

The Government should stop wastage of money. There was no need for various classes on our Railways for rail-travel. There should be done away with.

The limit of expenditure should be fixed. It should be Rs. 150 minimum and Rs. 1500 maximum.

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad) : Taking into consideration the recent increase in our salaries and allowances, we should not oppose this Bill. Some concessions are necessary on humanitarian grounds.

Ministerships should not be reserved for capitalists only. Scheduled castes and Scheduled Tribes people should also be made ministers. The family of the deceased ministers should be allowed to live in that house till it is rehabilitated. This Bill should not be criticesed.

Our country can only be a model country in case poor people or the country are able to get high offices on their merits.

I want that necessary amendments should be made in the Bill. In case a minister, who has no property or land, dies, his children should be given adequate education.

It is the duty of the Government to make provisions for the children of such a minister who has served the nation throughout his life.

I fully support the feelings expressed in the Bill.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार को भेजे गये बिल की मुझे जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा।

माननीय सदस्यों को सरकारी खर्च की ग्रालोचना करते समय मंत्रियों के सरकारी कार्य ग्रौर उनके गैर-सरकारी जीवन के ग्रन्तर को महसूस करना चाहिये। ग्रगर इन दोनों में ग्रन्तर किया गया होता तो बहुत सी ग्रालोचनाग्रों को रोका जा सकता था। मंत्रियों पर व्यय की जाने वाली धनराशि बहुत कम है। मंत्रियों को ग्रपने सरकारी कार्य के लिए कर्मचारी, सुरक्षा, स्टाफ कार ग्रौर बंगलों ग्रादि ग्रौर इसी प्रकार की सुविधाएँ देनी होती हैं। यदि माननीय सदस्य इस बारे में विचार करते तो इस विधेयक के बारे में इतनी ग्रालोचना नहीं करते।

मुझे खुशी है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने विधेयक में उल्लेख किये गये उपबन्धों का समर्थन किया है।

विधेयक में दिवंगत मंत्री के परिवार के सदस्यों स्वर्गीय मंत्री के निवास स्थान पर दो महीने बिना किराये के भुगतान के रहने की व्यवस्था है। मैंने संशोधन द्वारा इसको घटाकर एक महीने करने का सुझाव दिया है। इसका ग्रभिप्राय यह हुग्रा कि स्वर्गीय मंत्री के परिवार के सदस्य एक महीने बिना किराये दिये ग्रौर उसके बाद एक महीने सामान्य किराया देने के बाद स्वर्गीय मंत्री के निवास स्थान पर रह सकते हैं।

श्री लोबो प्रभु : इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से क्यों लागू किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा ग्रौर उसे सभा पटल पर रखूंगा। मेरे पास इस बारे में इस समय जानकारी नहीं है।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2 पंक्ति 9 में "Two months" (दो महीने) के स्थान पर "One Month" (एक महीना) रख दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The motion was adopted.

ग्रध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या 4 नियम बाह्य है। मैं संशोधन संख्या 5 को प्रस्तुत करता हूँ। संशोधन संख्या 5 को मतदान के लिये रखा गया ग्रौर ग्रस्वीकृत हुग्रा।

Amendment No. 5 was put and negatived.

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का ग्रंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The motion was adopted.

खंड 2 को, संशोधित रूप में विधेयक ग्रंग में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended, was added to the Bill

खंड—1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1967" के स्थान पर "1969" रख दिया जाये।

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "Eighteen" (अठारह) के स्थान पर "Twentieth" (बीस) रख दिया जाये।

(श्री विद्याचरण शुक्ल)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोडा गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ा गया।

The Title was added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री तन्नेटि विश्वनाथन : विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं बताया है। विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना चाहिए।

श्री रंग (श्रीकाकुलम) : मैं मंत्रियों को अधिक वेतन दिये जाने के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु जिस अनैतिक अथवा गैर-कानूनी ढंग से वे अपनी शक्तियों, विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। मध्यावधि चुनावों के दौरान भी उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था जैसाकि सभा को सूचित किया गया था। पंडित नेहरू का अपने मंत्रियों पर कुछ नियंत्रण था यद्यपि कुछ मंत्री अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते थे। मुझे कुछ मामलों की जानकारी है जिन में प्रतिरक्षा मंत्रियों ने विशेष विमानों द्वारा समस्त भारत का दौरा किया है। इसी प्रकार के अन्य मामलों का भी मुझे पता चला है। वस्तुतः इन बातों का सम्बन्ध चरित्र आत्म-सम्मान, लोकहित तथा जनता की सेवा करने की भावना के साथ है। सब बातें इन्ही गुणों पर निर्भर करती हैं। मंत्री के अन्दर यदि ये गुण रहेंगे तो उसका संसद का तथा देश का सम्मान बढ़ेगा।

मंत्री पद के लिए मुकाबला बढ़ता जा रहा है। हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह है कि जो मंत्री सेवा में कुछ व्यवधान रहते हुए भी दस वर्ष से अधिक समय तक मंत्रीपद पर बने रहें, उन्हें पेंशन देने की व्यवस्था होनी चाहिये बशर्तें कि वे उसके बाद सेवानिवृत्त हो जायें : यदि पेंशन की यह योजना आरम्भ की जाये तो संभवतः इनमें से कुछ मंत्री सेवानिवृत होने के बारे में सोचेंगे और वे केवल सदस्य रह कर ही संसद सम्बन्धित मंत्रालय तथा देश को अपने अनुभव से लाभान्वित करते रहेंगे। हमें इन सभी दिशाओं पर विचार करना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस बीच मैंने इस बात का पता लगाया है कि इस उपबन्ध को पिछली तारीख से प्रभावी किया जाना क्यों आवश्यक है। दो मंत्रियों सर्वश्री गुलजारीलाल नन्दा तथा एस०के० डे को बताया गया था कि त्याग-पत्र देने के बाद वे अपने सरकारी आवास को 15 दिन के बजाय एक महीने तक रख सकते हैं और इसमें कुल 2,125 रुपये का मामला है। इसलिए इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वक्फ़ (संशोधन) विधेयक

WAKF (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वक्फ अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

यह बहुत हीं छोटा-सा संशोधन विधेयक है । सर्वप्रथम इसमें "शुद्ध-आय" की परिभाषा में संशोधन करने की बात कही गई है । पहले शुद्ध आय का अर्थ था जायदाद की कुल आय में से स्थानीय प्राधिकारियों को दिये जाने वाले राजस्व उपकर, कर आदि घटा कर शेष आय शुद्ध आय मानी जायेगी । परन्तु कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों ने इसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या की है । उनका कहना है कि जिस भूमि पर खेती की गई है खेतिहर ने खेती के लिए जो भी खर्च किया है, उसकी भी कटौती की जानी चाहिए । मूलतः "शुद्ध आय" की यह परिभाषा नहीं थी । इसी कठिनाई को दूर करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

फिर अधिनियम की धारा 4 में किसी राज्य विशेष में स्थित वक्फ की जायदादों का सर्वेक्षण पूरा करने के लिये एक आयुक्त नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है । धारा 5 के अधीन सर्वेक्षण पूरा करने के बाद आयुक्त को अपना प्रतिवेदन राज्य को प्रस्तुत करना होता है जो उसे प्रकाशन के लिये बोर्ड को भेज देगी । कई राज्यों में एक ही समय पूरी सूची को प्रकाशित करना संभव नहीं हो सका और कई बार तो यह कार्य असम्भव प्रतीत होता है । इसलिए इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार के प्रतिवेदन धीरे-धीरे किश्तों में भी प्रकाशित किये जायें और उन्हें अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रकाशित समझा जायेगा ।

इन दो संशोधनों के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री जे० मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : पिछली बार जब इस अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो मैंने सुझाव दिया था कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि वक्फ अधिनियम 1954 से काफी समस्यायें पैदा हो गई हैं । मंत्री महोदय ने कुछ दोषों को दूर करने के लिये यह छोटा-सा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है । देश में वक्फों की स्थिति बहुत खराब थी और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये 1954 में वक्फ अधिनियम पारित किया गया था । यह भी सच है कि इन वक्फों का प्रयोग मतवल्ली लोग अपने लाभ के लिये करते थे और जनता को कोई विशेष लाभ नहीं होता था जिनके लिये वे बनाये गये थे, परन्तु उपर्युक्त अधिनियम से कोई लाभ नहीं हुआ । सर्व प्रथम यह अधिनियम समस्त देश में लागू नहीं होता । यह अधिनियम महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों में लागू नहीं है । पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू तथा काश्मीर के अपने वक्फ अधिनियम हैं । अन्य राज्यों में यह वक्फ अधिनियम लागू हैं । वक्फों के प्रशासन के लिए अधिनियम में तीन संस्थाओं की व्यवस्था है । सर्वप्रथम केन्द्रीय वक्फ परिषद है । दूसरा राज्य वक्फ बोर्ड है और तीसरी जिला वक्फ समिति है, केन्द्रीय वक्फ परिषद एक तो बहुत बड़ी संस्था है फिर उसके पास कोई कारगर शक्ति नहीं है । इस संस्था का राज्य वक्फ बोर्डों पर कोई नियंत्रण नहीं है यह संस्था कोई अनुदेश जारी नहीं कर सकती । यह केवल परामर्शदात्री संस्था है ।

राज्य वक्फ बोर्ड के पास सम्बन्धित राज्यों में वक्फों पर नियंत्रण, प्रशासन और उनकी देख-भाल करने की पूरी शक्ति है । वे वक्फों के ठीक ढंग से कार्य संचालन के लिए जिम्मेदार हैं परन्तु उनको कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है । उनके पास अपनी कोई निधि नहीं होती ।

अपने सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता देने के लिए भी उन्हें अपनी-अपनी सरकारों से धन मांगना पड़ता है।

दूसरी बात यह है कि वक्फ बोर्ड स्थानीय सरकार की सहायता तथा सहयोग से ही कोई काम कर सकते हैं। अभी तक सभी वक्फों का सर्वेक्षण तथा पंजीकरण नहीं हो सका है। जिन वक्फों का सर्वेक्षण किया गया है उन पर मुकदमें चल रहे हैं।

जहाँ तक जिला समितियों का सम्बन्ध है उन्हें अपने कार्यालय के लिए एक पैसा भी नहीं दिया जाता। इस सारे मामले का सार यह है कि वर्तमान अधिनियम के अधीन यह वक्फ़ बोर्ड तथा अन्य संस्थाएं ठीक ढ़ग से कार्य नहीं कर रही हैं और उनमें गड़बड़ की स्थिति है। बहुत से मुत्तवल्ली इस अधिनियम के प्रवर्तन से बचना चाहते हैं। राज्य के सभी मुत्तवल्लियों को अपनी आय के अनुसार सर्वेक्षण तथा पंजीकरण कार्य के लिए कुछ चन्दा देना चाहिए। सर्वेक्षण तथा पंजीकरण पर अत्यधिक धन राशि खर्च होगी और अधिनियम के अनुसार यह खर्च करदाताओं तथा मुत्तवल्लियों को करना पड़ेगा। फिर उन्हें अपनी कुल आय का 6 प्रतिशत धन देना चाहिए और कुल मिलाकर उन्हें अपनी कुल आय का 10-12 प्रतिशत धन देना पड़ता है। अतः वे इस अधिनियम के प्रवर्तन से बचने का प्रयत्न करते हैं।

मुझे पता चला था कि मंत्री महोदय ने इस अधिनियम के प्रवर्तन की जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी और उस समिति ने एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए। इस समिति ने सुझाव दिया था कि वक्फ़ की सहायता के लिए एक वक्फ़ वित्त निगम बनाया जाना चाहिये। परन्तु शायद समिति के प्रतिवेदन की सरकार ने उपेक्षा कर दी है। यदि वक्फ़ वित्त निगम स्थापित किया जायेगा तो वक्फ़ बोर्डों का कार्य ठीक ढंग से चलेगा और इससे जनता को अधिक लाभ पहुंचेगा।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन बातों पर विचार करेंगे और इन कमियों को दूर करने के लिये एक व्यापक कानून बनायेंगे।

श्री मोहसिन (धारवाड़ दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। वर्तमान अधिनियम के अनुसार वार्षिक आय से अभिप्रेत है कुल आय में से कर निकाल कर जो आय बचे। इस प्रकार वक्फ़ की सम्पत्तियों को वक्फ़ फंड के लिए 6 प्रतिशत की दर से भारी धन देना पड़ता था जिसका एक प्रतिशत केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् को मिलता है। यह धन वक्फ़ों को अपनी कुल आय पर ही देना पड़ता था। परन्तु कई ऐसे वक्फ़ हैं जिनकी आय 1000 रु० 2000 रु० तक है। वे अपना निर्वाह भी नहीं कर पाते। कई मस्जिदों की वार्षिक आय 1000 रु० है जिससे वे अपने आवश्यक खर्चे भी पूरे नहीं कर पातीं। उन्हें भी इस 6 प्रतिशत अंशदान से मुक्त नहीं किया गया। छोटे वक्फों से अंशदान लेने की व्यवस्था रखने में सरकार का क्या प्रयोजन है, मैं नहीं समझ पाया। इस समय छूट की सीमा 100 रु० है जिसे 1000 रु० तक बढ़ाया जाना चाहिये।

कई वक्फों का धनाभाव के कारण ठीक संचालन नहीं हो पा रहा है। केन्द्रीय वक्फ परिषद् का राज्य वक्फ बोर्डों से कोई सम्बन्ध नहीं और न ही उसका उन पर कोई नियन्त्रण है। 6 प्रतिशत अंशदान में से 1 प्रतिशत केन्द्रीय वक्फ परिषद् को मिलता है और राज्य वक्फ बोर्ड राज्य सरकारों के रहम पर बने रहते हैं। राज्य उन बोर्डों की सहायता नहीं कर पाते और न ही उनके

पास पर्याप्त धन होता है। कई बोर्डों के पास इतना धन भी नहीं होता कि वे पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए पर्याप्त कर्मचारी रख पाएं। बोर्ड बैठकों में भाग लेने वालों को यात्रा खर्च भी नहीं दे पाते। कई लोगों का मत है कि केन्द्रीय परिषद् के निर्माण से पूर्व की व्यवस्था ही अच्छी थी। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि राज्य वक्फ़ बोर्डों को पर्याप्त धन मिल सके।

जहां तक हिन्दु न्यासों का प्रश्न है सरकारी अधिकारी विद्यमान हैं जिन्हें सरकार वेतन देती है। मुस्लिम वक्फ़ों के लिए भी ऐसा ही क्यों नहीं किया जाता। उन्हें सर्वेक्षण एवं बोर्ड की बैठकों पर और कर्मचारियों पर व्यय क्यों करना पड़े ? वास्तव में कई राज्य बोर्ड कठिनाई में हैं और सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में हैं। मैसूर के बारे में भी, जैसा कि श्री इमाम ने बताया कि वहां ऐसी स्थिति है कि वे अपना खर्चा नहीं जुटा पाते।

यदि वक्फ़ बोर्ड का कार्यालय धनाभाव के कारण बन्द हो जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। विधि निर्माताओं की आकांक्षा कुछ भी रही हो परन्तु इस अधिनियम से न तो वक्फ़ों के प्रशासन में और न ही उनके धन के ठीक उपयोग करने की दशा में सुधार हो पाया है। पांच प्रतिशत अंशदान एकत्र करने का क्या लाभ है ? कई वक्फ़ों की शिकायत है कि इस फंड का ठीक उपयोग नहीं हो पाता। यदि धन का उपयोग कर्मचारियों के वेतनों एवं बैठकों में भाग लेने वालों के भत्तों पर ही व्यय हो गया तो इन बोर्डों का लाभ ही क्या है ? इस धन से शिक्षा संस्थाओं आदि को सहायता मिलनी चाहिये परन्तु कोई भी वक्फ़ बोर्ड ऐसा नहीं कर पा रहा।

कई राज्यों में सर्वेक्षण ही नहीं किया जा सका और कईयों में कुछ भाग का ही सर्वेक्षण हो पाया है। इस प्रकार भेदभाव विद्यमान है। सम्पूर्ण देश में विधि की एकरूपता होनी चाहिए। कुछ राज्यों में, जैसे बंगाल और बम्बई में, वक्फ़ विधेयक लागू नहीं होता वक्फ़ की सम्पत्तियों के बारे में धारा 27 के कारण कई विवाद उठे हैं। 1964 में इस धारा को परिवर्तित किया गया जिसके अनुसार वक्फ़ बोर्ड जिसे वक्फ़ की सम्पत्ति समझे उसकी जानकारी एकत्र कर सकते है। विवाद के मामले न्यायालय को सौंपे जा सकते हैं। बोर्ड ऐसे मामलों में विनिश्चय नहीं कर पाते और मामले न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। इसलिये इस धारा को और स्पष्ट करना चाहिए।

विधेयक के अन्य उपबन्धों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

Shri Ghayoor Ali Khan (Kairana) : The Waqf Act, 1954 was meant only for making survey of the property of those Wakfs, the Mutavallis of which left for Pakistan in 1947 leaving the Wakf property in India and also for making an assessment of the property in various States. But even after fifteen years of the appointment of Wakf Boards and Wakf Commissioners in every States they have not been able to get the survey made by these Departments.

I think the amendments brought forward in this House would not serve any useful purpose to the Wakf property. The Wakf Boards are not working properly because the managing body of these Wakf Boards is nominated by the State Governments to run the management of these Wakfs and these Government Officials keep their own interests in view and misuse their office.

But so far as the other religions endourments are concerned, the elected bodies are there who run their administration properly. But in the case of Muslim Wakfs Government do not want the elected bodies for the Wakf Boards and that is the main reason why

the administration of the Wakf Boards is not proper. Persons sent by the Government do not take interest in the administrarion of the Wakf Boards. In order to remove these defects and to make proper use of Wakf property, Government should bring forward a comprehensive Bill. The purpose of these Wakf Boards is to help educational institutions, poor boys, Mosques, but the money so collected is not utilised there ; because a part of the money goes to the Government by way of taxes etc., to the Wakf Boards and the rest of the money goes in the pockets of Mutavallis. They become the owners of the Wakf property. They misuse this property. The Wakf Boards and even the Wakf Commissioners do not take any action against these Mutavallis. This misappropriation of the Wakf property should be stopped.

According to the Constitution of the Wakf Boards and Wakf Councils throughout the country, there is a provision that they should convene their meetings twice a year. But the provisions are all on the paper and not in practice. Therefore, the purpose or intention for which the Wakfs were formed has been defeated and the funds collected for helping educational institutions, poor boys, hospitals and for the repairs and maintenance of old Mosques and Dargahs are not utilised there but on the contrary the money is misused and misappropriated by the Mutavallis. All these things should be looked into, On the whole I support the Bill.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : I express my thanks to the hon. Minister for bringing this Wakf (Amendment) Bill in this House. He has tried to remove the legal complications which arose out of the rulings of the Court.

There are so many Muslim Wakfs in India which can be made use of in a better way. The funds of these Wakfs can be utilised in setting up Industrial Institutions and Schools etc. and other Social Works can be undertaken. It is obviously the responsibility of Government to take care of these Wakfs. There is provision in the Central and State Wakf Acts for making survey of these Wakfs. But there are thousands of Wakfs in the country whom have not been surveyed and they have not been registered even. The Uttar Pradesh Wakf Act clearly lays down the provision that no private party or private institution can make survey of Wakf property.

It has been stated that Mutavallis have sold the Wakf property. Moreover they have become owners of the Wakf property ; because after abolition of Zamindar in the State they were given bonds of Wakf property and since those Wakfs were not registered, they tookover the Wakf property and became the owners of the Wakf property. The department of Custodian not only auctioned the property of thousands of Wakfs, but it has also encouraged other people to take over the Wakf property. The purpose for which the Wakfs were formed has been defeated. Therefore, arrangements must be made to make survey of all the Wakf property through the country.

The condition of Wakfs in Punjab and Haryana has become miserable. They are not managed properly. It is the responsibility of the Government to look after and manage them and it can be possible only when the Wakfs are registered. Therefore it should be legally binding for every Mutavalli to get each Wakf registered. In case of default, they should be punished.

Wakf Councils, responsible for running the administration of the Wakfs, are nominated by Central Government, but the expenses of these Councils or Boards have to be met by the Wakfs. Therefore, people should be elected to these Wakfs Boards and Wakf Councils. The Members of the State Assemblies should be appointed to the Wakf Boards and the Members of Parliament to the Central Wakf Councils, the representatives of the Muttavallis should also be appointed so that the system of nominating Government Officials could be stopped and the condition of the Wakfs could be improved because a private party or a private institution cannot run the administration of the Wakfs.

Therefore, all these things should be looked into and a comprehensive Bill should be brought forward so that the complications and difficulties can be removed and a proper use of the Wakf property may be made on the whole, I support the Bill.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is true that the condition of the wakf property is very miserable. There is no proper supervision and administration of the wakf property. People of different seats have illegally occupied the land and other property of the mosques, Idgah and educational institutions of the mohammedans in Punjab and Haryana, and in spite of our best possible efforts they do not want to leave the property. Therefore, I request that the hon. Minister should make much arrangements on the Central and state levels so that conversion tres-passing and illegal occupation of the property of the Muslims may be stopped.

I am told that at so many places such property has been declared as "Evacuee property" by the Department of Custodian, and this same has been sold. Thousands of such disputed case are pending in the courts of law in some states. The persons who have purchased the land or property from the custodian of Evacuee Property should not be put to loss ; and the money taken by the custodian should be adjusted with the wakf Boards. Government may take more money from the buyers of the property and these cases should be decided immediately.

The time has come when we should abandon the narrow outlook. Temples and Mosques should not figure in trifles. I favour the idea that a body on All India level should be created for this purpose. There is a good deal of corruption in Punjab and Haryana wakf Boards resulting in heavy losses to the Government. Therefore, I want that a machinery like the Gurudwara Prabhandhak Committee may be created at State and All India levels. With these words, I support the Bill.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to speak first from the oppsition side. I am also thankful to Maulana Sahab because he has not ignored U. P. There are more muslims in U. P. than in any other State and Lucknow stands out as an ideal example of Hindu-Muslim amity. Pious people had dedicated their properties under the wakf Boards. But wakf properties are being misused. Mutavalis are playing all sorts of tricks. They have sold out disputed lands. Wakf properties are not used for the purpose for which they were given. C. I. D. and Intelligence Departments of the Government are doing nothing.

I, therefore, request that the Government should see that the wakf properties are admistered property. Funds should be utilised for a noble cause. These funds can help in running educational institutions.

I would welcome a rather more comprehensive Bill.

With these words, I support the Bill.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Chairman, Sir, I support this Bill. It was a misfortune that the country was divided ; I shall not go into the causes, which laid to the partition, at this time. Lakhs of refugees, coming from the other side of the country settled wherever they could. They occupied many Mosques. I have no grudge against those people ; they were compelled to do so. But it was painful to see that Government itself constructed Quarters on such places. Sikhs consist only ten percent of the whole population and their Committees are running hundreds of Schools, Colleges and Universities but nothing has been done for muslims. Government authorities offered no Co-operation and as a result we were unable to conduct the survey.

Aurangzeb Rahamtullah Alam had converted a part of a temple into a Mosque about 400 years back but he is condemned even to-day. I can cite dozens of such Mosques which have been deformed to such an extent as to be fit only for dogs.

Lakhs of muslims are inhabiting the two tehsils of Hodal. A mosque was pulled down in Nizamuddin. This Government poses to be secular. If it is actually so, it should get the property surveyed again.

Mr. Speaker : You are repeatedly telling me about your amendment on it whatever you want to say on it, you say now.

Shri Abdul Ghani Dar : You should be proud of the fact that 70 Lakh Sikh brothers have been largely benefited by the wakfs.

Mr. Speaker : You have not followed my point. Whatever you have to speak on your amendment, please say just now. One hour was allotted for this purpo.e. The time is going to be over.

Shri Abdul Ghani Dhar : I obey your orders and will finish very soon. I want that the Government itself should conduct the survey and elections to the wakf Boards should be held on the lines of Shiromani Akali Dal. The Committee so formed should get recognition from the Government. This Act should be changed to suit the needs of the country and help in the spread of Muslim education. Crores of rupees should be spent on Hindus as also for the urdu language.

अध्यक्ष महोदय : मुझे वक्ताओं के नाम प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके नाम आये हैं, मैं उन्हें बोलने के लिए कह रहा हूँ ।

Shri Hardyal Devgun (East Delhi) : Mr. Speaker, Sir, I want to draw the attention of the House towards the main wakf Act, 1954. It is an undisputed fact that the Act of 1954 could not fulfill the objective for which it was enacted. I consider it undemocratic and feel that it should be changed altogether.

This Act provides that Jamait-ul-ulmai Hind must be represented or a member of Shiya Conference must be taken on the wakf Boards. This is quite wrong and unfair. I want that wakfs should be created on democratic lines. I know the case of Delhi wakf Board ; excepting two all the members are outsiders. They do not take any interest.

Our Hon. Member has said that mosques are being Converted into temples and Gurudwaras. It is something unfortunate. Mosques should not be converted into temples. Similarly no temple or Gurudwara should be converted into a mosque. That is why I want that temples should again be constructed on those places where mosques were raised by pulling down the temples. Vishwanath temple at Varanasi met the same fate. Several mosques had been constructed at Lord Krishna and Lord Rama's birthplaces. These places ought to be handed over to the Hindus.

The refugees have left propeties worth thousands of rupees in Pakistan. They have got only eight annas per thousand in India. Most of the properties were acquired from the Custodians on payment. These refugees have been living there and ploughing the fields for the last twenty years. After the expiry of a long period of 20 years, the wakf Boards and the Custodians have started litigation proceedings against them. The people are being put to great hardships and inconveniences. This sort of harassment should stop immediately and Government should bring forward a new Bills as per their assurance.

Shri M. A. Khan (Kasganj) : The very purpose for which the Muslims donated their properties to wakfs has been defeated. It was done in the interest of good work, maintainence of mosques and construction of schools for the poor. God would, of Course, the doners, but the way in which the managers of there properties are destroying them indicates that they should be, held responsible for their deeds. Whosoever takes over as a

Minister, nominates some of his own men. These men are usually not competent to manage the holy estates. There are instances where drunkards in the streets became all-in-all of wakf properties.

With my personal knowledge, I can say that the Muslims themselves gave away the houses and shops belonging to the mosques after receiving pugri, to such persons, who do not give due respect to the mosques. This mismanagement would continue till the representatives are not elected in a democratic manner.

The condition of Delhi wakf board is beyond description. Even its secretary has been nominated without consultation with the members of the wakf board. In spite of requisition by the members, not even a single meeting of the wakf board has been held so far.

Mismanagement is prevalant to such an extent that although Delhi wakf passess properties worth crores of rupees, it is a matter of pitty that the shops of Fatehpuri Masque are being auctioned for non-payment of taxes to Delhi Administration. I was hurt to find that the wakf act does not apply to the State of Jammu and Kashmir, which is an integral part of the country. Has it been done to enable Sheikh Abdulla to use these properties for his political motives.

This mal-practice cannot be allowed for long. It has become necessary to frame laws for the proper safeguard of wakf proprerties. The matter deserves serious re-thinking. Our own actions had been against the wakf. What should I say about these persons who registered sale deeds of cementary ; whereas on the other hand if even one brick is removed, riots take place there. It is, therefore, necessary to bring forward a major legislation in stead of taking of amendments in piece-meals.

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए कार्य मंत्रणा समिति द्वारा नियत समय समाप्त हो गया है। शेष दो तीन सदस्य कृपया अपने वक्तव्य संक्षेप में दें।

श्री मयावन (चिदाम्बरम)* : वक्फ एक धर्मार्थ न्यास है जो हमारे देश में वर्षों से कार्य कर रहा है। वक्फ के अधीन सम्पत्ति को धर्मार्थ दिया जाता है। सरकार द्वारा पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अभाव में सम्पत्तियों का ह्रास हो रहा है तथा उनका दुरुपयोग भी किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप तैयार किया गया वक्तव्य पढ़ रहे हैं।

श्री मयावन : जी नहीं, मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं।

प्रस्तुत संशोधन विश्रृंखलित सम्पत्तियों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से रखा गया है।

इन न्यासों की आय की परिभाषा में सम्पत्तियों की मरम्मत आदि पर होने वाले व्यय और कर्मचारियों को देय वेतनों का ध्यान नहीं रखा गया। उसे स्थान मिलना चाहिये।

इस संशोधित विधेयक द्वारा उचित नियत्रण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसमें वक्फ द्वारा कुल आय का 6 प्रतिशत अंशदान के रूप में देने की भी व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से यह आपत्तिजनक उपबन्ध है। कई सदस्यों ने इस दर को कम करने का प्रस्ताव रखा है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है केवल भूमि पर देय राजस्व तथा सरकार को अथवा

*तमिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

*Summary Translalion of English Translation of the speech delivered in Tamil.

स्थानीय अधिकरणों को देय राशि का ही ध्यान रखा गया है। कर्मचारियों को देय वेतनों, मस्जिदों तथा भवनों को सुरक्षित रखने, सजाने आदि पर होने वाले व्यय का ध्यान नहीं रखा गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस ओर ध्यान दे। तमिलनाडु में वक्फ शिक्षा संस्थाएं चला रहे हैं। यदि वक्फों को अपनी आय का 6 प्रतिशत पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण के लिए देना पड़ा तो वे शिक्षा संस्थाएं न चला पाएंगे। इस दर को कम किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात लोक सभा मंगलवार, 25 नवम्बर, 1969/4 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, November 25, 1969/Agrahayana 4, 1891 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj, Delhi-6.